मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (प्रथम वर्ष)

(सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता सहित)

Bachelor of Social Work (First Year)

(With Specialization in Community Leadership)

मॉड्यूल–2

विकास की समस्याएं और मुद्दे

(Issues and Problems of Development)

प्रायोजक

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद

संचालन

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय

चित्रकूट, सतना (म.प्र.) – 485334

स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री
Self -Instructional Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल-2

विकास की समस्यायें एवं मुद्दे

Issues and Problems of Development

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व)

Bachelor of Social Work (Community Leadership)

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला-सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

मॉड्यूल–2 : विकास की समस्यायें एवं मुद्दे (Issues and Problems of Development)

अवधारणा एवं रूपरेखा : संस्करण 2017

बी.आर. नायडू , आई.ए.एस. प्रमुख सचिव
जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव
अशोक शाह, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा एवं मार्गदर्शन:

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्श:

डॉ. अरुण गोपाल
डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति
जयश्री कियावत,आई.ए.एस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण
उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन–अभियान परिषद

लेखक मण्डल:

डॉ टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति
डॉ. अमरजीत सिंह
डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास

लेखन सहयोग :

श्री श्याम बोहरे
श्री रेगी थॉमस
श्री सचिन जैन, विकास संवाद

वेटिंग मण्डल :

प्रो. एच.एम. मिश्र, प्रशासन अकादमी, भोपाल
प्रो. रामचन्द्र चन्द्र सिंह
डॉ. जितेन्द्र शर्मा

रेखांकन :

कु. प्रतिभा देवी, श्री सोवन बनर्जी एवं श्री लिंगेश

मुद्रक एवं प्रकाशक :

ग्रामोदय प्रकाशन के लिए कुलसचिव
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला–सतना (मध्यप्रदेश) – 485334, दूरभाष– 07670–265411

सम्पर्क :

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)
ई–मेल– cmcldpcourse@gmail.com, मोबाइल– 9424356841

श्री आर. के. मिश्रा, राज्य सलाहकार (यूनिसेफ) सी.एम.सी.एल.डी.पी.
ई–मेल– rkmishraguna@gmail.com, मोबाइल– 9425171972

आभार:– इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। पाठ्यक्रम के परामर्शदाताओं का अनुभव और सुझाव भी इसमें शामिल है। सभी के प्रति आभार।

माड्यूल–2 : विकास की समस्याएँ एवं मुद्दे

प्रस्तावना

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत **समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व)** मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी पहल है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियों को तैयार करना है, जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें। समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओतप्रोत नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हो, बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम की या अपने आस–पास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सकें। यह कार्य चुनौती भरा है, किन्तु असम्भव नहीं है। यथार्थ में अपने क्षेत्र के विकास में आपके योगदान से ही **स्वर्णिम मध्यप्रदेश** का स्वप्न साकार हो सकेगा। इसी की पहली कड़ी के रूप में यह पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें परिवर्तन और विकास के दूत बनाने के लिए आपको सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आप ग्राम के विकास के प्रयासों को वैज्ञानिक स्वरूप दे सकें। आप जो भी सामुदायिक कार्य करें वह स्थायी हो, सबके सहयोग से हो और सबके विकास में सहयोगी हो। इस दृष्टि से समुदाय विकास के कुछ महत्वपूर्ण आयामों को इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपके ज्ञानवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु समायोजित किया गया है।

सैद्धांतिक विषयों की कड़ी में प्रस्तुत यह दूसरामाडयूल है, जिसका शीर्षक **'विकास की समस्यायें एवं मुद्दे' है**। इस माडयूल में विकास से संबंधित विविध पहलुओं की जानकारी दी गयी है। मॉड्यूल में विकास के आयाम, सूचकांक, विकास की समस्यायें एवं चुनौतियों, सतत् विकास एवं विकास की प्रक्रिया को संचालित करने के विविध तरीकों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री को रुचिकर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर विकास की सफल गाथाओं को भी शामिल किया गया है। इस मॉड्यूल के माध्यम से आपको विकास के जटिल समझे जाने वाले अवधारणात्मक आयामों पर गहरी जानकारी प्राप्त होगी। सम्पूर्ण सामग्री को सरल बनाने के उद्देश्य से रेखाचित्रों और अन्य दृश्य तत्वों का प्रयोग किया गया है।

विश्वास है कि सामग्री आपके लिए रुचिकर और ज्ञानवर्धक साबित होगी।

2.1.0 विकास : एक संवाद (Development : A Dialogue)

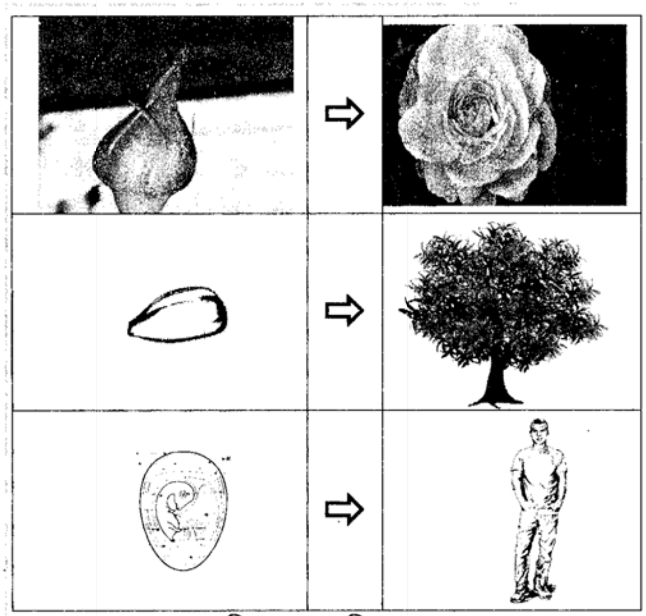
NOTES

2.1.1 अवधारणा

विकास कभी न तो स्थिर होता है, न ही स्थायी। जैविक वस्तुओं का ही विकास होता है, कृत्रिम वस्तुओं का नहीं। कृत्रिम को केवल बनाये रखा (maintain) जा सकता है। विकास यदि विगत की तुलना में वर्तमान में बेहतर है (गुणवत्ता में) तो भविष्य में भी संभावनायें अच्छी बनती हैं। विकास यदि संख्या में अधिक है, गुणवत्ता की कमी है तो वह टिक नहीं पायेगा। उसे सतत् नहीं बनाया जा सकता है। अतः विकास का उद्देश्य वर्तमान में संसाधनों/क्षमताओं का करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है।

इस प्रकार विकास का शाब्दिक अर्थ है–आवरणों/अवरोधों से मुक्ति।

- जैसे एक बीज का अंकुर बनना और धीरे–धीरे अंकुर से पेड़ का आकार लेना।
- जैसे एक कली का प्रस्फुटित होकर पुष्प का रूप धारण करना।
- जैसे एक रज से भ्रूण और भ्रूण से जीवन अपना आकार लेता है।



चित्र 2.1 विकास

वैसे ही हर वस्तु में जो छुपी हुयी संभावनायें हैं उन्हें पूर्ण आकार लेने की प्रक्रिया ही विकास है। इस विकास प्रक्रिया को समझना ही प्रस्तुत पाठ्यक्रम का लक्ष्य है। आइये इस विकास प्रक्रिया को समझें–

- क्या हमने कभी यह सोचा कि विकास की विविधता के स्थान पर विकास का एकाकीपन क्यों पैदा हो रहा है?
- पहले परिवार में व्यक्तियों के समूह के साथ–साथ तुलसी का बिरवा, पालतू चिड़िया /पशु, वृक्ष–लतायें, बाग–बगीचे भी परिवार की परिधि में ही आते थे। लेकिन अब क्यों यह सब कुछ बदलता जा रहा है?

NOTES

- व्यक्तिगत रूप से सब चाहते हैं कि हमारा विकास हो, परिवार के रूप में हम विकास के आकांक्षी होते हैं। प्रदेश की सरकारें विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व, देश को विकास की नवीन ऊँचाइयाँ देने के लिए नई–नई योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत हैं । फिर भी अपनी भलाई की उन सारी बातों को हम पूरी तरह ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं ?

  उपरोक्त सभी बातों के लिए भी अपने देश के अनेक सामुदायिक नेतृत्व द्वारा मार्ग प्रशस्त किया गया है। आइये इनकी एक झलक देखें–

मेरा गाँव मेरा पुण्यतीर्थ– अण्णा हजारे

ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर। एक पेड़ के नीचे शहर में पढ़ रही दो बहनें प्रेरणा और भारती गाँव–घर के हाल–चाल पर चर्चा कर रही हैं। विचारमग्न प्रेरणा एक गीत गुनगुनाने लगती है–

औरों के हित जो जीता है,
औरों के हित जो मरता है।
उसका हर आंसू रामायण,
प्रत्येक कर्म ही गीता है।।

भारती : दीदीं गाना तो अच्छा है। क्या आज कोई ऐसा है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के हित के लिए मरता है। आज तो जहाँ देखो वहाँ लोग अपने लिए ही जी रहे हैं।

प्रेरणा : नहीं दीदी! ऐसा नहीं है। तुमने अण्णा हजारे का नाम तो सुना होगा। आज उनकी कहानी भी सुन लो।

भारती : हाँ–हाँ! क्यों नहीं दीदी! सुनाओ ना! उनका नाम तो रेडियो, टेलीविजन पर मैंने कई बार सुना है, देखा है। आज उनके बारे में अधिक गहराई से जान सकूँगी।



चित्र 2.2अण्णा हजारे

प्रेरणा : पहले अण्णा हजारे भारतीय सेना में थे। अपने गाँव रालेगण सिद्धि आए। चारों तरफ दुर्दशा देखी। गाँव के युवकों की दिशाहीन टोली देखी। शराब का जलवा जगह–जगह झगड़ा–फसाद देखा। अण्णा ने ठाना कि वे गाँव की दुर्दशा बदलेंगे। सरकारी पैसे की राह नहीं

देखी। निजी पेंशन के पैसे लगा दिये, गाँव की भलाई में। बदलाव की एक कड़ी शुरु हुई। अण्णा ने यादव बाबा मंदिर में नवयुवकों को एकत्र किया और सामाजिक सरोकार के पाँच मुद्दे दिए। वह थे–

NOTES

- नसबंदी
- नशाबंदी
- चराई बंदी
- कुल्हाड़ी बंदी
- जुआ बंदी

मुद्दों पर अमल हुआ। गाँव के हालात बदलने लगे। बारिश का पानी दिशाहीन होकर बह जाता था। उसे जमा करके सहेजने के इंतजाम हुए। **"सुजलाम् सुफलाम्"।** का संकल्प पूरा हुआ। जल के अच्छे प्रबंधन का लाभ मिला। रालेगण सिद्धि में फसलें लहलहाने लगीं।



चित्र 2.3 अण्णा जी का पंचशील

भारती : दीदी! आजकल तो जितने अधिक पैसे उतनी अधिक बुराइयाँ। रालेगण सिद्धि में इन बुराइयों ने डेरा क्यों नहीं जमाया?

प्रेरणाः जमाती कैसे? अण्णा जी ने बदलाव के सभी आयामों पर लोगों को जोड़कर काम किया। नशाबंदी से गाँव का माहौल बदला, तो यादव बाबा के मंदिर में पाठशालायें लगने से गाँव में पढ़ाई–लिखाई का काम भी होने लगा। झगड़ा–फसाद छूटता चला गया। अपनेपन का माहौल बना। सहज माहौल से लोगों के जीवन में सृजन साकार हुआ। इस तरह अण्णा जी ने गाँव के प्रत्येक ताने–बाने को भी जोड़ा। गाँव की बेहतरी के काम में सबका मन भाया। गाँव की महिलाओं को आत्म सम्मान से जीने की राह दिखाई। नई पीढ़ी को शिक्षा का सूरज दिखाया, और इस तरह अण्णा जी के पुरुषार्थ से रालेगण सिद्धि में जो बदलाव आया, वह आज आदर्श गाँव के रूप में दुनियाँ के लिए एक मिसाल है।

भारती : वाह दीदी! अण्णा जी के बारे में सुनकर यह विश्वास हो गया कि **जहाँ चाह है वहाँ राह है**। ठान लें तो हम भी अपने गाँव की तस्वीर को बदल सकते हैं।

NOTES

प्रेरणा : हाँ–हाँ! क्यों नहीं।

भारती : दीदी! एक बात मेरे मन में आती है। रालेगण सिद्धि में तो लोगों के पास जमीन थी। खेती–बाड़ी थी। परन्तु ऐसे गाँवं, जहाँ ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन ही नहीं है। वहाँ विकास कैसे होगा? बदलाव कैसे आएगा?

प्रेरणा : वहाँ भी बदलाव आएगा। तमिलनाडू के एक गाँव में ऐसी ही समस्या थी परन्तु वहॉं के सर्व सम्मानित सामुदायिक नेता इलंगो ने जो किया, वह इस समस्या के समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। उसे सुनो–

भारती : हाँ दीदी! जल्दी बताओ।

मेरा हथियार रोजगार–इलंगो

प्रेरणा : मद्रास का नाम तो तुमने सुना होगा।

भारती : हाँ दीदी! लेकिन अब उसे चेन्नई कहते हैं।

प्रेरणा : हाँ–हाँ मान गई। वहाँ कूत्तमबाक्कम नाम का एक गाँव है। चार सौ परिवारों की बस्ती है। 20 साल पहले गाँव की हालत खराब थी। शराब बनाना मुख्य व्यवसाय था। आर्थिक स्थिति खराब थी।



चित्र 2.4 इलंगो अपने गांव के सौर ऊर्जा प्रयोगशाला में

भारती : तो दीदी! क्या कूत्तमबाक्कम भी रालेगण सिद्धि जैसा ही था।

प्रेरणा : हाँ, लेकिन वहॉं लोगों के पास उपजाऊ जमीन न के बराबर थी।

भारती : तो क्या कूत्तम्बाक्कम को भी कोई अण्णा हजारे जैसा मिला?

प्रेरणा : हाँ बहन! इलंगो के रूप में मिला।

भारती : दीदी विस्तार से बताओ न।

प्रेरणा : इलंगो पढ़ा–लिखा नवयुवक था। उसके दिल में गाँव का दर्द था। कारैक्कुडि में स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशाला सेक्री (CECRI: Central Electro Chemical Research Institute- Under CSIR)में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते थे। गाँव की दयनीय दशा ने उन्हें झकझोर दिया था। सभी से इलंगो ने गाँव की दशा बदलने का संकल्प लिया। अपने सरकारी पद को त्याग दिया। गाँव के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा के साथ वे अकेले ही चल पड़े।

मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर।

लोग साथ आते गये और कारवाँ बनता गया।।

भारती : दीदी! फिर उन्होंने क्या किया?

प्रेरणा : सबसे पहले तो उसने गाँव की शराब की भट्टियों को तोड़ दिया। अब रोजी–रोटी की समस्या आ गई। ''समत्वपुरम'' नामक एक शासकीय योजना का लाभ लेकर गाँव के मकानों को फिर से सुव्यवस्थित रूप में बनाना शुरू किया। इससे लोगों को रोजगार मिला और गॉव की गाड़ी चल पड़ी। पर कितने दिन! काम खत्म होने के पहले नये रोजगार के लिए पहल जरूरी थी। उन्होंने गाँव की मूलभूत जरूरतों की सूची बनाई। उससे संबंधित छोटे–छोटे उद्योग–धँधे जैसे तेल पेराई, गेहूँ पिसाई जैसी गतिविधियाँ शुरू कीं। लोगों को साथ लेकर जनविरोधी कार्यों को रोकने की पहल की। धीरे–धीरे रचनात्मक कार्य बढ़े। रोजगार के सुअवसर प्राप्त हुये। कूत्तमबाक्कम पूरे भारत में एक आदर्श, आत्मनिर्भर और आधुनिक गाँव बना।



चित्र 2.5ईलंगो का fuel efficient stoveकारखाना

भारती : दीदी! मेरा मन कहता है कि एक दिन अपना चंदनखेड़ा भी ऐसा ही एक आदर्श गॉव बन सकेगा।

प्रेरणा : **चंदनखेड़ा ही क्यों? मध्य प्रदेश और देश का कोई भी गाँव आदर्श गाँव बन सकता है। जरूरत है जागरूकता की। साझा प्रयासों की। भविष्य की नई राह गढ़ने की। सरकार का मुँह**

NOTES

ताकने के बजाय खुद उठ खड़े होने की। बोलो क्या तुम तैयार हो?

NOTES

भारती : हाँ–दीदी, क्यों नहीं? पर, जहाँ प्राकृतिक आपदा विकास का रास्ता बार–बार रोककर खड़ी हो जाये, वहाँ का क्या होगा?

प्रेरणा : जब भारतीय समाज संगठित हो जाता है और उचित नेतृत्व मिल जाता है, तो सब सम्भव है। आओ अब तुम्हें पानी वाले बाबा की कथा सुनाती हूँ। उन्होंने सब को साथ लेकर राजस्थान के उन इलाकों में पानी की समस्या का हल किया। जहॉ लोग पानी के अभाव में गॉव छोडकर बाहर जाने लगे थे।

भारती : दीदी! पूरी बात बताओ।

जल है तो कल है : राजेन्द्र सिंह

प्रेरणा : भारती! यह तो तुमने सुना ही होगा कि–

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।

पानी गये न उबरे, मोती मानस चून।।

मतलब, पानी बगैर कुछ भी नहीं हो सकता।

भारती : तो फिर पानी वाले बाबा कौन हैं, उन्होंने इसके लिए क्या किया?



चित्र 2.6जोहड के पास राजेन्द्र सिंह

प्रेरणा : चमत्कार! वह भी लोगों के साथ मिलकर। पानी वाले बाबा का नाम राजेन्द्र सिंह है। वे लोगों को साथ लेकर समाज की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी ताकत से काम करने वाले एक दूरदर्शी नवयुवक हैं– अपने कामों के लिए उन्हें सरकार से और देश के बाहर से अनेक सम्मान और प्रशंसा प्राप्त हुई हैं जिसमें विश्व प्रसिद्ध मेग्सेसे पुरस्कार प्रमुख है।

यह विकासगाथा राजस्थान के अलवर जिले की है। वहाँ पहले से ही बारिश कम थी। जो पानी बरसता भी, वह नदी–नालों से बहकर समुद्र में पहुँच जाता। राजस्थान में पानी की कमी के कारण प्राचीन काल से ही पानी को बचाकर रखने की तकनीक समाज ने विकसित की थी। कुएँ, बावड़ी, ताल–तलैया और जोहड़ों में बारिश का पानी संभालकर रखा जाता था। समय बदला और बदलते समय के साथ–साथ पानी को संजोकर रखने वाली संरचनाएँ भी धीरे–धीरे लुप्त होती गईं। भूमिगत जल निरंतर नीचे गिरता जा रहा था। अनेक नदियाँ सूख गई थीं। खेती–बाड़ी सब खराब। चारों ओर निराशा। पानी आए तो कैसे?

NOTES

भारती : तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकला?

प्रेरणा : एक अच्छे सामुदायिक नेता की तरह राजेन्द्र सिंह ने इस समस्या को गहराई से समझा। लोगों का दर्द महसूस किया। सोचा कि पहले पानी को थाती के रूप में संभालकर रखा जाता था तो अब क्यों नहीं। क्या पहले जैसी संरचनाएं फिर नहीं बनाई जा सकतीं? काम की योजना बनी। पूरी ताकत से पानी को बटोरकर रखने का काम। पुराने कुएं तालाबों की मरम्मत हुई। छोटे–छोटे लगभग आठ हजार बाँध बने। बारिश की एक–एक बूंद व्यर्थ न जाए, इसकी व्यवस्था की गई। देखते ही देखते सैकड़ों जल–संरक्षण संरचनाएं बनकर तैयार होने लगीं। जिनमें साल के ज्यादा दिनों तक पानी रहता है। इससे धरती के अंदर का जलस्तर भी बढ़ने लगा। पर चमत्कार तो तब हुआ जब यहाँ की पाँच ऐसी नदियाँ जो लुप्त हो गईं थीं, उनमें फिर से जलधारा प्रवाहित होने लगी। मेहनत रंग लाई। आज तरूण भारत संघ (राजेन्द्र सिंह की अगुआई वाली संस्था) के प्रयास से अलवर का यह सूखा क्षेत्र अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए आज प्रसिद्ध है।

भारती : दीदी! जिन गाँवों की कहानी आपने सुनाई उनमें तो अच्छा नेतृत्व करने वाले लोग थे। ग्रामीणों का दुख–दर्द समझकर, सहभागी योजना बनाकर, लक्ष्य को प्राप्त की क्षमता रखने वाले लोग, पर ऐसे लोग हर गाँव के नसीब में थोड़े ही हैं? जहाँ नेतृत्व न हो, क्या उन गाँवों में भी बदलाव की कोई तरकीब है? हॉ, क्यों नहीं, सुनो–

NOTES

कुडुंबश्री : केरल

प्रेरणा : केरल में कुडुंबश्री एक ऐसा ही अभियान है जिसने वहाँ के बहुत से गावों की तकदीर बदल दी है। वहाँ के ग्रामीण आस–पास रहने वाले लोगों का एक समूह बना लेते हैं। इसे पड़ोसियों का समूह (neighbourhood community) कहते हैं। ये समूह आजकल स्थानीय योजनाओं के लिए एक बुनियादी इकाई बन गये है। पड़ोसी समूह में किसी एक कारोबार में रूचि रखनेवाले लोग अपने बीच में एकस्वयं सहायता समूह (SHG: Self Help Group) बना लेते हैं और सेवात्मक (services) या उत्पादक गतिविधियों में लग जाते हैं। कभी कभी दो तीन पड़ौसी समूह एक बड़ा समूह बना लेते हैं। यह प्रयोग बड़ी तेजी से आर्थिक–सामाजिक स्वावलंबन ला रहा है। पड़ोसी समूहों के माध्यम से अनेक उद्योगों और सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जैसे– नारियल के तेल की पेराई, घरेलू सामान बनाना, खिलौने बनाना, यातायात सेवाएँ देना और सुपर मार्केट चलाने जैसी अनेक गतिविधियाँ। यहाँ व्यक्ति नहीं, बल्कि समूह ही प्रधान होता है और अपने सपने पूरे करता है।


कुटुम्बश्री का भोजनालय


कुटुम्बश्री टैक्सी सर्विस


कुटम्बश्री की कारीगरी उत्पादन


कुटुम्बश्री के वाद्य

चित्र 2.7 कुटुम्बश्री की गतिविधियों की झलक

भारती : दीदी! क्या सभी गाँवों में समस्याएं होती हैं? बिना समस्याओं के भी कोई गाँव है क्या?

प्रेरणा : नहीं तो! समस्याएँ न हों तो जीवन में विकास की भूमिका ही नहीं बन पाती हैं। विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल कर वातावरण बनाना, यही तो जीवन का अर्थ है। कहा भी है –

NOTES

वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या,
जब पथ में बिखरे शूल न हों।
नाविक की धैर्य परीक्षा क्या,
जब धाराएँ प्रतिकूल न हों।।

समस्या यह है कि लोग परिवर्तन के साथ समायोजन नहीं बैठा पाते हैं। जबकि परिवर्तन प्रकृति का दूसरा नाम है। कभी लोगों को लगता है कि हालात अच्छे नहीं हैं। कभी कोई न कोई सामुदायिक समस्या खड़ी हो जाती है। परिस्थितियों के विपरीत होने से जीवन कठिन हो जाता है। ऐसी स्थितियों में अपने भीतर का नेता उभरकर सामने आता है। परिस्थितियों की समीक्षा करता है। अपने संसाधनों को तौलता है। लोगों से मिलकर साझा लक्ष्य बनाता है और साथ लेकर समस्या के हल के लिए प्रयत्न करता है।

भारती : तो क्या सारे प्रयास सफल होते हैं?

प्रेरणा : पूरे मनोयोग से, सबको साथ लेकर आत्मबुद्धि से बनाई गई नीतियों पर चलकर खड़ा किया गया अभियान सफल होता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

भारती : दीदी! समाचार पत्रों में कुछ देशों को विकसित, कुछ को अविकसित और कुछ को विकासशील क्यों कहते हैं? इस तरह की तुलना का क्या मतलब है? समझाओ न!

प्रेरणा: संसार के बहुत से देशों ने मिलकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक संगठन बनाया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ.) कहते हैं। इसी का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)। इसने कुछ मानक बनाए हैं, जो यह बताते हैं कि किस देश में विकास की क्या स्थिति है? विकास को मापने के लिए जो पैमाने बनाए हैं उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन–स्तर, लैंगिक स्थिति, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर इत्यादि प्रमुख है। विभिन्न देशों में इन मानकों के अनुसार जो स्थिति बनती है। उसी के आधार पर यह तय होता है कि विकास के क्षेत्र में कोई देश किस स्तर पर पहुँच सका है।

NOTES

भारती : अच्छा! यह तो बताओ कि हमारे देश की विकास के पैमानों पर क्या स्थिति है?

प्रेरणा : हमारा देश निरंतर तरक्की कर रहा है। बहुआयामी विकास भी हो रहा है। फिर भी बहुत से मानकों में हम विकसित देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं।

भारती : दीदी! अभी हमारा प्रदेश कहाँ तक पहुँच सका है?

प्रेरणा : हमारे प्रदेश में भी बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र में विकास के आधार पर हमें दो बार **राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार** से सम्मानित किया जा चुका है। फिर भी विकास के अनेक मानकों में अपना प्रदेश पीछे है। पूर्व में हमारे राज्य को बीमारू या अविकसित राज्य कहा जाता था परन्तु अब विकास के सभी सूचकांकों पर हमारी स्थिति बेहतर प्रमाणित हुई है। अभी भी विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

भारती : मैं समझ गई दीदी, कि विकास गाँव के लिए जरूरी है। परन्तु मैं मध्य प्रदेश के विकास के अन्य मुद्दों को भी गहराई से समझना चाहती हूँ।

प्रेरणा : यह तो बड़ी अच्छी बात है। पर क्या आज ही सब समझ लोगी या बाद के लिए भी कुछ छोड़ोगी?

भारती : दीदी! जब अपने गाँव, अपने प्रदेश के विकास की बात हो रही है तो कोई चुप कैसे बैठ सकता है। मैं भी जल्दी–जल्दी सब बातें जानकर अपने गाँव और प्रदेश की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरा मार्गदर्शन करिए।

हमने जाना :

- भारत में रालेगण सिद्धी जैसे अनगिनत गाँव हैं। जहाँ गरीबी, बेकारी, नशाखोरी जैसी अनेक कुरीतियाँ समाज को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। लोग खुद की स्थिति समझने की शक्ति नहीं रखते और समाज दिशाहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति से छुटकारा तब प्राप्त होता है, जब कोई नेता (अण्णा जैसा) समाज को दिशा देता है।

- रालेगण सिद्धि जैसे गाँव में करीब–करीब सब के पास जमीन है। समस्या थी– तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की। लोगों को इकट्ठा करने की। सही ढंग से प्रशिक्षित करने की। आने वाले सामाजिक गतिरोधों का सामना करने की।
- भूमिहीन गरीब समूहों की समस्या जटिल होती है। वे साधनहीन और दिशाहीन होते हैं। सामाजिक कुरीतियों के सहज शिकार बन जाते है। इंलगो जैसे नेता ऐसी परिस्थिति में लोगों का मार्गदर्शन करते हैं।
- कभी–कभी परिवेश एवं वातावरण इतना बिगड़ा हुआ होता है कि पूरे क्षेत्र में भौतिक परिवर्तन लाने के लिए लम्बे समय तक जनसमूह को साथ लेकर काम करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में राजेन्द्र सिंह जैसा नेतृत्व आदर्श होता है।
- जब समाज शिक्षित होता है। तब समाज में सहकारिता द्वारा संगठित होना और उपलब्ध योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ना सम्भव होता है। उदाहरण के लिए– केरल की कुटुम्बश्री की कहानी इसके लिए संकेत करती है।

NOTES

विकास की इन सच्ची कहानियों में हमें विकास के विविध संदर्भों की झांकी मिलती है। साथ ही यह आशा और विश्वास भी दिलाती हैं कि विकास सम्भव है।

कठिन शब्दों के अर्थ :

- **अण्णा के नारे**–नसबंदी = परिवार नियोजन; नशाबंदी = मदिरा निषेध; चराई बंदी = खेतों में जानवरों को खुला छोड़ने की मनाही। कुल्हाडी बंदी = वृक्षों को काटने से मनाही। अतः हरियाली से खुशहाली लाने के लिए इस प्रकार के रोक लगाना पड़ता है।
- **कुटुम्बश्री** : कुटुम्ब याने परिवार एवं श्री याने संपन्नता एवं समृद्धि। टीप : मलयालम में इसे कुडुम्बश्री (Kudumbshree) कहतें हैं।
- **एस.एच.जी** : Self Help Group स्वयं सहायता समूह।
- **विकसित, अविकसित, विकासशील**–इन शब्दों कोसहीरूप में जानने के लिए इस माडयूल में आगे विस्तार से जानकारी दी जायेगी।

NOTES

अभ्यास के प्रश्न :

1. अण्णा हजारे, इलंगो, राजेन्द्र सिंह, एवं कुटुम्बश्री की कहानियो के संदर्भ में निम्न तालिका भरो।

क्र	प्रश्न	रालेगण सिद्धि	कूत्तम्बाक्कम	अलवर	कुडुंबश्री
1.	बुनियादी समस्या				
2.	आर्थिक समाजिक पर्यावरणीय इनमें कौन से बिन्दु मुख्य है, और क्यों?				
3.	विकास प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई?				
4.	आलोचना / समीक्षा				

2. आपके क्षेत्र के विकास में (शासकीय अथवा गैर शासकीय प्रयासों से) यदि कुछ अनुकरणीय कार्य हुए हों तो उनका वर्णन कीजिए।
3. आपके गांव / शहर की समस्याऐं क्या हैं?
4. आपके गांव के एक या दो समस्याओ के समाधान के बारे में अपना विचार रखें।

■■■

2.2.0 विकास के आयाम : उपलब्धियाँ, सूचकांक एवं चुनौतियाँ

(Dimensions of Development : Achievements, Indicators and Challenges)

NOTES

अभी तक आपने यह जानने का प्रयत्न किया है कि विकास क्या है? अब आप इस इकाई में जान सकेंगे कि विकास के आयाम क्या हैं? विकास की प्रक्रिया क्या है? विकास के मानक क्या हैं? और भविष्य में आने वाली चुनौतियॉ क्या हो सकती हैं। आइये अब विकास के आयाम से प्रारंभ करते हैं।

वैसे तो विकास के विविध आयाम हैं लेकिन मुख्य आयाम निम्नलिखित हैं–

- सामाजिक विकास
- आर्थिक विकास
- मातृ एवं शिशु विकास
- कौशल विकास
- कृषि, बागवानी तथा पशुपालन विकास
- उद्योग एवं शिल्प विकास
- तकनीकि प्रशिक्षण में विकास
- जल संसाधन विकास, आदि

उपरोक्त आयामों को समझने के लिए आइये अब हम आपको विकास के कथानक के माध्यम से प्रकाश डालते हैं।

भारती: दीदी! अब आप कृपया मातृ एवं शिशु विकास के बारे में समझाइये।

प्रेरणा: वैसे तो मातृ एवं शिशु विकास एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। यदि शिशु का विकास किया जाना है तो सबसे पहले माँ का विकास करना बहुत जरूरी है। इसके लिएं मॉ सामाजिक, प्राकृतिक और आर्थिक वातावरण सुदृढ़ करना बहुत जरूरी है। चूँकि गर्भ में शिशु को जो पोषक तत्व मिलता है उसका आधार मॉ के द्वारा लिया जाने वाला पोषण आहार प्रमुख है। माँ के भीतर चलने वाला विचार प्रवाह उसके गर्भस्थ शिशु को भी गहराई से प्रभावित करता है। इन सबके लिए अन्य विषयों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

भारती: दीदी! आपकी बातों में गहराई है। आगे अन्य आयाम पर भी मार्गदर्शन करिए।

प्रेरणा: जीविकोपार्जन एवं आवश्यक सम्पत्तियों की सुव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास का आधार बहुत जरूरी है। व्यक्ति के पास अपार क्षमता होती

NOTES

है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इसी क्षमता के आधार पर अलग नजर आता है। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता विशेष को विकसित होने का सुअवसर प्रदान करें और उस क्षमता का उपयुक्त समय और विधि से दोहन करें तो पूरा समाज जो भी योगदान देगा उसमें समृद्धि के साथ–साथ बहुआयामी संतुष्टि भी विकसित होगी।

भारती: दीदी! आपने अभी जो बात बताई उसमें आर्थिक विकास के साथ–साथ समाजिक विकास भी जुड़ा हुआ है। क्या समाजिक विकास आर्थिक विकास के लिए जरूरी है?

प्रेरणा: हॉ, बिल्कुल। सारे विकास का उद्देश्य समाज की खुशहाली है। उसके लिए अन्य आयामों का विकास जरूरी है।

भारती: दीदी! विकास की प्रक्रिया को और स्पष्ट रूप से समझाइये।

प्रेरणा: इसे समझने के लिए शिशु के जन्म को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यदि किसी एक घर में शिशु का जन्म होता है तो उसका संबंध केवल उसे घर में ही सीमित नहीं रह जाता। उसका खानदान, उसके पड़ोसी और यहॉ तक कि पूरा ब्रम्हाण्ड शिशु जन्म की घटना (event) से जुड़ जाता है। मॉ के पोषण के लिए जो पोषक तत्व आवश्यक हैं, वह घर की सीमाओं के भीतर नहीं प्राप्त हो सकेगा। दूध के लिए गाय चाहिए। गाय बिना खेती के पाली नहीं जा सकती और खेती बिना बीज, खाद, पानी के नहीं की जा सकती। इस प्रकार शिशु के जन्म की एक छोटी सी घटना से विकास के बृहद आयामों को समझा जा सकता है।

भारती: दीदी! विकास को मापने का पैमाना क्या हो सकता है? उसे उदाहरण देकर समझाइये।

प्रेरणा: इसके लिए निम्नलिखित सिद्वान्त और कथानकों द्वारा समझना जरूरी है।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP: Gross Domestic Product)

किसी देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक विकास को मापने का एक संकेतक हैं।यह उस देश की सीमा के अंदर संबंधित वर्ष भर के उत्पाद एवं सेवाओं के वित्तीय मूल्य को जोड़कर प्राप्त होता है।

इसकी गणना में इस्तेमाल होने वाली तीन विधाओं मे एक है-- व्यय आधारित गणना।

NOTES

इस विधा के अनुसार जी डी पी, व्यय के निम्न चारों अंगों को जोडकर गणना की जाती है।

- C-लोगों द्वारा अपने घर के उपयोग के लिए व्यय–खाद्य वस्तुयें, वस्त्र आदि सामग्री एवं सेवायें।

  (Private consumpton from households- for example goods and services such as food, clothes, laundry etc.)

- I-उद्योगों द्वारा अपने उद्योग की क्षमता बढाने के लिए किए गए व्यय–नये यंत्र, कार्यालय भवन आदि।

  (Investment from firms to increase productive capacity- for example purchasing machines,office building etc.)

- G-सरकार की ओर से निवेश–अस्पताल, शालाएं एवं अन्य संसाधन के लिए।

  (Spending from Government (for eg: to build hospitals, schools, infrastructure etc)

- (X-M)- विदेशों द्वारा हमारे देश के उत्पाद एवं सेवा के लिए किये गये कुल व्यय। इसको सामान एवं सेवाओं के निर्यात से आयात को घटाकर पायी गयी राशि।

  (Spending from foreign consumers on goods and services produced within our country. This is calculated by measuring net exports (subtracting the value of imports from the value of exports of goods and services))

उक्त परिभाषा के आधार पर हम जीडीपी को निम्न सूत्र द्वारा अभिव्यक्त कर सकते है:

GDP = C+I+G+(X-M)

इसके लिए एक काल्पनिक द्वीप को उदाहरण के रूप में लेते हैं। द्वीप का नाम **"प्रगतिद्वीप"** है और उसमें निम्नलिखित उत्पाद उपलब्ध है।

NOTES

क्र.	मद	उत्पाद प्रति नग (रू.में)	कुल संख्या	उत्पाद प्रति वर्ष (रू. लाख में)
1.	नारियल पेड़	400	1,00,000 नग	400
2.	मछली उत्पाद	50,000 रू. प्रति टन	1,000 टन	500
3.	प्रगतिद्वीप के उद्यमी द्वारा विदेशों में उत्पाद	—	—	100
4.	गन्ना उत्पाद	1,000 रू. प्रति टन	20,000 टन	200
			सकल राष्ट्रीय उत्पाद (1+2+3+4)	**1200**

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में किसी देश द्वारा अर्जित कुल आय का ब्यौरा होता है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में केवल देश विशेष की भौगोलिक सीमाओं के अंदर होने वाले उत्पादन और आय को शामिल करते हैं।

उक्त तालिका के मद क्र. 3 में जो उत्पाद है, वह ''घरेलू'' नही है। अतः हम उसको अलग करें, तो शेष याने 1+2+4, 1100 लाख रूपये का उत्पाद ''प्रगतिद्वीप'' को मिलता है।

सकल राष्ट्रीय आय से विकास की पूरी और सही तस्वीर स्पष्ट नहीं होती। उदाहरण के लिए भारत की सकल राष्ट्रीय आय जापान की सकल राष्ट्रीय आय की तुलना में बहुत अधिक है तो क्या यह समझा जाए कि भारत जापान से अधिक सम्पन्न है। यह निष्कर्ष भ्रामक होगा क्योंकि आबादी की दृष्टि से भारत की जनसंख्या 120 करोड़ है, जबकि जापान की जनसंख्या मात्र 13 करोड़ के आस–पास है। अतः भारत की सकल राष्ट्रीय आय स्वाभाविक रूप से अधिक होगी ही तो फिर आर्थिक विकास को मापने का सही आधार क्या हो सकता है? अनेक अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास के मापन का सही आधार मानते हैं।

सकल राष्ट्रीय आय को यदि उस देश की जनसंख्या से विभाजित किया जाए तो जो मूल्य प्राप्त होता है उसे अर्थशास्त्री **प्रति व्यक्ति आय** कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय भी अर्थिक विकास को मापने का एक पैमाना है।

NOTES

उक्त उदाहरण में यदि हम द्वीप की आबादी को 4400 मान लें, तो प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद आय (GDP per capita)

110,00,000 / 4400 = 25,000 रूपये प्रतिव्यक्ति, प्रतिवर्ष होगा।

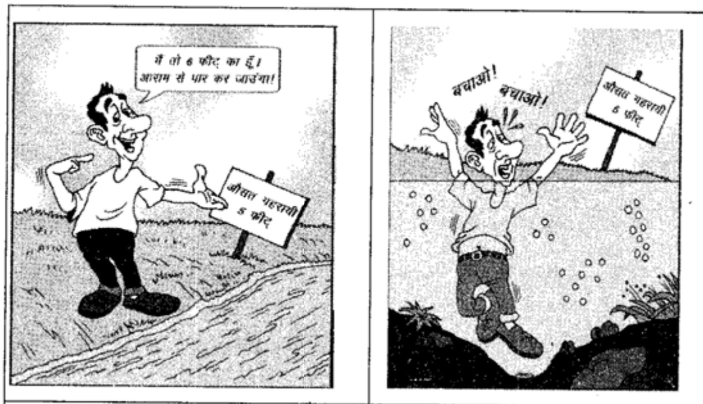
ऊपर की तालिका को हम GDP एवंGDP per capita के साथ पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं–

क्र.	मद	उत्पाद प्रति नग (रू. में)	कुल संख्या	उत्पाद प्रति वर्ष (रू. लाख में)
1.	नारियल पेड़	400	1,00,000 नग	400
2.	मछली उत्पाद	50,000 रू प्रति टन	1,000 टन	500
3.	प्रगतिद्वीप के उद्यमी द्वारा विदेशों में उत्पाद	–	–	100
4.	गन्ना उत्पाद	1,000 रू प्रति टन	20,000 टन	200
	सकल राष्ट्रीय उत्पाद (1+2+3+4)			**1200**
	सकल घरेलू उत्पाद (1+2+4)			**1100**
	प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद,GDP per capita=110,00,000 / 4400			**0.25**

किन्तु GDP per capita के आधार पर गणना की गई, आर्थिक विकास के निष्कर्ष भी आभासी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए– एक हजार रूपये की राष्ट्रीय आय वाले देश में यदि जनसंख्या 100 है तो प्रति व्यक्ति आय 10 रूपये होगी। यदि सकल राष्ट्रीय आय का 1000 रूपये में से 900 रूपये दो व्यक्तियों के पास हों और शेष 100 रूपये में 98 व्यक्ति हों तो दो व्यक्तियों की आय ही प्रति व्यक्ति आय को आभासी रूप से बढ़ा देती है, जबकि 98 व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय 1 रूपये के आस–पास है। अतः यह पैमाना भी आर्थिक विकास की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता।

NOTES

प्रतिव्यक्ति आय के बारे में गाँधीजी की गहरी सोच थी। गाँधीजी का कहना था कि प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर विकास को समझना उतना ही खतरनाक है जितना औसत गहराई को मानक मानकर नदी पार करने का प्रयास।

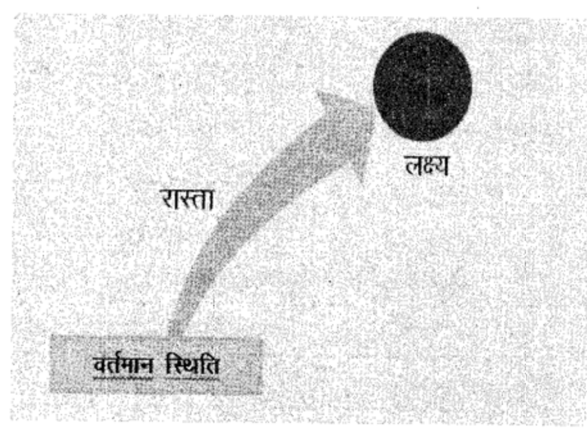


चित्र 2.8प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर विकास को समझना उतना ही खतरनाक है जितना औसत गहराई को मानक मानकर नदी पार करने का प्रयास– गांधी जी।

2.2.1 विकास की प्रक्रिया का सांकेतिक प्रादर्श (Indicative Model : Processes of Development)

विकास के विश्लेषण में तीन बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है–

- समाज या समुदाय की वर्तमान स्थिति क्या है? (परिस्थिति)
- समाज या समुदाय को कहाँ पहुँचना है? (लक्ष्य)
- समाज या समुदाय को लक्ष्य पर पहुँचने के लिए रास्ता (पहुंचमार्ग–approach) क्या है ?



चित्र 2.9विकास प्रक्रिया के मुख्य अंश– वर्तमान स्थिति, लक्ष्य एवं रास्ता

एक समाज को उसके वर्तमान स्थिति से लक्ष्य की ओर ले जाने का कार्य वैसा ही है जैसा एक उपग्रह (satellite) को अंतरिक्ष (space) के निर्धारित स्थान में पहुंचाना। कल्पना कीजिए कि हमें चन्द्रमा पर पहुँचना है। इसके लिए हमें सबसे पहले यह विश्लेषण करना होगा कि हम वर्तमान में कहाँ हैं? किस तरीके से चन्द्रमा पर पहुँच सकते हैं?

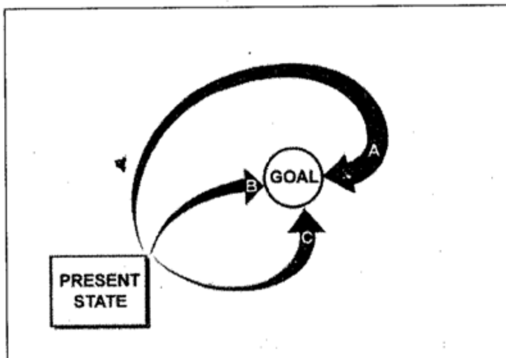
चित्र 2.9 से स्पष्ट है कि लक्ष्य के पहुंच मार्ग की जटिलता के बारे में सही ज्ञान न होने पर व्यक्ति आगे नहीं बढ पाता। गलत रास्ते के चयन से हास्यस्पद स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

NOTES



चित्र 2.10व्यक्ति चंद्रमा की ओर यात्रा करने के प्रयत्न में।

कठिन प्रश्न यह उठता है कि क्या वर्तमान स्थिति से लक्ष्य और अन्ततः उद्देश्य तक पहुँचने का एक ही मार्ग होता है; या भिन्न–भिन्न मार्गों से उस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं।



चित्र 2.11वर्तमान स्थिति से लक्ष्य तक पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते ।

चित्र 2.11 से स्पष्ट है कि वर्तमान स्थिति से लक्ष्य तक पहुँचने के लिए–

- रास्ता A से जा सकते हैं।
- रास्ता B से भी जा सकते हैं।
- रास्ता C से भी जा सकते हैं।

क्या सभी रास्ते बराबर हैं?

शायद हाँ! शायद नहीं भी! यह उपयोग किये जाने वाले साधन पर निर्भर है। उदाहरण के लिए यदि आप नागपुर में किसी से चेन्नई जाने का रास्ता पूछेंगे, तो वह आपसे पूछेगा–

- ○ क्या आप ट्रेन से जाना चाहते हैं?
- ○ या बस से जाना चाहते हैं?
- ○ या वायुयान से जाना चाहते हैं?

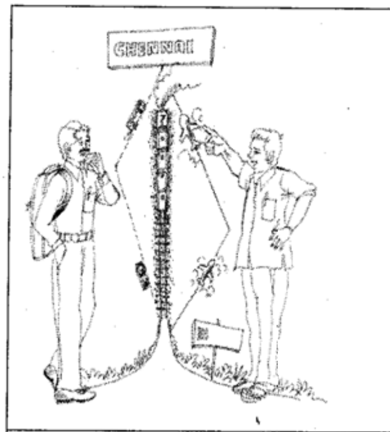
NOTES

जैसे ही आप अपनी प्राथमिकता बताएँगे, वह समाधान बतायेगा–

☞ यदि वायुयान से जाना है तो आप मुंबई होकर जायें।

☞ यदि ट्रेन से जाना है तो विजयवाड़ा होकर सीधे पहुँच सकते हैं।

☞ यदि ऑमनी बस से जाना है तो पहले हैदराबाद जायें फिर वहाँ से चेन्नई के लिए दूसरी ऑमनी बस पकड़ें।



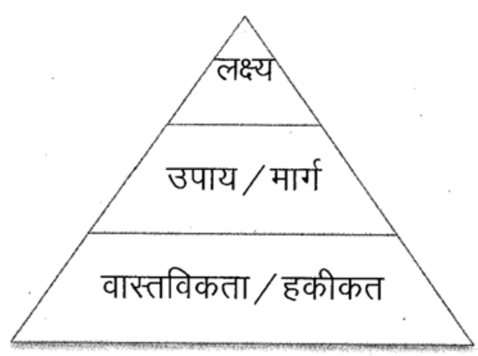
चित्र 2.12नागपुर से चेन्नई जाने के पहुंच मार्ग अनेक हो सकते हैं।

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि लक्ष्य तक पहुँचने के कई रास्ते हो सकते हैं। रास्ते का चयन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है–

- लक्ष्य पर पहुँचने के लिए किन साधनों की उपलब्धता हैं?
- लक्ष्य पर पहुँचने के लिए किस साधन के उपयोग की क्षमता (हैसियत) आपके पास है?
- लक्ष्य पर पहुँचने के लिए समय–सीमा क्या है एवं कौन से अन्य अवरोधक हैं?

इन तीनों के मेल–जोल से ही सही रास्ते का निर्धारण हो सकता है। वस्तुतः लक्ष्य और वर्तमान परिस्थिति को समझकर रास्ते का चुनाव होता है। अंतिम निर्णय विकल्पों की उपलब्धता और उनके उपयोग करने की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। जिस प्रकार यह एक व्यक्ति के प्रकरण में है, वैसें ही इसे हम सामाजिक संदर्भों में भी देख सकते हैं।

प्रबंधन क्षेत्र के विद्वान इस अवधारणा को निम्नलिखित रेखाचित्र से स्पष्ट करते हैं–



चित्र 2.13 हकीकत, लक्ष्य एवं परिवर्तन का उपाय

अब आइये लक्ष्य पर पहुँचने के विविध मार्गों पर चर्चा करते हैं। हमने देखा कि रास्ते कई हो सकते हैं। सबसे बेहतर रास्ते का चुनाव किस आधार पर किया जाए? इसे एक उदाहरण से हमने स्पष्ट किया। किन्तु यह तकनीक का मामला है। तकनीक अनेक हो सकती हैं। तकनीक का उपयोग अनेक बातों पर निर्भर है–

NOTES

- क्या संबंधित समूह उस तकनीक को जानता है?
- यदि जानता है, तो क्या उस तकनीक के उपयोग की क्षमता (पैसे, मानव संसाधन, ऊर्जा) समूह के पास उपलब्ध है?
- यदि तकनीक जानता है, तकनीकी के उपयोग की क्षमता भी है। परन्तु क्या उसतकनीक पर लोगों का पूरा यकीन है?

मान लीजिए संबंधित समूह किसी भी रास्ते (पहुँच मार्ग) को अपनाने के लिए पर्याप्त आर्थिक क्षमता रखता है, लेकिन ऐसा समूह कभी–कभी अपनी समस्या के साथ ही रह जाता हैं, क्योंकि उनके बीच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो पूरे समूह को समझा सके कि–

- वर्तमान स्थिति / समस्या क्या है?
- कौन–सी स्थिति पर पहुंचना हमारा लक्ष्य है ?
- उसके लिए क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा?

उदाहरण के लिए हम दक्षिण अफ्रीका में गाँधीजी के प्रयोग को ले सकते हैं।

गाँधीजी एक वकील थे। इस कारण वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की सामाजिक स्थिति से भली–भाँति परिचित थे। और सही स्थिति को वहाँ के भारतीय जनसमूह को समझाने में सफल रहे।

- समुदाय को एकत्रित करके उन्होंने यह समझाने में सफलता पाई किवे भी ब्रिटिश शासन के अंग है। अतः उन्हें भी अन्य नागरिकों के समान जीवन बिताने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार उन्हेंसाथ लेकर समुदाय के संघर्ष के लक्ष्य को निर्धारित किया।
- गाँधीजी जानते थे कि हिंसक संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में सफल नहीं हो सकता। संसाधनों की दृष्टि से भारतीय कमजोर हैं। इतना ही नहीं गाँधीजी सरकार से सीधा विरोध लेकर भारतीयों के रोजगार के अवसर भी समाप्त नहीं करना चाहते थे। इस संदर्भ में उन्होंने विचार किया कि कौन सा रास्ता सफल हो सकता है– हिंसा का अथवा अहिंसा का ? गांधीजी मानते थे कि, उचित साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की

NOTES

पवित्रता भी अनिवार्य है। अतः अहिंसक सत्याग्रह में ही उन्हें सही मंजिल तक पहुँचने का रास्ता दिखाई दिया।

गाँधीजी ने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के बीच में सच्चे सामुदायिक नेता की भूमिका निभाई। लक्ष्य की पहचान की। सही रास्ते का निर्धारण किया। जोखिम उठाकर लोगों की सहभागिता से ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य को झुकने पर मजबूर किया।आपको नेतृत्व के बारे में और अधिक जानकारी माड्यूल 3 की इकाई 1 एवं 2 में मिलेगी।

2.2.2 सूचकांक (Index)

आइये! अब हम आपको एक ऐतिहासिक घटनाक्रम बताते हैं।

गाँधीजी के आर्थिक सिद्धांतों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य जिन्होंने किया, और जिन्हें सतत् विकास की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है, उनका नाम **डॉ. जे.सी. कुमारप्पा** था और उनके प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम हैं ("Economy of Permanence" जो कि पूरी दुनियाँ में प्रसिद्ध है। डॉ. कुमारप्पा ने गांधी जी के सानिध्य में नागपुर के नजदीक स्थित वर्धा में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की (1934)। सन् 1955–60 की अवधि में वे मदुरै के पास के कल्लुप्पट्टी में स्थित गांधीनिकेतन में रहते थे। उस समय सामाजिक विकास योजना के जन्मदाता श्री–एस.के.डे. (S.K.De) उनसे मिलने गए। वे भारत के सामाजिक विकास की योजनाओं के बारे में डॉ. कुमारप्पा को बताने लगे।

उस समय डॉ. कुमारप्पा ने यह मुद्दा उठाया कि विकास को कैसे नापोगे? डे साहब के उत्तर से संतुष्ट न होकर कुमारप्पा ने एक अद्भुत सिद्धांत को हास्य रूप में सामने रखा। उन्होंने कहा–विकास धरातल तक पहुँचा या नहीं इसे जानने के लिए आम आदमी के शरीर में उभरकर बाहर दिखने वाली पसलियों की हड्डियों की गिनती कीजिए। उसके आधार पर व्यक्ति के विकास का सांख्यिकी निकालिये और विश्लेषण कीजिए।



चित्र 2.14विकास का एक व्यवहारिक मापन

NOTES

वास्तव में डॉ. कुमारप्पा की दृष्टि अंतिम आदमी की दशा पर थी। जबकि पाश्चात्य देशों की दृष्टि पूरे देश के पूंजीपतियों के कारण मिलने वाली ताकत के ऊपर थी। अतः वे डॉलर व रूपये को ही विकास का प्रमुख और एक मात्र कारक मानते थे। कुमारप्पा के सुझाव को लागू करने से धरातल की स्थिति का पता लगाना सम्भव हो जायेगा। वास्तव में उत्पादन, आय आदि की सही सांख्यिकी जब मिलती ही नहीं, तब उसके आधार पर स्थिति को समझना भी असम्भव होता है।

भारतीः दीदी! क्या आर्थिक विकास ही सुख और संतुष्टि का एकमात्र पैमाना है?

प्रेरणाः देखो भारती! अनेक ऐसे देश हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत धनी हैं। वहाँ के लोगों के पास अपार दौलत है। फिर भी वहाँ के लोग सुखी नहीं हैं। आत्महत्या करने वालों का अनुपात उन देशों में दिन प्रतिदिन बढता ही जा रहा है। इससे धीरे–धीरे यह अहसास होने लगा है कि धन ही सुख का एकमात्र पैमाना नहीं है।

ऐसी परिस्थितियों में धन–दौलत वाले भी शांति से जीवन नहीं बिता पाएंगे। क्योंकि शान्ति तो मानव मन के भीतर की गहराई में छिपी है। वास्तव में धन का अर्थ है जोड़ना। अब प्रश्न यह उठता है कि हम जोड़ क्या रहे हैं। कोई दुर्लभ वस्तु या कहीं भी मिल जाने वाली बेकार की वस्तु। हम जिसे जोड़ेंगे वही तो पायेंगे न। पहले लोग धन संग्रह में सोने–चॉदी के सिक्के अपने पास रखते थे। उन धातुओं में अंनत गुण थे। आज नोट के रूप में कागज की रसीद धन संग्रह माना जाता है जबकि वह सोने–चॉदी को खरीदने की साख (Cradit) मात्र है।

2.3 चुनौतियॉ (Challenges)

भारतीः दीदी! आपने विकास के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। लेकिन आगे की चुनौतियॉ क्या हैं, इसे भी समझाइये।

प्रेरणाः वास्तव में शहरीकरण और पश्चिमी विकास माडलों की नकल के बुरे प्रभावों से हमारी प्रगति भी बाधित हुई। विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था प्रचलित थी। भारत नें गुट निरपेक्ष सिद्धांत को अपनाकर अपना विकास अभियान आगे बढ़ाया। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा नियोजित विकास की व्यवस्था बनी, जिसे 1951 में लागू किया गया। लेकिन विकास की विडम्बना ही कही जायेगी कि विभिन्न केन्द्रीय सरकारों ने पंचवर्षीय योजनाओं को अपने दृष्टिपथ एवं प्राथमिकताओं के आधार पर लागू किया जिससे विकास में कई प्रकार के मॉडल, जिसमें कई जगहों पर निरन्तरता का अभाव था, विकसित हुए। जबकि होना यह चाहिए था कि

NOTES

विकास में नीतिगत निरन्तरता बनीरहे। आइये इसे हम विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के संक्षिप्त विश्लेषण से समझे।

देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में आरंभ की गई थी। इसके बाद 1965 तक दो और पंचवर्षीय योजनांए बनाई गई। सन् 1965 के बाद पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाने के कारण योजना बनाने के कार्य में व्यवधान आया। लागातार दो साल का सूखा पड़ने, मुद्रा के अवमूल्यन, कीमतों में असामान्य वृद्धि और संसाधनों की कमी के कारण योजना प्रक्रिया बाधित हुई। 1966 और 1969 के बीच तीन वार्षिक योजनाओं के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना को 1969 में शुरू किया जा सका। केन्द्र में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य के चलते आठवीं योजना 1990 में शुरू नहीं की जा सकी । इस कारण 1990–91 और 1991–92 को वार्षिक योजनाएं माना गया। संरचनात्मक समायोजन की नीतियों की शुरूआत के बाद आखिरकार 1992 में आठवीं योजना को शुरू किया गया। नौवी पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर थोड़ा कम हुआ। आइए हम प्रत्येक पंचवर्षीय योजनावार प्राप्त हुयी उपलब्धियों पर एक नजर डालें।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956)

प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 5 सितम्बर 1951 को भारत की पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। इस योजना में बांधो और सिंचाई में निवेश, कृषि को प्रमुख क्षेत्र के रूप में लेकर हरितक्रान्ति को बढ़ावा देना था। यह योजना कुल 2068 अरब रूपये की थी । इसमें सात क्षेत्रों पर जोर दिया गयाः सिंचाई और उर्जा, कृषि व सामुदायिक विकास, परिवहन और संचार, उद्योग, सामाजिक सेवाएं शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास।

दूसरी योजना (1956–1961)

दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर केन्द्रित रहीं। इस योजना में औद्योगिक उत्पादनों के लिए घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहित किया गया था। इस दौरान पनबिजली परियोजनाओं के अलावा पांच स्टील प्लांट (राउरकेला, बोकारो, भिलाई, भारत हैवी इलेक्टिकल्स लि., नेपानगर का कागज कारखाना) स्थापित किये गये। कोयला उत्पादन बढ़ा दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल 4800 करोड़ राशि आवंटित की गई थी।

NOTES

तीसरी योजना – (1961–1966)

तीसरी पंचवर्षीय योजना में गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया। किन्तु 1962 में भारत–चीन युद्ध के दौरान रक्षा उद्योग की ओर ध्यान केन्द्रित करना पड़ा। बांधो का निर्माण जारी रखा गया। पंजाब में गेहूँ का बहुतायत से उत्पादन आरम्भ हुआ। राज्य बिजली बोर्डों व राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया गया।

चौथी योजना – (1969–1974)

चौथी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनी। उन्होंने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और भारत में हरित क्रांति भी लाई।

पांचवी योजना – (1974–1979)

पांचवी पंचवर्षीय योजना की नीव रोजगार, गरीबी, उन्मूलन और न्याय पर रखी गई थी। इस योजना में कृषि उत्पादन और बचत के द्वारा आत्मनिर्भरता लाने पर जोर दिया गया। इसी दौरान 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम बनाया गया।

छठवीं योजना– (1980–1985)

छठीं योजना आर्थिक उदारीकरण के रूप में चिन्हित की गई। इसमें खाद्य कीमतों में वृद्धि रोकने और जीवन यापन से संबंधित वस्तुओं के लागत में वृद्धि का निश्चय किया गया। जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से परिवार नियोजन पर बल दिया गया।

सातवीं योजना–(1985–1989)

इस योजना में उद्योगों की उत्पादकता स्तर बढ़ाने के प्रयास किए गए। अनाज के उत्पादन को बढ़ाने व रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने का निश्चय किया गया। बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासों को बल मिला। इस योजना में वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

आठवीं योजना–(1992–1997)

यह समय भारत में निजीकरण और उदारीकरण की शुरूआत का था। आठवीं योजना में जनसंख्या वृद्धि रोकने, गरीबी में कमी लाने, रोजगार सृजन को नियंत्रित करने आदि के लिए बुनियादी ढांचे निर्मित हुये। संस्थागत निर्माण,

पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायती राज, नगर–पालिका, गैर सरकारी संगठन और विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया गया।

NOTES

नौवीं योजना–(1997–2002)

इस योजना का लक्ष्य तेजी से औद्योगीकरण, मानव विकास, पूर्ण रोजगार, गरीबी में कमी, घरेलू संसाधनों में आत्मनिर्भरता थे। इसके अतिरिक्त इस योजना में कृषि को प्राथमिकता, ग्रामीण विकास पर जोर, रोजगार के साधन, गरीबी में कमी के उपाय, कीमतों में स्थिरता, अर्थव्यवस्था के विकास की दर में तेजी लाना आदि पर जोर दिया गया। सभी के लिए शिक्षा, सुरक्षित पानी आदि कार्य भीप्राथमिकता के साथ शामिल किए गए।

दसवीं योजना–(2002–2007)

इस योजना का उद्देश्य लाभकारी एवं गुणवत्तावाले रोजगार उपलब्ध कराना, स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना, साक्षरता तथा पुरूषों और महिलाओं की मजदूरी दरों में अंतर को समाप्त करना था।

ग्यारहवीं योजना–(2007–2012)

इस योजना का बजट 71731.98 करोड़ रखा गया। इस योजना का उद्देश्य कृषि वृद्धि की दर, उद्योग वृद्धि दर, सेवा वृद्धि दर तथा घरेलू उत्पाद दर को बढ़ाना था।

बारहवीं योजना–(2012–2017)

भूमंडलीकरण के इस दौर में भारत वर्ष तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। एशिया महाद्वीप और उसके बाहर हम एक ताकत बनकर उभरे हैं। तकनीकी विकास के क्षेत्र में भी हमारी उपलब्धियाँ बहुत सी हैं लेकिन चुनौतियाँ अभी खत्म नहीं हुई हैं। चीन जैसे देशों के उत्पादों की डंपिंग भण्डारण के कारण स्वदेशी उत्पादों पर आई चुनौतियाँ इत्यादि पर नये ढ़ंग से विचार करना, योजना बनाना और प्रभावी ढ़ंग से लागू करना जरूरी है।

विकास के कुछ मानको में तो हम विश्व की दौड़ में स्थान रखते हैं। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कुछ मानकों में हमारी स्थिति हमें गौरवान्वित नहीं करती। देश की आय तो बढ़ रही है लेकिन अमीरी–गरीबी की खाई भी बढ़ रही है। केवल बड़े–बड़े व्यवसायों और उनकी संपत्ति से देश नहीं बढ़ेगा। हमें आर्थिक आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक और समाजिक सशक्तीकरण करना पड़ेगा। विकास के सफल सिद्धांत हमारे पास हैं।

आज जरूरत है–

- युवाओं की उर्जा को राष्ट्रीय विकास में उपयोग करने की।
- महिला सशक्तिकरण द्वारा उनकी भागीदारी को बढाने की और उनको एक स्वावलम्बी विकास शक्ति के रूप में खड़ा करने की।
- ऐसे सामाजिक उद्यमियों की जो सबसे निचले स्तर पर लोगों को संगठित करने के लिए नेतृत्व प्रदान करें।

NOTES

हमने जाना :

- आर्थिक विकास को ही वैश्विक स्तर पर विकास माना गया और उसको मापने के लिए जी डी पी एवं जी एन पी जैसे सूचक बनाए गए। जी डी पी को आबादी से विभाजित करने से व्यक्तिगत जी डी पी मिलता हैं। हमने देखा कि इस संकेतक के आधार पर विश्व को विकसित, विकासशील, अविकसित और अति–अविकसितः इस तरह चार श्रेणियों में बांटा गया है।
- हमने उक्त प्रकार के औसत जी डी पी को विकास के संकेतक मानने पर आने वाली कठिनाइयों को गांधीजी एवं कुमारप्पा की आलोचनाओं द्वारा समझा।
- हमने सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के और विकास के बीच में क्या संबंध हैं – यह जानना शुरु किया।
- हमने यह जाना कि विकास की प्रक्रिया में तीन चीजें मुख्य हैं:
  – वर्तमान स्थिति
  – लक्ष्य (जहां पहुंचना हैं) और
  – पहुंच मार्ग

  हमने यह भी जाना कि लक्ष्य पर पहुंचने के लिए एक से ज्यादा मार्ग हो सकते हैं।

  असभ्य व्यक्ति या अविकसित समाज की पहली समस्या हैं कि वह अपनी वर्तमान स्थिति और उसके लक्ष्य को नहीं जानते है। वर्तमान स्थिति से उभरकर लक्ष्य की ओर रवाना होना और उसके लिए उचित मार्ग को चिन्हित करना तो उनकी शक्ति के बाहर हैं। इसीलिए किसी नेता का मार्गदर्शन आवश्यक हो जाता है।
- उक्त सिद्धांतों को हमने भारत की विकास यात्रा के साथ तुलना की। भारत के भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक साथ देखा और समझा। भारत की क्या स्थिति थी? उसने क्या लक्ष्य रखा? पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए उसने कैसे कदम कदम पर आगे बढ़ने की चेष्टा की।

- हमने देखा कि विकास में कई अवरोधक भी आते हैं। भारत को भी बदलती अंतर्राष्ट्रीय प्ररिस्थितियों का सामना करना पड़ा और अपना रास्ता बदलना पड़ा।

NOTES

कठिन शब्दों का अर्थः

संकेतक– किसी स्थिति का मापन, जैसे बुखार की स्थिति को सेन्टीग्रेड के नंबरों में प्रकट करते है।
लक्ष्य–अपना वांछित उद्देश्य।

अभ्यास के प्रश्न :

1. विकास के कौंन कौंन से आयाम अब तक सीखें? वे कैसे एक दूसरे से अलग हैं? उदाहरण सहित बताइये।
2. आर्थिक विकास को कैसे माप सकते हैं – उससे संबंधित तीन सूचकांकों को समझाइये।
3. क्या जी डी पी (व्यक्तिगत) एक देश के विकास को सही ढंग से प्रकट नहीं कर सकता – इससे आप सहमत हैं? हो तो कुछ उदाहरण दें। नहीं तो अपना मत स्पष्ट करें।
4. विकास की प्रकिया के पांच उदाहरण प्रस्तुत करें।
5. विकास के अनेक रास्ते हो सकते हैं – उदाहरण दें।
6. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं पर त्रुटियाँ ढूंढे। इसी प्रकार उसके समर्थन में पांच मुद्दे निकालें।
7. क्या विकास संबंधित कुमारप्पा की सलाह लागू करने योग्य हैं ?

अधिक जानकारी के लिए सन्दर्भ सूत्र

- जे.सी.कुमारप्पा की पुस्तक **इकोनोमी ऑफ परमानेन्स।**
- विकास, आर्थिक विकास एवं भारतीय अर्थशास्त्र विषय से सम्बन्धित एन. सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली की पुस्तकें।

■■■

2.3.0 विकास का आकलन (Measurement of Development)

जैसा कि बताया जा चुका है कि विकास के कई आयाम है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के आयाम को प्रस्तुत किया जा चुका है। यहाँ पर विकास के एक नये आयाम की बात की जा रही है, जिसे सतत विकास के नाम से जाना जाता है।

NOTES

2.3.1 सतत विकास की अवधारणा का उद्‌भव (Origen of the Concept of Sustainable Development)

भारती: दीदी! आपने विकास के विभिन्न पहलू और को बहुत अच्छे से समझा दिया है। परन्तु यह सतत् विकास क्या है? इसे भी समझाइये।

प्रेरणा: सन् 1972 और 1992 के बीच में कुछ महत्वपूर्ण घटनायें हुई। उन घटनाओं से आपको अवगत कराना आवश्यक है, ताकि आपके ही जीवन काल में चल रहें अक्षय विकास नामक अभियान को आप समझ सकें और उसमेंअपनी भागीदारी दे सकें। विश्व महायुद्धो के कारण जो अनुसंधान एवं तकनीकी विकास हुये, उनके परिणाम स्वरूप अनगिनत विलासिता की सामग्रियां बाजार में मिलने लगीं और इस कारण एक उपभोक्ता समूह आकार लेने लगा। साथ ही यह धारणा हुई कि मानव अपनी माँगों को बेहद बढ़ा सकता है। अमेरीका के MIT&Massachusetts Institute of Technology के'क्लब ऑफ रोम'नामक एक शोध दल द्वारा 'विकास की सीमा'(Limits to Growth)के नाम पर एक प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। इसमें बताया गया कि बढती हुई आबादी, प्रदूषण एवं कोयला–पेट्रोल–धातु आदि की कमी के कारण विकास की गति को हम बनाये नही रख पायेगे। उनकी भविष्यवाणी थी, कि पेट्रोल कुछ दशको में ही समाप्त हो सकता है।


चित्र 2.15मैडम ब्रन्टलैण्ड

उक्त भविष्यवाणी का नतीजा यह था कि पेट्रोल उत्पादन एवं निर्यात करने वाले देशो ने मिलकर पेट्रोलियम पदार्थोंके दाम को एकदम बढ़ाने का निर्णय लिया। पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि अब ईधन या उर्जा के बिना दुनिया कैसे आगे बढ सकती है। इसके फलस्वरूप वर्तमान विकास दर्शन के ऊपर कठोर आलोचना एवं वैकल्पिक विचार पर चिन्तन शुरू हुआ। वैकल्पिक उर्जा शोध का एक महत्वपूर्ण बिन्दु बन गई।

NOTES

इस विश्वव्यापी चिन्ता को लेकर संयुक्त राष्ट्रसंघ नेब्रन्टलैण्ड आयोग (Brundtland Commision)को स्थापित किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'हमारा साझा भविष्य'(Our Common Future-1987)में सतत विकास सिद्धांत की परिभाषा दुनिया के सामने रखी। उसके अनुसार–

'भविष्य की पीढियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करना''– सतत् विकास का दर्शन प्रस्तुत किया गया।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास हमारी आज की जरूरतों को पूरा करे, साथ ही आने वाली पीढियों की जरूरतों की भी अनदेखी न करे। सतत विकास में ऐसे आर्थिक तथा सामाजिक विकास शामिल हैं जो पर्यावरण तथा सामाजिक समानता को सुरक्षित रखते हैं। अतः सतत् विकास मनुष्य और उसके पर्यावरण के अंतर्संबंध को बताते हुए चेतावनी देता है कि मनुष्य पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं कर सकता क्योंकि इसमें अंततः मनुष्य की ही हार है। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधि के लाभों का समाज के सभी वर्गो में समान वितरण, मानव जाति की भलाई, स्वास्थ्य की रक्षा करना व गरीबी मिटाना है। यदि सतत् विकास को सफल होना है तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारी वर्तमान जीवन शैली तथा पर्यावरण पर उसके प्रभाव के संबंध में व्यक्तियों तथा सरकारों के दृष्टिकोणों में सुधार हो।

सतत विकास की दिशा में समस्त विश्व को ले जाने के लिए वैश्विक प्रयास के रूप में सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal - SDG) की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गयी है। इससे संबंधित जानकारी परिशिष्ट में दी जा रही है। इसका गहरायी से अध्ययन कर आप सहज ही समझ जायेंगें कि अनेक विकास मानकों पर भारत पीछे है। हमारे प्रदेश की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विकास लक्ष्यों से संबंधित गतिविधियों को अपने गांव और क्षेत्र में व्यावहारिक अभ्यास कार्य के माध्यम से संपन्न कर हम स्थितियों को बेहतर बना सकते हैं। बड़े और दुर्गम लगने वाले लक्ष्य जनसहभागिता के छोटे–छोटे प्रयास श्रृंखलाओं से प्राप्तियोग्य और हकीकत बन सकते है।

Box 1 How HDI is calculated(after 2010)

HDI combines three dimensions:

- A long and healthy life: Life expectancy at birth
- Education index: Mean years of schooling and Expected years of schooling
- A decent standard of living: GNI per capita (PPP US$)

In its 2010 Human Development Report, the UNDP began using a new method of calculating the HDI. The following three indices are used:

1. Life Expectancy Index (LEI) $= \frac{LE - 20}{82.3 - 20}$

2. Education Index (EI) $= \frac{\sqrt{MYSI \cdot EYSI}}{0.951}$

2.1 Mean Years of Schooling Index (MYSI) $= \frac{MYS}{13.2}$

2.2 Expected Years of Schooling Index (EYSI) $= \frac{EYS}{20.6}$

3. Income Index (II) $= \frac{\ln(GNIpc) - \ln(100)}{\ln(107,721) - \ln(100)}$

Finally, the HDI is the geometric mean of the previous three normalized indices:

$HDI = \sqrt[3]{LEI \cdot EI \cdot II}.$

LE: Life expectancy at birth

MYS: Mean years of schooling (Years that a 25-year-old person or older has spent in schools)

EYS: Expected years of schooling (Years that a 5-year-old child will spend with his education in his whole life)

GNIpc: Gross national income at purchasing power parity per capita

NOTES

NOTES

2.3.2 विकास के पैमाने (Parameters of Development)

भारती: दीदी! अब विकास के पैमाने तो समझाइये। विकास को मापेगें कैसे?

प्रेरणा: पूरे विश्व में यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल आर्थिक आधार पर विकास की गणना निरर्थक है। विश्व में विकास की सही तस्वीर को जाँचने–मापनेकेलिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में अनेक प्रयास हुए हैं। उनके द्वारा **मानव विकास सूचकांक** विकसित (HDI: Human Development Index)किया गया।

यह संकेतक पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद उलहक की पहल से हुआ और इसके निर्माण में भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की पूरी भागीदारी की।

उस समय विकास अर्थशास्त्र (Development Economic)का उद्देश्य राष्ट्रीय आय की गणना मात्र था। जबकि लोक केन्द्रित नीतियों पर भी ध्यान देना चाहिये– इस उद्देश्य से HDI का निर्माण हुआ।

इस संकेतक के तीन मुख्य बिन्दु और उनको मापने के लिए उपयोगी कारक इस प्रकार हैं :

- दीर्घ एवं स्वस्थ्य जीवन– जन्म के समय संभावित आयु
- शिक्षा संकेतक– औसत शिक्षण काल एवं सम्भावित शिक्षण काल दोनो के मिश्रण से।
- अच्छे जीवन के लिये उपयुक्त आय– सकल राष्ट्रीय आय (प्रतिव्यक्ति) के आधार पर।

उक्त गणना में कुछ सूत्र एवं विधि का उपयोग होता है। इसका विवरण बॉक्स 1 मेंदिया गया है। यह विधि 2010 के बाद से इस्तेमाल हो रही है– यद्धपि उसके पहले कुछ अन्य सूत्रों का उपयोग चल रहा था। (विस्तार से जानने के लिए आप इंटरनेट पर देख सकतें हैं)।

वास्तव में किसी भी संकेतक में कुछ अनुकूल एवं प्रतिकूल अंश होते ही हैं और अर्थशास्त्रियों का प्रयत्न रहा है कि पूरे विश्व से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसको बेहतर बनाते रहें। इसी कम में एचडीआई(HDI)को सुधार कर आईएचडीआई (IHDI) का निर्माण किया गया।

विकास के मापन के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्यसेन के नेतृत्व में गठित असमता समाहित मानव विकास सूचकांक (Inequality-adjusted Human Development Index) का

प्रचलन सन् 1990 में शुरू हुआ। पहली रिपोर्ट सन् 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित हुई। यह प्रथा अब तक जारी है और हर साल का प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

NOTES

2.3.3 सकल राष्ट्रीय खुशहाली (Gross National Happiness)

भारती: दीदी! विकास का अन्तिम लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। इसको कैसे नापेंगे?

प्रेरणा: संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास विभाग द्वारा लागू किए गए मानव विकास संकेतकों ने यह प्रश्न खड़ा किया कि मानव विकास संकेतकों मे उच्च स्थान में दर्शाये गए कई देशों में हिंसा, आत्महत्या, वैवाहिक अलगाव इत्यादि की समस्याएँ अधिक हैं। ऐसी परिस्थिति में मानव विकास सूचकांको से विकास का सही रूप सामने नहीं आ रहा है। इस प्रकार के सूचकांको के विकल्प रूप में ऐसे पैमाने होने चाहिए जो मानव जीवन के साथ–ही–साथ राष्ट्र की खुशहाली को प्रगट कर सकें।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के सतत विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solution Network) द्वारा प्रतिवर्ष **"विश्व खुशहली रिपोर्ट"** का प्रकाशन किया जाता है। जुलाई 2011 मे संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि संघ के सदस्य राष्ट्र अपनी जनता की खुशहाली को मापने का कदम उठाएँ और उसके आधार पर राष्ट्रीय नीतियों में उचित परिवर्तन लायें।

भूटान दुनियाँ का पहला देश बना, जिसने सकल घरेलू उत्पाद के विकल्प में खुशहाली के सूचकांक(Happiness Index) को आधार मानकर अपने देश के लिए विकास चिन्तन करने का निर्णय लिया। इस कदम के द्वारा भूटान ने पूरे विश्व का ध्यान खुशहाली सूचकांक की ओर आकर्षित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अप्रैल 2012 में खुशहाली को विकास का आधार मानने पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में भूटान के प्रधानमन्त्री को अध्यक्ष बनाया गया। कुछ महीने के बाद ओ.ई.सी.डी. (Organization for Economic Cooperation in Development)द्वारा खुशहाली को मापने का अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक प्रपत्र प्रकाशित किया गया। सितंबर 2013 में सयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा **"विश्व खुशहाली रिपोर्ट"** का दूसरा अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें 2010–12 के अंतराल में गैलप (Gallup) नाम के संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण को आधार माना गया।

सकल राष्ट्रीय खुशहाली (Gross National Happiness)संकेतक**और उसकी गणना करने का तरीका**

NOTES

निम्न छः करकों के आधार पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की गणना होती है–

1. प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP per capita)
2. स्वस्थ आयुष्काल (Healthy Life Expectancy)
3. आश्रय देने के लिए कोई हो (Having some one to count on)
4. अपने जीवन संबंधी निर्णय लेने के अधिकार (Perceived freedom to make life choices)
5. भ्रष्टाचार से मुक्ति (Freedom from corruption)
6. उदारता (Compassion)

–बिन्दु 1 में पूँजी और आय को स्थान दिया गया है। (जैसे सभी गणना में हैं)

–संकेतकों का दूसरा पैमाना अवश्य ही कुछ सामाजिक मुद्दों पर जोर देता है।

–पैमाने 3,4,5,6 सर्वेक्षण में प्रकट सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं निर्भय जीवन के अभिमतों के आधार पर खुशहाली में व्यक्तिगत इच्छाओं की एवं लक्ष्यों की पूर्ति संबंधित राष्ट्र के वातावरण को प्रकट करते हैं।

150 देशों मे सर्वेक्षण होता है। प्रश्नों पर लोगों के विचार दर्ज किये जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति विचार देता है। व्यक्ति अपने मत की गणना 0 से 10 अंक देकर प्रकट करता है। अंत में सांख्यिकी से औसत राय निकाली जाती है। आर्थिक, सामाजिक एवं खुशहाली की गणना एक साथ की जाती है।

वर्तमान में उक्त संकेतक से भी ज्यादा संवेदनशील संकेतक उभर चुका है।

भारतीः दीदी! सामाजिक प्रगति मापने के तरीके क्या हैं?

प्रेरणाः विकास को मापने का यह एक नवीन पैमाना है, जो समाज के विकास को आर्थिक विकास से न जोड़कर सीधे मापने के तरीके अपनाता है। इसमें 54 संकेतकों के माध्यम से सामाजिक एवं पर्यावरण से सबंधित परिस्थितियों की गणना की जाती है। यह **सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव** नाम की स्वैच्छिक संस्था द्वारा विकसित किया गया है। इस पैमाने के विकास में विश्वस्तर के चिंतक जैसे– अमर्त्यसेन, डगलस नॉर्थ एवं जोसफ के विचारों को आधार माना गया है।

सामाजिक एवं पर्यावरण से संबंधित कारकों द्वारा यह जाना जा सकता है कि कौन सा देश अपनी जनता के लिए इन तीन आयामों पर–

- बुनियादी जरूरतें पूरी करने में
- खुशहाली के लिए बुनियादी सुविधायें देने में एवं
- आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करने में

योगदान करने की स्थिति में हैं? योगदान की समीक्षा के लिए प्रायः निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जाता है–

- निजी सुरक्षा (personal safety)
- पर्यावरण प्रणाली का स्थायित्व (ecosystem sustainability)
- स्वस्थ एवं सुखकर आवास(healthy & comfortable shelter)
- स्वच्छता(cleanliness)
- समावेश(inclusion)
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता(persnoal freedom)
- चुनाव एवं निर्णय लेने की स्वतंत्रता।(freedom of choice and decison)

चिन्हित कारकों से पता चलता है कि मानव विकास संबंधी संकेतकों के निर्धारण में जनता को मिलनेवाली बुनियादी भौतिक सुविधाओं, समाजिक पर्यावरण एवं सतत विकास संबंधी कारकों पर विशेष जोर रहता है। निम्नलिखित तालिका से संकेतकों की प्रबलता और प्रभाव का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

NOTES

तालिका को पढ़ने के लिये निम्न टीप उपयोगी रहेंगें

- सामाजिक विकास संकेतक (SPI:Social Progress Index) निम्न तीन उप संकेतको द्वारा बनती है

  –BHN % Basic Human Need (Maximum 100 Marks)

  –FW % Foundation of Well being (Maximum 100 Marks)

  –O % Opportunities (Maximum 100 Marks)

- SPI उक्त तीनोंअंको के आधार पर तुलनात्मक ढ़ंग से बनता है और सबसे उच्च स्थान के लिये पहला रैन्क दिया जाता है।

NOTES

Table 2.2.3.aसामाजिक विकास संकेतक किन उप संकेतों से बनते हैं ?								
देश	सामाजिक विकास संकेतक		बुनियादी मानव आवश्यकताएँ		खुशहाली की बुनियाद		अवसर	
Country	Rank	Social progress	Rank	Basic Human Need	Rank	Foundation of well Being	Rank	opportunity
	SPI	Marks	BHN	Mark	FW	Mark	0	Mark
New Zealand	1	88.24	18	91.74	6	84.97	1	88.01
Switzerland	2	88.19	2	94.87	1	89.78	12	79.92
Denmark	9	86-55	1	95.73	8	84.82	13	79.1

हमने विकास के मापन के लिए अनेक संकेतकों की चर्चा पूर्व में की। इनका विश्लेषण तालिका के माध्यम से भी किया। चूँकि समाजिक प्रगति संकेतक में सबसे अधिक आयामों का समावेश है, इसलिए उसे अन्य संकेतकों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है।

तालिका(Table 2.2.3.a) में संबंधित 132 देशो में से सिर्फ तीन देशों के संकेतक दर्शाये गये हैं, ताकि समझने में आसान हो। पूरी तालिका इन्टरनेट पर उपलब्ध हैं।

आप देखेंगे कि देश के नाम के सामाजिक प्रगति संकेतक SPI दिया गया है।

उदाहरण के लिए पहले क्रम में रखे गए न्यूजीलैण्ड के विरूद्ध 88.24 दिया गया है। इसका मतलब न्यूजीलैण्ड को इन 132 देशों में सबसे ज्यादा अंक मिला है। साथ ही आप देखेंगें की पहले स्थान में रखे गए इसी देश के लिए निम्न अंक भी दिए गए हैं–

बुनियादी जरूरतें BHN	Basic Human Needस्थान–18 अंक–91.74
खुशहाली के लिए बुनियादFW	Foundation for well being स्थान–6 अंक–84.97
मौके/आगे बढने के अवसर,	स्थान 1 अंक–88.01
SPI = (91.74+84.97+88.01)÷3	= 88.24

2.3.4 वैश्विक स्तर पर मापन (Measurement at Global Level)

NOTES

भारतीः दीदी! विकास को मापने का वैश्विक पैमाना क्या है। समझाइये।

प्रेरणाः सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिव्यक्ति) जब प्रकाशित हुआ तो पूरे विश्व के देशों को चार वर्गों में बांटने की प्रथा शुरू हुई।

– विकसित देश(developed nations)

– विकासशील देश(devloping nations)

– कम विकसित देश (less develpoed nations)

– अतिकम विकसित देश (least developed nations)

उक्त विभाजन का मापदण्ड क्या है, हर श्रेणी में कौन कौन से देश आते हैं, इत्यादि जानकारियॉ विभिन्न रिपोर्टो में, किताबो में और वेबसाइट में देखा जा सकता है।

सकल राष्ट्रीय खुशहाली संकेतक के आधार पर विश्व के देशों को

– अत्यन्त खुशहाली की स्थिति

– खुशहाली की स्थिति

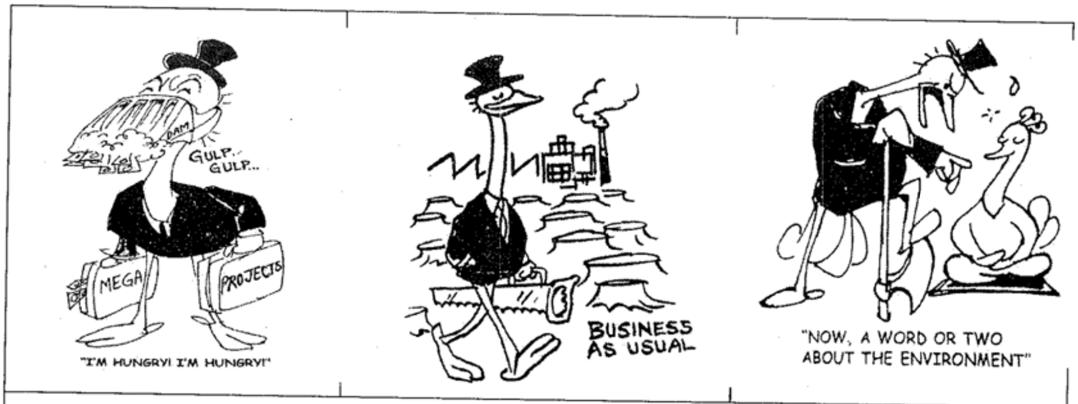
– सामान्य स्थिति

– दयनीय स्थिति

– अत्यंत दयनीय स्थिति

विश्व के हर देश की जिम्मेदारी को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा रियो–डि जेनैरियो (Rio de Janairo) में 1992 में एक विश्व सम्मेलन (Earth Summit)हुआ। इसमें यह माना गया कि वातावरण के प्रदूषण (environmental pollution), संसाधनों के हनन (resource depletion),ओजोन परत (ozone hole), भू–तापीकरण (global warming) इत्यादि समस्यायें पूरे विश्व के सामने एक चुनौती है। इसका कारण विकसित होने की प्रतिस्पर्धा में धनी देशों मे होने वाली उपभोक्ताजीवन शैली ही है। इसके लिए गरीब देश उतना जिम्मेवार नहीं हैं– उपभोक्ता यद्यपि इसका असर उन पर ज्यादा पड़ने वाला है।

NOTES



चित्र 2.18उपभोक्तावाद से जुड़े हुये कुछ देश अपनी आदतों से मुक्त न हो पाये। औरो को व्याख्यान करना तो आसान है

(विवेकानन्द केन्द्र प्रकाशन द्वारा कपार्ट मदद से प्रकाशित किताब "अक्षय विकास" से उद्धृत)

उक्त विश्लेषण के आधार परयह निर्णय हुआ कि विश्व में पर्यावरण के बिगड़ने की रफ्तार को रोककर उसको सतत विकास के रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी विश्व के धनी (यानि जी.डी.पी. संकेतकों के अनुसार "विकसित") देशों के ऊपर होगी। उसके लिये उपयुक्त धन को उपलब्ध कराना भी उनकी जिम्मेदारी होगी।

"एजेण्ड़ा –20" के नाम पर एक दस्तावेज बना जिसके निर्माण में विश्व के जाने माने भारतीय वैज्ञानिक ड़ॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने अहम भूमिका निभाई थी। यह माना गया कि एजेण्ड़ा 20 के आधार पर कई परियोजनायें चलाई जायेंगी। ऊर्जा, प्रदूषण, आदि से संबंधित नियमों को सभी देश लागू करेंगे। अविकसित देशों को सतत विकास के रास्ते में अपने देश के भविष्य कीयात्रा



चित्र 2.19पर्यावरण संबंधित शिष्टाचार तुम्हारे लिए | मेरे लिए अपने बिजनेस का ख्याल करना है न?

(विवेकानन्द केन्द्र प्रकाशन द्वारा कपार्ट मदद से प्रकाशित किताब "अक्षय विकास" से उद्धृत)

को आयोजित करने के लिये उनको सशक्त बनाने के लिये विभिन्न संस्थायें, परियोजनायें, और नवाचार चलाये जायेंगे ताकि पूरा विश्व विनाश की दिशा से मुड़कर सतत् विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा।

अमरीका जैसे कुछ धनी देश अपनी आर्थिक गतिविधियों में कोई परिवर्तन नही करना चाहते। उनका मानना था कि यदि प्रदूषणवाले समझौता पर हस्ताक्षर करें तो उनके अनेक कारखाने बंद हो जायेंगे और व्यापार और विश्वस्तरीय वाणिज्य में उनकें वर्चस्व के लिए चुनौतीबन जायेगा। अतः अमरीका जैसे कुछ देशों ने प्रदूषण को रोकने के कुछ कदमों पर भागीदारी नहीं की और संबंधित अंतराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किये। विकसित देशों के इस प्रकार के व्यवहार का क्या प्रभाव होगा?– इसका अनुमान लगाना तो बड़ा आसान हैलेकिन एजेण्ड़ा 20 का सपना वास्तविकता में परिणित नही हो पाया।

NOTES

दस साल बाद जब पुनः 1992 के सम्मेलन की तरह विश्व के देश 2002 में मिले तब एक शर्मिन्दगी का वातावरण बना और गाड़ी आगे निकल नहीं पाई।

इसके बीच में धनी देशों ने एक सृजनात्मक रास्ता निकाला।

"Carbon footprint" नामक एक संकेतक निकाला गया जो भू–तापमान के मापन के द्वारा वायुमण्डल प्रदूषण के स्तर को मापता है। जैसे मिथेन, कार्बन–डाई–आक्साइड जैसी वायु को वायुमण्डल में छोड देने के कार्य।

भारतीः दीदी ! इसको कम कैसे करें ?

प्रेरणाः– वृक्षों को लगाएँ ताकि वे इन दूषित वायु को हजम कर सके।

– नहीं तो उद्योगों को कम किया जायेया उनकी विधियों को सतत् विकास के तहत पुनर्गठित किया जाये। मुख्यतः क्लोरो फ्लोरो कार्बन (CFC : Chlorofluorocarbon) को उत्सर्जित करने वाले कुछ आधुनिक उद्योगों पर रोक लगाना होगा या नये शोध के आधार पर पुनर्गठित करना होगा।

अब धनी देश जो खुद अपने उद्योगों को पुनर्गठित करना नहीं चाहते, विकासोन्मुखी देशों से बोलने लगे हैं :"कार्बन वायु को उत्सर्जित करनेवाली प्रक्रियाओं को हम कम नहीं कर पायेंगे। आप इन वायु के प्रभाव को कम करने वाले कार्य करें और "Carbon footprint"को नीचे लायें। इस कार्य के लिए हम आपको कुछ मुआवजा दे देंगे।" इस विषय पर हुए क्योटो समझौता (Kyoto Protocol-11 Dec 1997 to be effective from 16 Feb 2005 till 31 Dec 2012: signed by 55 Countries)काफी चर्चित है और रियो सम्मेलन का एक बहुत छोटे प्रभाव के रूप में माना जा सकता है।

2.3.5 विकास के अवरोध (Barriers of Development)

NOTES

भारती: दीदी! जब विकास होता है तो अवरोध भी आता ही होगा न! यह औरों के सामने भी आया होगा। उदाहरण देकर समझाइये।

प्रेरणा: मोहम्मद यूनुस ढाका विश्वविद्यालय (बांग्ला देश) में अर्थशास्त्र के शिक्षक थे। उनके सामने समाजिक परिदृश्य में गरीबी मुख्य समस्या थी और रोजगार सबसे बड़ी चुनौती। एक रात मोहम्मद यूनुस ने दरवाजे पर किसी गरीब व्यक्ति की दस्तक सुनी। स्वर धीमा था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन बाहर आये तो देखा कि वह व्यक्ति उनके दरवाजे पर मरा पड़ा था। इस प्रकार की घटनायें नई नहीं थीं। परन्तु वेतनभोगी समूह पर इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा था। संवेदनहीनता व्याप्त हो चली थी। इस घटना ने मोहम्मद यूनुस को झकझोर कर रख दिया। वे सोचने लगे– मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। यदि अर्थशास्त्र इन परिस्थितियों के समाधान को ढूंढने के लिए कारगर नहीं हो सकता तो इस विषय की सार्थकता ही क्या है? इस विचार ने मोहम्मद यूनुस का जीवनदर्शन ही बदल दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे इस चुनौती का मुकाबला करेंगे और अपने ज्ञान को सामाजिक संघर्ष का हथियार बनायेंगे। मो. यूनुस उन गरीब महिलाओं से मिले जो टोकरी बना कर बेचती थीं इतने परिश्रम के बावजूद उनको भरपूर आजीविका नहीं मिल पाती है। इसका क्या कारण है ? इस व्यवसाय में तो मुनाफा होना चाहिए, लेकिन उसको हडपनेवाला कौन है? इस प्रश्न का उत्तर उनको अन्त में मिला। उनको पता चला कि कुछ बिचौलिओं द्वारा कच्चे माल को मुहैया कराया जाता है और परिश्रम के बदले बहुत छोटी रकम दी जाती है। मतलब करीब–करीब पूरा मुनाफा उन बिचौलियों के ही कब्जे में था।

यदि कार्यकर्ता खुद ही अपना कच्चा माल खरीद लेता तो उसके लिए कितने धन की जरूरत होगी ?यदि कच्चे माल के पूँजीनिवेश की शक्ति इन महिलाओं के पास आ गई तो पूरा मुनाफा इन्हीं को हासिल होगा। परन्तु पूँजी तो बैंकों में है और बैंकों का दरवाजा गरीबों के लिए हमेशा बंद रहता है।प्रो. यूनुस ने अपनी निजी पूंजी का निवेश करके एक महिला दल के स्वायत्त उत्पादन का प्रयोग किया और पाया कि मुनाफा कई गुना बढ़ गया। इस प्रयोग को आगे ले जाने के लिए प्रो. यूनुस को कई महिलाओं से मिलकर उनको संगठित करना था। परन्तु पर्दा प्रथा से प्रभावित इस्लाम धर्म की महिलाओं से मिलना प्रो. यूनुस जैसे मर्दो को सम्भव नहीं था। अतःवे अपने मार्गदर्शन में शोध करनेवाली छात्राओं को साथ ले

जाया करते थे। प्रो. यूनुस गली के बीच में खड़े होते थे और उनकी छात्रा हर प्रश्न के उत्तर पाने के लिए सामने की झोपड़ी तक दौड़ते हुए जाती और सूचना लाती। यह प्रकरण बहुत लम्बा और थकानेवाला था।

NOTES

इस प्रकार धुन के पक्के प्रोफेसर को देखने के लिए उत्सुक हो जाना हितग्राहियों के लिए स्वाभाविक था। कई महिलायें एक दिन एक झोपड़ी के अन्दर से खिडकी द्वारा प्रो. यूनुस को देखने लगी और उसी समय दीवार पर इतना जोर पड़ा कि दीवार गिर गई। तब प्रोफेसर और उनकी हितग्राहीं आमने सामने हो गए। महिलायें भी सीधे बात कर पायीं।

मो. युनूस की कहानी और उपलब्धियाँ तो लम्बी है, नोबल पुरस्कार तक। परन्तु उनकी जीवनी से एक झलक मिलती है कि विकास के प्रयत्नो में कौन–कौन सी बाधायें आ सकती हैं? इसी प्रकार के उदाहरण विकास के अनेकों प्रयासों में भरे पड़े हैं।

हमने जाना:

- उपभोक्तावादी समाज में पहले यह समझा जाता था कि विकास की कोई सीमा नहीं होती। अंत में भूमि की वहन–शक्ति (bearing capacity) की सीमा के होने का संदेश मिल चुका है।आज सतत् विकास का अभियान भी पुरी दुनिया में जारी है।
- धीरे–धीरे विकास सिर्फ आर्थिक आयाम का न रहकर सामाजिक,पर्यावरणीय आदि से भी जुड़ा हुआ साबित हुआ है। इसके प्रतिक्रिया में कई नए सिद्धांत निकल रहे हैं। यूएनडीपी के मानव विकास संकेतकों (Human Development Index) में आर्थिक, सामाजिक इत्यादि आयामों के लिए स्थान दिया गया परंतु उसमेंभी परिवर्तन करके 'असमानता समाहितमानव विकास संकेतक'का निर्माण करना पडा। हाल ही में कई क्रांतिकारी संकेतकों के उदय हुयें हैं– जैसे सकल राष्ट्रीय खुशहाली (GNH:Gross National Happiness), सामाजिक विकास सूचकांक(SPI: Social Progress Index), इत्यादि।
- हमने सतत् विकास सिद्धांत संबंधित विश्वव्यापी चेतना के बारे में जाना और यह भी जाना कि कई विकसित देशों की धारणा पर्यावरणीय सुरक्षा को अमल मे लाने के लिए अनुकूल नहीं हैं। वे अपने देशों की उद्योग पद्धति को बदलने के लिए तैयार हैं परंतु गरीब देशों को पैसा देकर खरीदना चाहते हैं और उनके द्वारा अपने देश के प्रदूषणकारी कार्यों का प्रायश्चित करवाना चाहतें हैं।क्योटो प्रोटोकॉल के आधार पर विकासोन्मुखी देश एवं गरीब देश प्रदूषण के प्रभाव को कम करने वाले कार्य कर रहे हैं

और उसके लिए मुआवजा पाते हैं। कार्बन फुटप्रिन्टके नाम पर एक नया करोबार शुरू हो गया है। परन्तु अनेक धनी देश अपने को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं।

NOTES

कठिन शब्दः

इस भाग में अनेक कठिन शब्द हैं जिनकी जानकारी अपनी जगह पर दी गयी है। फिर भी छात्रों से अपेक्षा है कि एक बार इंटरनेट से शब्दकोष में इन सिद्धांतों को बारीकी से समझें।

अभ्यास के प्रश्न :

1. इंटरनेट की मदद से निम्न तालिकाओं को डाउनलोड करके अपने अभ्यास पुस्तिका में लायें:
   (a)पूरे विश्व के HDI & IHDI तालिका(2013)
   (b)पूरे विश्व के GNH (Gross National Happiness)की तालिका (2013)
   (c)पूरे विश्व के SPI(सामाजिक विकास संकेतक) की तालिका (2013)
2. उक्त से संबंधित विश्व मानचित्रों को भी उद्घृत करें
   (a)हर तालिका में सबसे ऊपर के 20 देश और सबसे नीचे के 20 देशों पर नजर डालिए।
   (b)हर तालिकामें भारत का स्थान कहां हैं ? उसके ऊपर के पांच एवं नीचे के पांच देश कौन–से हैं?
   (c)आपके अध्ययन द्वारा लगता हैं कि जीडीपी और जीएनएच के बीच में कुछ फर्क पड़ रहा है ?
3. भूटान ने जी एन एच को अपने विकास का एक मात्र संकेतक माना। क्या आप इसको सही निर्णय मानते हैं ?
4. राष्ट्र स्तर पर एचडीआई प्रकाशित होता हैं उसी प्रकार हिन्दुस्तान के हर राज्य का भी एचडीआई प्रकाशित होता हैं। इंटरनेट द्वारा प्राप्त करके अध्ययन करें।

■■■

2.4.0 विकास की चुनौतियां– सामाजिक मुद्दे

(Chellanges of Development – Social Issues)

NOTES

भारतीः दीदी, भविष्य में विकास की क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं और अब तक जो चुनौतियाँ सामने आयीं उनसे कैसे निजात मिल सकी?

प्रेरणाः विकास की सबसे बड़ी समस्या सामाजिक चुनौतियों का सामना करना है। ये सामाजिक चुनौतियाँ शहरी हो अथवा ग्रामीण, प्रांतीय हो या राष्ट्रीय, सामान्य वर्ग की हो अथवा विशेष वर्ग की भारत के समस्त प्रकार के समुदायों के विकास के समक्ष समस्या के रूप में उपस्थित होती हैं। सामाजिक समस्याएं परंपराओं और रूढ़ियों से जुड़ने के साथ ही साथ लोगों की मानसिकता का परिणाम होती हैं, जिसका परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है किन्तु एक सामुदायिक नेता परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में सक्रिय, सक्षम, सहभागी एवं सतत् प्रयासों से इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकता है।

2.4.1 लिंग–विभेद (Sex Descrimination)

भारतीः दीदी, लिंग भेद की चुनौतियों के बारे में बताइये। आज यह एक विकट समस्या के रूप में सामने है।



चित्र 2.20कानून की दृष्टि में पुरूष और नारी समान है।

प्रेरणाः महिला और पुरूष दोनो प्रकृति के बहुमूल्य वरदान है। बिना प्रकृति के एक दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शरीर रचना के आधार पर भी दोनों अपने में विशिष्ट हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। दुर्भाग्य से इस समझ का अभाव पाया जा रहा है जिसके कारण बहुत सी समस्यायें विकास की राह में आकर खड़ी हो गयीं हैं। यह सौभाग्य की बात है कि महिलायें अब साक्षर और सशक्त हो रहीं हैं और पुरूष वर्ग भी इसके लिए स्वागत कर रहा है। आशा है कि अगले कुछ वर्षो में इस समस्या का निदान मिल सकेगा।

NOTES

2.4.2 महिला के प्रति हिंसा (Violence against Women)

भारतीः दीदी, महिलाओं के प्रति हिंसा का क्या कारण है और यह कितने प्रकार की होती है? बताइये।

प्रेरणाः आप जानती हैं कि माहिलाओं के साथ प्राचीन काल से ही भेदभाव किया जाता रहा है। इतिहास में इसके उदाहरण है कि वस्तुओं के समान महिलाओं एवं दासों का क्रय–विक्रय भी किया जाता था। इस प्रकार महिलाओं के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को महिला हिंसा के रूप में जाना जाता है। महिला हिंसा प्रत्येक समाज में पायी जाने वाली समस्या है। महिला हिंसा को निम्नांकित रूपों में विभाजित किया जा सकता है।

- **घरेलू महिला हिंसाः**

  परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार की किसी माहिला को आर्थिक, शारीरिक अथवा मानसिक शोषण करना या पीड़ा पहुंचाना घरेलू महिला हिंसा है। जैसे– पति का पत्नी को पीटना, मादक पदार्थो का सेवन करके घर में विवाद करना।



चित्र 2.21 घरेलू हिंसा

- **कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा :**

  परिवार के बाहर उसके कार्यस्थल पर किसी पुरूष द्वारा माहिला को आर्थिक, शारीरिक अथवा मानसिक शोषण करना या पीड़ा पहुंचाना कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा है। वर्तमान समय में सेवाओ में महिलाओं की संख्या बढ़ने के साथ ही इस प्रकार की हिंसा एक चुनौती बन गई है।

- **महिला भ्रूण हत्या :**

  पुरूष प्रधान मानसिकता अथवा दहेज इत्यादि की समस्याओं के चलते गर्भ में आते ही महिला भ्रूण को समाप्त करना अथवा पैदा होने के बाद बालिका की हत्या कर देने जैसा जघन्य अपराध हमारे देश के अनेक क्षेत्रों में व्याप्त हैं।

- **यौन शोषण** –बलात्कार, छेड़छाड़, कम उम्र की बालिकाओं व युवतियों का क्रय–विक्रय, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ इत्यादि।

- **दहेज हत्या**–दहेज के चलते बहुओं को ज़लाना या आत्महत्या करने के लिए बाध्य करना।

- **बाल विवाह एवं अन्य हिंसा** –कम उम्र के बच्चों का विवाह या घरेलू नौकर के रूप में उपयोग, पारिवारिक सम्मान के लिए बेटियों की हत्या इत्यादि।

NOTES

2.4.3 बाल विकास की समस्या (Problems of Child Development)

भारती: दीदी, बच्चों का मनचाहा विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या बाधायें हैं। समझाइये।

प्रेरणा: बच्चे राष्ट्र का भविष्य है। गरीबी एवं बेरोजगारी इत्यादि के चलते अनेक बच्चे शिक्षा इत्यादि के पर्याप्त अवसर की उपलब्धता के अभाव में समुचित विकास से वंचित हो जाते है। इसके अलावा पोषण के अभाव में बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित होकर अस्वस्थ वातावरण में कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। बच्चों का शोषण भी विकास को बाधित करता है। यह निम्नांकित रूपों में देखने को मिलता है।

- आर्थिक विपन्नता के चलते बाल श्रमिक के रूप में कार्य करना।
- अनाथ और संकटग्रस्त होने के कारण कुछ लोगों के द्वारा उनका क्रय विक्रय, करना, भिक्षावृत्ति में संलग्न करना या अन्य प्रकार से शारीरिक शोषण किया जाना।



चित्र 2.22 बाल श्रमिकः गरीबी का अमानवीय रूप

NOTES

2.4.4 मद्य सेवन (Alchohalism)

भारती: दीदी, मद्य सेवन के दुष्परिणामों के बारे में बताइयें।

प्रेरणा: सामाजिक समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या मादक पदार्थों या मनोत्तेजक पदार्थों के सेवन की लत है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के नशीले पदार्थ – मादक (नार्कोटिक्स) जैसे अफीम, गांजा, भांग, शराब, चरस, हशीश, हेरोइन, कोकीन इत्यादि के अलावा मनोत्तेजक (साइकोट्रोपिक) – रासायनिक प्रयोगशालाओं में निर्मित नशा प्रदान करने वाली दवाओं के सेवन की बुरी लत लग जाती है। इस प्रकार की लत का परिणाम परिवार, समाज एवं राष्ट्र की आर्थिक हानि के साथ ही साथ स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मादक पदार्थों के सेवन के पीछे यद्यपि अनेक कारण है लेकिन उन्हे हम जैविक, सामाजिक एवं मानसिक कारणों में विभाजित कर सकते है।

2.4.5 भ्रष्टाचार (Corruption)

भारती: दीदी, भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों के बारे में बताइये।

प्रेरणा: भ्रष्टाचार पैसे का दुरुपयोग करना मात्र नहीं है। किसी भी नियम को अपने हित में दुरुपयोग करना भी भ्रष्टाचार है। एक कदम आगे जाकर यह भी कह सकते हैं कि अपना कर्तव्य न निभाते हुए पात्र हितग्राहियों को किसी योजना से वंचित करना भी भ्रष्टाचार है। जन मान्यता बनती जा रही है कि शिक्षक, वैद्य, न्यायाधीश, जैसे हर पद में आज या तो अयोग्य लोग बैठे हैं या वो अपने स्वार्थ के लिए विकासनीतियों और सम्भावनाओं को ठुकरा कर गरीबों को वहीं के वहीं शक्तिहीन स्थिति में रहने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया से काफी क्षेत्रों में अशांति और हिंसा फैल रही है।

2.4.6 आतंकवाद एवं नक्सलवाद (Terrerism and Naxlism)

भारती: दीदी, आतंकवाद एवं नक्सलवाद के कारण क्या हैं। इसके बारे में भी बताइये।

प्रेरणाः देश के अनेक भाग आतंकवाद एवं नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित है। नक्सलवादी व आतंकवादी क्षेत्रों में व्याप्त भय के कारण लोग अपना विकास नही कर पाते है। बाहरी उद्योगपति एवं सरकार भी वहां

इस समस्या के चलते कोई बड़ा उद्योग व उपकरण नहीं लगा पाते है।

NOTES

इसके परिणाम स्वरूप वहां के लोगों का एवं संबंधित क्षेत्र का विकास बाधित हो जाता है।

आतंकवाद का उद्देश्य किसी क्षेत्र या राष्ट्र की जनता या सरकार को सुनियोजित अथवा भय उत्पन्न करने हेतु की गई हिंसा के माध्यम से राजनीतिक, धार्मिक या सैद्धांतिक परिवर्तन लाना रहता है।

आतंकवादी उपरोक्त तरीके से भय उत्पन्न कर अपनी जायज या नाजायज मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं। भारत में आतंकवाद प्रभावित निम्नांकित प्रमुख क्षेत्र है।



चित्र 2.23नक्सल प्रभावित क्षेत्र

- कश्मीर में आतंकवाद
- नक्सलवादी आंदोलन **(Fig.2.3.3.c)**
- सिक्ख विरोध
- पाकिस्तान समर्थक धार्मिक आतंकवाद
- पूर्वोत्तर राज्यों मे उग्रवादी गतिविधियाँ

2.4.7 प्राकृतिक आपदा (Natural Disaster)

भारती: दीदी, प्राकृतिक आपदा से भी विकास को बहुत क्षति हो रही है। इसके बारे में कुछ बताइये।

NOTES

प्रेरणा: हर साल देश कुछ प्राकृतिक विपदाओं का सामना करता है: तूफान, बाढ़, भू–स्खलन, ओला वृष्टि, सूखा इत्यादि। कुछ मानव निर्मित विपदायें जैसे: बहुमंजिला मकान का गिरना, बच्चों का बोर वेल में गिर जाना, आतंकवाद संबंधित हिंसा, बढ़ते यातायात की विपत्तियां,सामूहिक कलह आदि भी हमारे मनऔर मीडिया पर हावी हो जातें हैं। इसमें न केवल लाखों करोड़ों का नुकसान होता है बल्कि संबंधित इलाकों में संसाधन का क्षय, मानव संसाधन का नुकसान आदि समान्य हो गया है। हम जानते हैं कि इनके तकनीकी समाधान उपलब्ध है। खुशी की बात है कि इन दिशाओं पर देश आगे बढ़ रहा है। बडी विपत्तियां जैसे सुनामी, भूकम्प, विश्वयुद्ध आदि को रोकना भले ही असम्भव हो, परन्तु उनका पूर्वानुमान होना और सही प्रबंधन द्वारा नुकसान को कम करना ज्ञान आधारित विकास के लिए अनिवार्य है।

आज की स्थिति में पिछड़े क्षेत्रों में ही इन विपदाओं की पुनरावृत्ति हो रही है– जैसे कोसी नदी की बाढ, आन्ध्रा–उडीसा में तूफान इत्यादि। गरीब तबके के लोग ही इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हर साल वे अपनी जिन्दगी को नये सिरे से खड़ा करने की कोशिश करते हैं। कभी इस कुचक्र से बाहर नहीं आ पाते हैं। देश के लिए यह एक घड़ी चुनौती है। इसको तकनीकी, प्रबंध एवं नीति की दृष्टि से देखना और प्राथमिकता देना आवश्यक है।

2.4.8 वंचित वर्गों की समस्या (Problems of Weeker Sections)

भारती: दीदी, वंचित वर्ग की क्या स्थिति है? इसके बारे में भी प्रकाश डालिए।

प्रेरणा: अल्पसंख्यक वर्ग जिसमें मुस्लिम, ईसाई इत्यादि ऐसी जातियाँ आती हैं जो जनसंख्या के अनुपात में कम है; इस वर्ग की संख्या कम है तथा संगठन एवं बुनियादी क्षमता के अभाव में ये राष्ट्रीय योजनाओं एवं नीतियों का समुचित लाभ नहीं उठा पाते।

अनुसूचित जाति समाज के शोषित एवं दलित जातियो का समूह है इनकी भी समस्या प्रायः आदिवासियों के समान ही है। ये प्रायः भूमिहीन होने के कारण तथा अस्पृश्यता जैसी मान्यताओ के चलते श्रमिक के रूप में जीवन यापन करने को बाध्य हैं। वर्ष का अधिकांश समय ये अपने मूल स्थान से शहरो में पलायन करके

व्यतीत करते है।अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्या आर्थिक एवं सामाजिक मान्यताओं से ग्रसित होना, अश्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव आर्थिक विपन्नता एवं राजनीतिक नेतृत्व का अभाव इत्यादि।

NOTES

2.4.9 पर्यावरणीय समस्या (Environmental Problems)

भारती: दीदी, पर्यावरण का विकास से क्या संबंध है? इसकी वर्तमान में क्या स्थिति है?

प्रेरणा: विकास से संबंधित अध्ययन में आपने जाना कि पहले विकास का तात्पर्य अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति से लगाया जाता था। इसके लिए उद्योगपति या अन्य पूँजीपति वर्ग समाज का बड़े पैमाने पर न केवल शोषण करता रहा अपितु प्राकृतिक संसाधनों का भी असीमित शोषण करता रहा है। इस प्रकार अनियंत्रित उपभोक्तावाद के परिणामस्वरूप मानवता के समक्ष पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की एक नई चुनौती उत्पन्न हो गई है। सबसे पहले हम जानें कि पर्यावरण क्या होता है?

पर्यावरण दो शब्दो से मिलकर बना है– परि+आवरण। परि का तात्पर्य है चारों ओर तथा आवरण का तात्पर्य है ढका होना। इस प्रकार हम चारों तरफ से जिन वस्तुओं और संसाधनों से घिरे हुए होते हैं, वही हमारा पर्यावरण होता है। उदाहरण के लिए हमारे चारों तरफ दो प्रकार की वस्तुएँ पाई जाती हैं। पहला प्राकृतिक जैसे– जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन। दूसरा मानव निर्मित वस्तुएँ जैसे– भवन, सड़क, उद्योग इत्यादि। हम तथा हमारा पर्यावरण परस्पर पूरक हैं। इस परस्पर पूरकता की स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र (इको सिस्टम) कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलित रहने पर ही जीवों का अस्तित्व बना रह सकता है। इसीलिए पारिस्थितिकी संतुलन (इकोलॉजिकल बैलेंस) की चर्चा चारों तरफ हैं।

पर्यावरण विनाश : जैव मंडल (बायो स्फेयर) के लिए खतरा

भू–मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल तक जीव का अस्तित्व पाया जाता है। अतः इसे जैव मंडल कहा जाता है। जैविक एवं अजैविक जगत के बीच संतुलन अथवा पारिस्थितिकी संतुलन (इकोलॉजिकल बैलेंस) पर ही समस्त जैव मंडल का अस्तित्व निर्भर करता है।मानव द्वारा अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनो का अविवेकपूर्णदोहन किया गया जिसने पर्यावरण के अवयवों जैसे वायु, जल इत्यादि को असंतुलित कर दिया है। जिससे पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति बन गई है।

NOTES

पर्यावरण प्रदूषण क्या है ?

पर्यावरण के विभिन्न प्राकृतिक घटक जैसे हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि में अवांछित पदार्थ अथवा गंदगी के प्रवेश से उनका दूषित हो जाना या उन पदार्थो के तत्वों का असंतुलित हो जाना पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है।

पर्यावरण प्रदूषण के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नांकित हैं

- वायु प्रदूषण
- जल प्रदूषण
- मृदा प्रदूषण
- ध्वनि प्रदूषण
- बनो की कटाई
- मिट्टी का कटाव
- वैश्विक गर्मी
- ओजोन परत का क्षरण
- जैव विविधता का विनाश
- रासायनिक प्रदूषण
- नाभकीय प्रदूषण

पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव :

पर्यावरण प्रदूषण के चलते आज समस्त जैव जगत खतरे में पड़ गया है। इन खतरों को निम्नांकित ढंग से देखा जा सकता है।

स्वास्थ्य पर खतरा :

जल वायु एवं मृदा प्रदूषण के अलावा अन्य सारे प्रदूषणों का भी मानव के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण अनेक बीमारियॉ एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं निकलकर कर आ रही हैं।

उत्पादकता में कमी का खतरा :–

प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश एवं पारिस्थितकीय असंतुलन के चलते खाद्यान उत्पादन एवं विभिन्न उद्योगो से होने वाले उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए अब अधिक रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग के वाबजूद कृषि उत्पादकता घट गई है।

प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति पर खतरा :–

जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दर निरंतर बढ़ रही है। उपभोग के अनुपात में उनका उत्पादन न होने से प्राकृतिक संसाधन निरंतर कम होते जा रहे है। जैसे– पीने का पानी, खेती योग्य जमीन, जंगल एवं जानवर सबमें निरंतर कमी होती जा रही है। बहुत सारी औषधीय एवं सुगंधित वनस्पतियॉ एवं अनेक जानवर या तो विलुप्त हो गए है या उनकी प्रजाति खतरे की स्थिति में है।

NOTES

वैश्विक ताप वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) एवं जलवायु परिवर्तन :

समुद्रका जल स्तर बढ़ता जा रहा है। वर्षा के मौसम चक्र में काफी परिवर्तन हो गया है। कभी कम तो कभी बहुत ही अधिक बरसात होती रही है। गर्म हवाओं का प्रकोप बढ़ गया है। ग्रीनहाउस प्रभाव के चलते वैश्विक तापमान 2.5 से 10 डिग्री फेरनहाइट तक बढ़ गया है। ग्लेशियर सिकुड़ते जा रहे है। ये समस्त प्राकृतिक वातावरण के व्यवहार में परिवर्तन का मुख्य कारण अनेक प्रकार के प्रदूषण तथा संसाधनों के अनियंत्रित उपभोग को बताया गया है।

हमने जाना :

- विकास के रास्ते पर अनेक प्रकार की बाधायें आ सकती हैं। वे सामाजिक हो सकती हैं, अंधविश्वास के कारण हो सकती हैं, गरीबी एवं आर्थिक कारणों से हो सकती हैं और अन्य कारणों से भी।
- भौगोलिक स्थिति के आधार पर समाजों को शहरी, ग्रामीण एवं आदिवासी करके अलग किया। इससे लोगों के बसाहट एवं संबंधित संसाधनों की भिन्नता के कारण विकास की संभावनाओं पर भी विभिन्न पकार के असर पड़ सकते है।

  देश के अधिकांश साधन शहरी समाज पर लगाने के बावजूद उनको भी काफी समस्याएं हैं– जैसे मलिन बस्तियां, गंदगी, पर्यावरणीय, यातायात संबंधित समस्याएं इत्यादि। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र तो संसाधनों की कमी से बहुत प्रभावित हैं। साथ ही बहुत सारे आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से उलझे पड़े हैं। ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र आजकल सरकार की पहुंच के बाहर हो रहे हैं क्योंकि वहां आतंकवाद, उग्रवाद आदि हिंसात्मक तथ्य विकास के अभाव की स्थिति की प्रतिक्रिया के रुप में उभर रहे हैं। यह एक कु–चक्र बन गया हैं, क्योंकि इसी कारण सरकार या निजी प्रयत्न भी फलित नहीं पा रहे हैं।
- सामाजिक कुरीतियों के कारण महिला, आदिम जाति, दलित और अल्पसंख्या वाले आदि विकास बाधित हो रहे हैं। सही शिक्षा, स्वास्थ्य

NOTES

इत्यादि सेवाओ के अभाव में बच्चों को न समान पोषण मिल रहा है, न ही बराबर शिक्षा – इस प्रकार असमानता का बीज बोया जा रहा हैं।

- मादक पदार्थयुवा वर्ग को शक्तिहीन और दिशाविहीनबना रहे हैं।
- पर्यावरण प्रदूषित हो जाने से जलवायु बिगड़ जाता है, उसके कारण वर्षा–चक्र में विकृति आ रही है और इसका प्रभाव कृषि इत्यादि पर पड़ता है। चिंता न केवल अपनी बसाहट की है बल्कि अब पूरे विश्व के अस्तित्व के ऊपर है।
- भ्रष्टाचार एक शक्तिशाली अवरोधक बन चुका है और कई नवाचारों की जरूरतें और इसमें सफल होने के लिए काफी नूतन चिन्तन एवं प्रयत्नों की जरूरत है।

कठिन शब्द :

बसाहट : प्रकृति के प्रकोपों से बचा के आराम से रहने के लिए मनुष्य के लिए एक जगह की जरूरत पडती है। उसको बसाहट कहते हैं। शहरी, ग्रामीण और आदिवासी परिस्थितियों में बसाहट का प्रकल्प भिन्न हो सकता है।

जनसंख्या घनत्व : एक वर्ग किमी में कितने मनुष्य रहते हैं– इसकी गणना जनसंख्या घनत्व होता है।

परिवेश : आवास के सब दिशाओं में पाये जाने वाली परिस्थिति को परिवेश कहते हैं।

प्रशासन : लक्ष्य और परिस्थितियों के आधार पर प्रक्रियाओं की शैली चिन्हित की जाती है। इसके आधार पर कार्य पद्धति और नियम बनाये जाते हैं। ऐसे नियमों को लागू करने के कार्य को प्रशासन कहते हैं।

आर्थिक गतिविधि : हर व्यक्ति के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। लेकिन उन सब चीजों को वह खुद बना नहीं पाता। इसी प्रकार अपने द्वारा निर्मित या उत्पादित सभी चीजों को वह इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। अतः कुछ चीजों को बाहर से लेना पडता है और अपनी कुछ चीजों को दूसरों को देना भी पडता है। इस प्रकार के उत्पादन,सेवायें एवं लेन देन की प्रकिया को आर्थिक गतिविधि कहते हैं।

अभ्यास के प्रश्न :

1. आपकी बसाहट को क्या मानते हैं– शहर, ग्राम या आदिवासी क्षेत्र ? ऐसे मानने का क्या आधार है ?
2. अपने पास के किसी ग्राम, शहर एवं आदिवासी क्षेत्र को चिन्हित करें और वहां के लोगो से चर्चा कर समस्याओं की सूची बनाइये। इसको आपके पाठ्यक्रम में दिये गए मुद्दों से तुलना कीजिए।

3. आपके नजदीकवाले किसी मलिन बस्ती में भ्रमण कीजिए और वहां गरीबी,महिलाओं की स्थिति, बुजुर्गो की स्थिति, बच्चों की स्थिति, अमन शांति की स्थिति, मादक वस्तुओं(गुटखा...शराब इत्यादि) के सेवन आदि पर एक शोध कीजिए। इन प्रवृत्तियों के लिए मूल कारण ढूंढिये, इन मुद्दों पर काम करने वाले स्वैच्छिक संस्थानों से मिलकर चर्चा कीजिए।

NOTES

4. किसी घुमक्कड़ जाति के समूह से परिचित हो जाईये और उनमें महिला, बच्चे, शिक्षा की स्थिति, गरीबी, अशांति, आजीविका के लिए संघर्ष आदि को समझने की कोशिश कीजिए।

5. बाल श्रमिक, अनाथ बच्चे, पलायन, अपहरण, आतंकवाद आदि समस्या वाले क्षेत्र का अध्ययन करें और अपना प्रतिवेदन तैयार करें।

6. आपके गांव के परिवेश में प्रदूषण संबंधित प्रश्नो पर विचार कीजिए। जैसे

   – पेय जल शुद्ध मिलता है क्या ?
   – सभी घरों में शौचालय उपस्थित है क्या ?
   – जिनके घर में नहीं है वो क्या करते हैं ?
   – घर में शौचालय के होते हुए भी खुले मैदान में शौच करने की प्रथा है तो इसका कारण क्या है ?
   – गांव में कौन सी बीमारियां ज्यादा पायी जाते हैं ?लोग समाधान के लिए कहां जाते है?
   – आपसी झगडों से निपटने के लिए कोई व्यवस्था है क्या ?
   – गांव में अंधविश्वास का क्या प्रभाव है ?

7. अपने और आस पास के क्षेत्र में विकास के लिए शुरू की गई कुछ परियोजनाओं को चिन्हित कीजिए और उसका पूरा इतिहास दर्ज कीजिए। लक्ष्य क्या थे और उपलब्धियां उसके तहत क्या थी ? नहीं तो उसका कारण ढूंढिये।

8. प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित क्षेत्र का भ्रमण कीजिए और एक पूरा प्रतिवेदन तैयार कीजिए। इसी प्रकार मानव की गतिविधियों के आधार पर जो दुर्घटनायें हुई हैं इस पर भी शोध कीजिए। (मध्यप्रदेश के संदर्भ में इसका क्रूर उदाहरण है : भोपाल गैस त्रासदी)

9. मध्यप्रदेश की कुछ पिछडी माने जाने वाली जनजातियों की समस्याओं पर गहन अध्ययन करके दर्ज कीजिए। इनके समाधान के लिए कोई सृजनात्मक कदम उठाने के लिए सपना देखिए।

■■■

NOTES

2.5.0 विकासः सामाजिक अधोसंरचना (Development : Social Infrastructure)

भारतीः दीदी! विकास में संगठनों की भूमिका अहम् होती है। इस प्रकार से अनेक संगठन बनाये गये हैं। कृपया पड़ोसी समूह, महिला समूह, शिल्पी समूह आदि के बारे में विस्तार से समझाइये। ताकि हम भी इन्हें अपने क्षेत्र में लागू करने के बारे में निर्णय ले सकें।

प्रेरणाः जैसा कि आपने जानना चाहा है, मैं एक–एक करके सभी समूहों/संगठनों के बारे में आपको जानकारी देती हूँ।

2.5.1 पड़ोसी समूह (Neighbour Groups)

एक गली या छोटे मोहल्ले पर आसपास रहनेवालो को पडोसी समूह कहते है– उदाहरण के रूप में – एक गली के नल में मिलनेवाली महिलाओं पर विचार करें तो हम पाते हैं कि उन्हें रोज आपस में मिलने का अवसर मिलता है – क्योंकि नल में पानी निश्चित समय के अंतराल में ही मिलता है और लोगों के बीच उस समय स्वाभाविक ढंग से मुलाकात होती है। इस मौके का फायदा उठाकर हम उनके द्वारा महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों को लागू कर सकते है। उत्तर प्रदेश का ''स्वजल'' कार्यक्रम इसका सुन्दर उदाहरण है। केरल में तो इस प्रकार के समूह को ''अयलकूट्टम'' के नाम से उभरने दिया गया और इन इकाईयों द्वारा विकास संबंधित चर्चाएं इत्यादि आयोजित की गईं।

वास्तव में यह सिद्धांत पुराने भारत की कई प्रजातांत्रिक संरचनाओं में पाया जाता था– जैसे तमिलनाडु के उत्तिर मेरूर के गणराज्य में तीस परिवार की इकाई को समूह की बुनियादी इकाई माना गया। हमारे गांवों के टोले भी करीब–करीब इस सिद्धांत के आधार पर ही बने। प्रशासनिक दृष्टि से हर ग्राम पंचायत को अनेक वार्डों में बांटे जाने का उद्देश्य भी यही है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ''ग्राम'' के नाम पर गांव और उसके पड़ोसी समूह को। इसके आगे की कड़ी को भी इस चित्र से दर्शा सकते हैं।



चित्र 2.24सामाजिक संगठन की श्रंखला

यद्यपि भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से यह श्रृंखला सही है फिर भी इस भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहने वाले और भिन्न–भिन्न रूचि वाले व लक्ष्य वाले कुछ समूह अपने को स्वतंत्र रूप से संगठित कर सकते है। जैसे :

NOTES

- विकास के लिए जन संगठन– उदहरण स्वरूप डीपीआईपी परियोजना में ''समान रूचि समूह'' (CIG: Common Interest Group) गठित किये गये।
- स्वयं सहायता समूह (SHG)

2.5.2 महिला समूह (Women Groups)

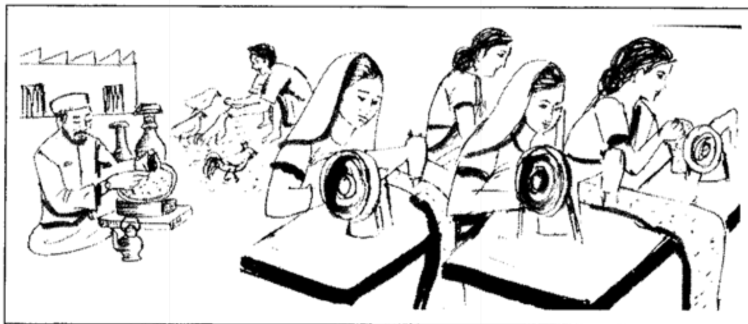


चित्र 2.25पडोसी समूह में स्वयं सेवी समूह निर्मित हो सकते हैं।

यह अनुभव किया गया है कि गरीबी उन्मूलन में महिलाओं के समूह को आधार बना कर काम करना एक सशक्त रास्ता होगा, तब से महिलाओं के संगठन के विभिन्न रूप(जैसे स्वयं सहायता समूह) उभरने लगे हैं। महिलाएं अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी अपने उपर ले लेती हैं और अपना आर्थिक सशक्तीकरण करने में कामयाब होती हैं। यह इलाभट्ट के सेवा और मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक प्रयोग से साबित हुआ है। स्वयं सहायता समूह पूरी दुनिया के विकास कार्यो में एक अभिन्न अंग बन चुका है।

साधारणतः एक महिला स्वयं सहायता समूह में एक ही गली या मोहल्ले में रहने वाली एवं एक ही लक्ष्य वाली दस से बीस महिलाऐं सदस्य हो जाती हैं और अपने में से एक अध्यक्ष एवं सचिव का चयन करती हैं जो नियमित बचत एवं बैठकें करतीं हैं और अपने विकास के लिये गतिविधियों की ओर अग्रसर होती है। यदि ऐसी एक इकाई नियमित अवधि तक निरंतर सक्रिय रहे तो उन्हें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सहायता पाने के लिए चिन्हित किया जा सकता है। समूह के सदस्य अपनी बचत की राशि से आपस में लेनदेन करते हैं जिससे वे साहूकार के चुंगल में फंसने से बच जाती हैं। धीरे–धीरे अपने विकास संबंधित

NOTES



चित्र 2.26महिला SHG द्वारा उत्पादन एवं सेवायें सम्भव है; इसी प्रकार कारीगरों का भी समूह हो सकता है।

गतिविधियों को हाथ में लेते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते है। इस प्रकार के पुरूष समूह भी बन रहे हैं। कहीं कहीं मिश्रित समूह भी बन रहें हैं।

अवसर मिलने पर इन इकाईयों द्वारा उत्पादन के कार्य या सेवा कार्य अथवा वाणिज्य की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। अहमदाबाद के सेवा संस्थान के तत्वावधान में चलने वाले समूह दर्जनों व्यवसायों में लगे हुये हैं ओर अपना चमत्कार दिखा चुके हैं। केरल की कुटम्बश्री योजना के अंतर्गत हजारों महिलाएं स्वयं सहायता समूहो के गठन द्वारा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में जुड़े है – जैसा कि हम 1.1 में देख चुके हैं।

जैसे हमने अभी अभी पढा कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के अंतर्गत गठित लाखों समूह आपस में सम्मलित होकर ग्रामीण बैंक नामक एक राष्ट्रीय संगठन बना लिया है और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को संभाल रहे हैं। इसके अलावा हर इकाई सामाजिक विकास के लक्ष्य का भी अपने कार्यक्रम में एक मुख्य बिंदु बना लेती हैं। वे अपने समूह में 16 शपथ लेते है जैसे:

मैं घर में शौचालय बनाउँगी।

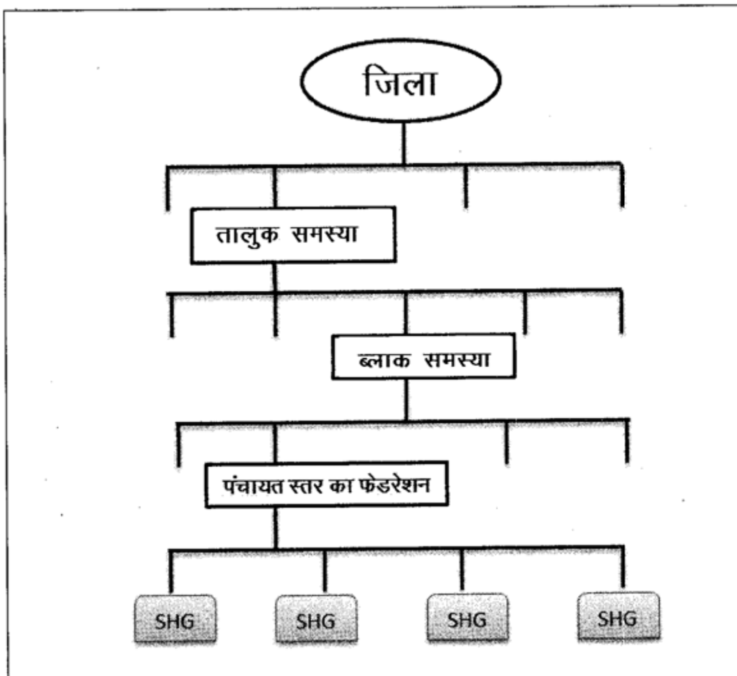
टूटे घर में नहीं रहूँगी।

ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करूँगी।

बच्चों को स्वावलम्बन सिखाने के लिए मुर्गी पालन आदि सिखाऊँगी।

स्वयं सहायता समूहों के बीच के झगड़ा को निपटाने में पडोस के क्षेत्र के समूह मद्दगार होगे और अपना परामर्श देने के लिए समय देंगे।

स्वयं सहायता समूहों का अपना संगठनात्मक ढ़ॉचा होता है। आंध्रप्रदेश को उदाहरण के रूप में लेकर वहॉ की श्रृंखलात्मक व्यवस्था को हमने चित्र में डाला है–



चित्र 2.27स्वयं सहायता समूहों का संगठनात्मक ढांचा।

NOTES

यदि सबसे निचले स्वयं सहायता समूहों के संगठन से फेडरेशन बनता है–यह पंचायत स्तर का है। इस प्रकार कई फेडरेशन को मिलाकर ब्लॉक स्तर का ''ब्लॉक समस्या'' बनता है। ब्लॉको के उपर ''जिला समस्या'' होते है। कहीं कहीं इसके बीच में भी (तालुक स्तर पर) भी एक समस्या व्यवस्थित है।

टिप्पणी: याद रखें कि स्वयं सहायता आजकल मर्दों के लिये भी बनते है कहीं कहीं मिश्रित समूह भी।

2.5.3 शिल्प समूह (Artisan's Guild)

हर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लक्ष्य जैसे समान होते है, इसी प्रकार एक क्षेत्र के कारीगर अपने को संगठित कर सकते हैं– क्योंकि उनके लक्ष्य समान हैं। ऐसे समूहों को कारीगर समूह के नाम से बुलाते हैं।

उदाहरण के लिए:– कुम्हार समूह, बढ़ई समूह, लोहार समूह इत्यादि।

महाराष्ट्र जैसे कुछ प्रदेशों में पहले ''बारह बलोतेदार'' के नाम से समाज के लिए जरूरी बारह प्रकार के कारीगरों के अलग–अलग समूह व्यवस्थित होते थे। आजकल के समूहों के लिए तो कितने प्रकार के कारीगरों की गिनती ही नहीं जैसे बिजली का काम करने वालों का समूह, नल का काम करने वालों का समूह, मिस्त्रियों का समूह। इसमें यह भी देखा जाता है कि आजकल अनेक दल उत्पादन के आधार पर ना होकर सेवाओं (मरम्मत जैसे) आधार पर निर्मित होते है।

आजकल दूध को लेकर जो समूह की कडियां बनती है वो भी इस प्रकार के संगठनात्मक ढ़ाँचों में दर्शाया जा सकती है। ज्ञात हो कि खेड़ा जैसे जिले की विकास की कहानी दूध के संगठनों के आधार पर नकल हुई है।

NOTES

2.5.4 विकास के प्रेरक (Motivators of Development)

किसान फेडरेशन एवं सहकारी संगठनों का योगदान

एक क्षेत्र के छोटे किसान (इत्यादि) समूह के रूप में जुड़ जाने से उनके लिए जरूरी साधन और व्यवस्थ्या को मुहैया करवाने में सफलता की संभावना अधिक होती है। अतः आजकल कई तरह के किसानों के समूह बनाये जा रहे हैं।

उदाहरण के लिए गन्ना उत्पादकों का समूह, सब्जी उत्पादकों का समूह, फूल उत्पादकों का समूह, जैविक खेती करने वाले किसानों का समूह इत्यादि। बाड़ी–यानी बगीचा अर्थात् आम, काजू उत्पादकों का समूह।

उद्यमियों का संगठन

उत्पादनों के कई किस्म के संगठन होते है–

- लघु उद्योग समूह
- सूक्ष्म उद्योग समूह
- घरेलू उद्योग समूह / खादी ग्रामोद्योग समूह
- ग्रामीण उद्यमियों का समूह इत्यादि।

असल में कारीगर भी इसी वर्ग में जोडा जा सकता है। इसके बारे में पूर्व में बताया गया है। इसी प्रकार के लोक कलाकारों के समूह हो सकते हैं। भौगोलिक एवं अन्य प्रकार के दलों का समन्वय कैसे होता है?

(क) पड़ोसी समूह एक प्रकार से एक प्रारंभिक सामाजिक इकाई हो जाती है। इसके द्वारा वे छोटे समूह अपनी सामाजिक समस्याओं पर मिलकर पहल कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते है और अपनी राजनीतिक गतिविधियॉं जैसे अपनी आवश्यकताओं को प्रभावी ढ़ंग से नियोजन करने वालों के सामने रख सकते हैं। इस प्रकार यह एक सामाजिक गतिविधियों के लिए अनुकूल स्तर लगता है। खासतौर पर उस स्थानों पर जहॉं पंचायत का आधार बड़ा है।

(ख) जब आर्थिक गतिविधियों के लिए अधोसरंचना की स्थापना का प्रश्न आता है तब हर ग्राम में वह संभव नहीं होता जैसे हर गॉव में शीतगृह संभव नहीं। प्रस्संकरण इकाई या परीक्षण प्रयोगशाला– इस प्रकार के आर्थिक कारोबार संबंधी संसाधनों को ध्यान में रखते हुए क्लस्टर की बात उभरी है।

➤ एक भौगोलिक ब्लॉक स्तर में कई ग्राम पंचायतों का जोड़ हो सकता है ताकि उनमें संयुक्त समूह आसानी से सुविधाओं का लाभ ले सकता है।

आंध्रप्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में ब्लॉक की जगह मंडल पाये जाते हैं जिसमें करीब 40,000, से 50,000 की आबादी होती है और उसका भौगोलिक विस्तार भी 10–12 किलो मीटर होता है जिसमें सामान्य यातायात और सुविधाओंके होने पर भी आर्थिक कारोबार संबधित लेन–देन आसानी से हो सकता है। केरल जैसे राज्यों में जहॉ एक ब्लॉक का विस्तार करीब 10 किमी से ज्यादा नहीं होता पूरे ब्लॉक को एक क्लस्टर के रूप में मानना उचित लगता है। जहॉ एक ब्लॉक बहुत बड़ा है उसको दो या तीन भागों में बांटने से ये समस्या हल हो जाती है।

NOTES

पड़ोसी समूह / टोला	सामाजिक इकाई
ब्लॉक या क्लस्टर(ब्लॉक के एक भाग के रूप में)	आर्थिक इकाई
जिला	प्रशासनिक इकाई

(घ) जहॉ तक नियोजन (वार्षिक), कर वसूली इत्यादि होती है उसके लिए एक उचित इकाई है– जिला। जहॉ न्याय की व्यवस्थ्या, पुलिस की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था, इत्यादि आसानी से स्थापित और संचालित की जा सकती है।

नीचे दी गई सारिणी इस जिलास्तरीय व्यवस्था की संभावना को दर्शाती है।

अब हम निम्नलिखति प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में हैं–

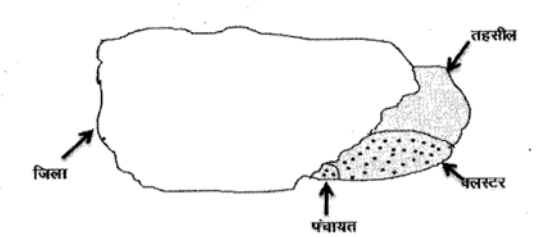
एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर स्वयं सहायता समूह जैसी बड़ी कड़ियों को कैसे जोड़ा जा सकता है ?

उदाहरण के लिए एक ब्लॉक को या उसमें अनुभाग मान लें तो इस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह,

➤ कारीगर गिल्ड

➤ किसानों का फेडरेशन

➤ उद्यमियों का फेडरेशन



चित्र 2.28 क्लस्टर कैसे बनता है ? जिले का एक भाग है तहसील / ब्लॉक। उसका ऐसा भाग एक क्लस्टर बनता है जिसमें करीब 50,000 से 1 लाख आबादी होती है और उसका व्यास करीब 12 किमी।

NOTES

संगठनों द्वारा सहकारी विकास की संभावनायें:

जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले प्रधानंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु ने विकास के लिए तीन उपायों को सोचा

1. स्कूल,
2. पंचायतें और,
3. सहकारी समूह।

उनकी आशा थी कि इन तीन स्तंभों पर सामुदायिक विकास नामक इमारत अपना रूप लेगी।

शालाएँसामुदायिक पूंजी को बढ़ा सकती थीं, पंचायतें विकेन्द्रतकृत प्रशासन को खड़ा कर सकती थीं, और सहकारी समूहों द्वारा आर्थिक विकास निरंतर बढ़ता होता परंतु ऐसा हुआ नहीं। शालायें बढ़ी धीरे–धीरे, पंचायतो ने तो करीब 45 साल संवैधानिक पहचान ही नहीं पाई पर सहकारी अभियान तो आगे बढ सकता था–किंतु हमारे लोग ईमानदारी और सच्चाई का परिचय दिखाने में असफल हुए। साथ ही सरकारी दखल के इन कारणों से सहकारी अभियान आगे नहीं बढ़ा अब स्वयं सहायता समूह, जो सहकारी समिति का ही एक दूसरा स्वरुप है, इस देश में जड़ पकड़ चुका हैं। माइक्रोफाइनेन्स आदि सुविधाओं द्वारा ग्रामीण आर्थिक परिस्थिति में गतिशीलता लाने की संभावनायें हैं।

इसी प्रकार कारीगर समूह, कृषकों के समूह, उद्यमियों के समूह आदि भी अपने – अपने संगठन द्वारा आगे बढ़ने के लिए अब संभावनायें रखते हैं।

कई राज्य सरकारें भी पुरानी सहकारी समूह की जगह नया सहकारी कानून लाये हैं। एक प्रमुख संगठन शैली भी उभरी हैं – सेक्शन 25 कंपनी। यह ऐसा संगठन हैं जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन की संस्थाओं को सुविधा भी देता है– उसी समय कंपनियों के तहत लाभ आधारित व्यवसाय करने की भी सुविधा देती है। सहकारी विधायें इस प्रकार नये रुप ले रही हैं।

सहकारी कानून के तहत जोड़ना क्यों जरुरी है–

पूरे विश्व में सहकारी संघों की सफलता के लिए डेनमार्क एकआदर्श हैं। वहाँ के सहकारी दुग्ध उद्योग बहुत ही मशहूर हैं। किसान भीसहकारी समूह को बुनियादी मानते हैं? क्योंकि वह अनिवार्य हैं।

उदाहरण 1:

डेनमार्क में किसानों की पहली समस्या है, जल निकासी, जैसेहमारे किसानों के लिए बुनियादी मांग है– सिंचाई। अब जल निकासी ऐसी समस्या है जो एक किसान से संभव नहीं हैं। मान लीजिये किसी एक किसान ने अपने खेत में एक पंप लगवाया और खेत में से भू–जल को बाहर निकालकर नाले में डाला। फिर क्या हुआ? कुछ ही घंटों में पड़ोसी के खेत का पानी भू–जल के स्तर को पुनः बढ़ा देगी। और जब तक पानी की निकासी नहीं, खेती प्रारंभ नहीं होगी।

इसका एकमात्र समाधान होगा कि क्षेत्र के सभी किसान एक सहकारी समूह बनायें और पानी के निकास, नाला प्रबंधन आदि के लिए एक आम सुविधा जुटायें और मिलकर काम करें। अन्यथा आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते।

NOTES

यह तो डेनमार्क का मामला है। हमारे हिन्दुस्तान मेंऐसी भी दर्जनों समस्याएं इसी प्रकार की हैं। हम देख नहीं पाते।

उदाहरण 2:

हमारी सिंचाई की समस्या को ले लें। मान लीजिए एक बड़े किसान ने एक बहुत ही गहरा ट्यूब–वेल लगा दिया और जमीन का पूरा पानी खींच लिया। पड़ोसी के कुऐं में पानी का स्तर नीचे हो गया और उसका पंप सेट बेकार। ऐसी परिस्थिति में सहकारी प्रयास से ही समाधान निकल सकता हैं।



चित्र 2.29 पानी का बजट करने वाले हिवरे बाजार व उसके नेता पोपट राव पवार

आपने सुना होगाः पोपट राव पवार के नेतृत्व में कैसे हिवरेबाजार गांव में (–अहमद नगर जिला, महाराष्ट्र) पानी को आवंटित किया और पानी का बजट बनाकर कृषि उत्पादन में क्रान्ति लाई गई।

अब हम दो अतिरिक्त उदाहरण दे रहे हैं जिससे आपको सहकार्य की अनिवार्यता को समझना आसान हो जायेगाः

उदाहरणः3

मान लीजिये कोई किसान जैविक खेती करना चाहता हैं। इसका मतलब रासायनिक खाद और अन्य प्रदूषणों से खेत को सुरक्षित रखना एक चुनौती बन जाती हैं। यदि चारों ओर मामूली खेती हैं तो बीच के एक अकेले खेत में जैविक खेती संभव नहीं हैं। क्यों?मान लीजिये, पानी बरसा, पड़ोसी खेत से पानी निकलकर आपके खेत में घुस गया अपनी सारी गंदगी के साथ। फिर क्या होगा? या, मान लीजिये, पड़ोस के प्रदूषित खेत के पौधों से आपके पौधों का परागण कार्य बाधित हुआ तो क्या होगा?कुल मिलाकर सही जैविक खेती एक सहकारी परियोजना हैं। इसी प्रकार क्षेत्र में नस्ल सुधार करके गाय– बैल का स्तर बढ़ाना भी ऐसा ही काम हैं।

उदाहरण 4:

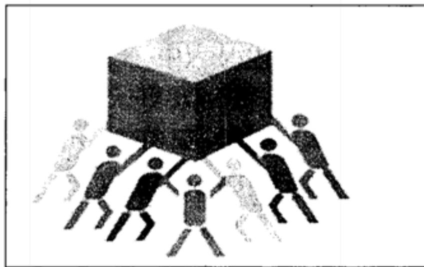
स्वच्छता, संक्रामक बीमारियों का निर्मूलन, स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम–ये सब क्षेत्रीय सहकार्य से ही संपन्न हो सकता हैं। इसका मतलब सामुदायिक संगठन के आधार पर ही इन सब कामों को करना पड़ेगा।

NOTES

अब शायद आपके मन में यह धारणा हो गयी है कि सहकार्य सिर्फ गरीबों के लिये है और ग्रामीण स्तर पर ही इसकी आवश्यकता है। दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैः

उदाहरण 5:

आजकल बड़ी पूंजी लगाकर सब जगह टावर लगाने से हमारी संचार पद्धति में एक क्रांति आ गयी हैं – सेलफोन द्वारा। लेकिन इस बहुत बड़े उद्योग में कई कंपनियां एक दूसरों के संसाधन (जैसे टावर) के लेन–देन से ही काम कर पाते हैं।

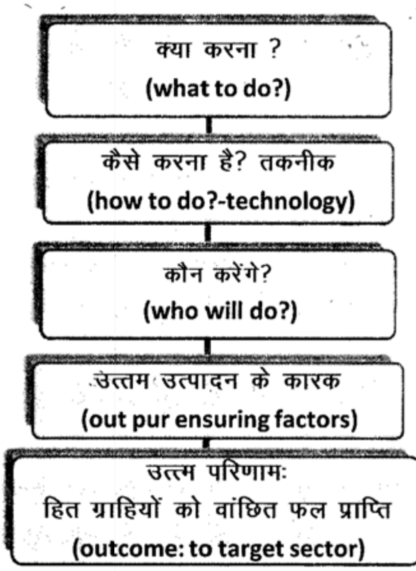


चित्र 2.30 बडी कम्पनियों को भी।

उदाहरण 6:

आज दुनिया के सामने विकिपीडियानाम का एक वैश्विक स्तर का ज्ञान भण्डार है जिसमें अनुमानित 3.40 करोड़ पृष्ठ में सूचनायें दर्ज हैं। आज जिस भी विषय पर जानकारी चाहिये– चाहे फ्रांस के आइफल टॉवर के बारे में या किसी गांव में स्थित मंदिर के बारे में। सब उपलब्ध हैं उसमें। यह कैसे संपन्न हुआ ?क्योंकि उसमें लाखों लोगों की भागीदारी है। इसने विश्व की एक सहकारी परियोजना का रूप ले लिया है।

संगठित समाज कें सहकारी विकास के कुछ मार्गदर्शन सिद्धांतः



चित्र 2.31सहकारी ढंग से करने वाले समाज कार्य के विविध चरण

ऊपर के चित्र में पांच प्रश्नों के द्वारा सामुदायिक विकास की प्रक्रिया दर्शित हैं: उनका अर्थ तो स्पष्ट हैं:

क्या करना है –	यह निर्णय समुदाय के सम्मलित दर्शन द्वारा होना है।
कैसे करना है–तकनीक–	पहुंच मार्ग और उपयोग करनेवाले तंत्र (technology)और प्रबंधयुक्ति के बारे में स्प्ष्टता लाना।
किस के द्वारा करना है –	इसमे भागीदारी सुनिश्चित करने की बात हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयुक्त उपलक्ष्यों को चिन्हित करना और उपलक्ष्य प्राप्ति के लिए समुदाय के चिभिन्न लोगों को नेतृत्व करने (जिम्मेंदारी लेना) का अवसर देना जरुरी हैं। हां, उसके लिए उनको तैयार करना भी जरुरी हैं।
उत्तम उत्पाद–	कार्य संपन्न होने के लिये और (उत्तम उत्पाद प्राप्त करने के लिये) अनुकूल परिस्थितियां (संसाधन) क्या हैं?
परिणाम–	कार्य संपन्न होने पर उसका फल जिनको मिलना हैं, उसको कैसे सुनिश्चित करना हैं।

NOTES

उक्त मुद्दों पर पर कुछ चर्चा करना उचित होगा।

ग्रामीण समुदाय के उत्पादकता के लिये जरुरी संसाधन:

यहां मूल मंत्र तो संयोजकता(connectivity), सही चीज की उपलब्धता, और पहुंचने की सम्भावना।हां, पहुंच मार्ग जैसे रास्ता और यातायात ऊर्जा सही तंत्र ज्ञान और संबंधित संसाधन ताकि ज्ञान का सफल उपयोग हो। कारोबार को संपन्न करने वाली अन्य चीजें: बैंक, पैकेजिंग, स्टोरेज, सहकारी संस्थायें, इत्यादि। उत्पादकता का फल सही हितग्राही वर्ग तक पहुंचने के लिये क्या करें?हर परियोजना का उद्देश्य होता है, वह किसी न किसी समुदाय के सदस्यों को निर्धारित लाभ पहुंचाने के लिये पूरा किया जाता है। अब प्रश्न है, फल सही वर्ग तक कैसे पहुंचे?

सामुदायिक विकास कार्यों के संदर्भ में इसका उत्तर देना आसान है। क्योंकि हमारी परियोजना समुदाय के लिये, समुदाय द्वारा है। उसमें हितग्राहियों की भागीदारी पहले ही नियोजित है।

अतः फल उनको पहुंचेगा – इसमें ज्यादा भ्रामक स्थिति नहीं बनती क्योंकि हितग्राहियों के सामने ही पूरा कार्य होता है।

हमने जाना :

- संगठित होने का मतलब लक्ष्य के आधार पर एक साथ जुड़ जाना। स्पष्ट है इससे समाज अपनी आवाज़ को दूसरों तक आसानी से पहुचा सकता है और नियमित ढंग से लेन देन का कार्य करके आगे बढ़ सकता हैं।

NOTES

- संगठन भौगोलिक पदानुक्रम हो सकते हैं – जैसे पडोसी समूह से लेकर, गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य, राष्ट्र आदि अथवा समान रुचि वाले व्यक्तियों को जोड़ना (Common Interest Group: CIG)संगठन का सिद्धांत हो सकता है। हाल ही में सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में लोगों को जोड़ने के लिए "समान रुचिवालों का संगठन" एक महत्वपूर्ण माध्यम बना हैं। CIG के अन्तर्गत SHGएक बहुत बड़ा अंग हैं। यह पड़ोसी समूह से निर्मित होतें हैं और इसकी परतें पंचायत स्तर पर फेडरेशन और उसके ऊपर ब्लॉक/तहसील, जिला आदि स्तर पर भी समख्या के नाम पर संगठित हैं।

  आज SHGएक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक इकाई के रुप में पूरे भारत में विकसित हो चुका हैं।
- कारीगरों के समूह(Artisan's Guild),कृषकों के समूह(Farmer's Federation),उद्यमियों का संघ(Entrepreneur's Guild) – इस प्रकार अनेक तरह के संगठनों को विकास के कार्य से जोड़ना जरुरी है।
- अंत में हमने आज के संदर्भ में उपयोगी होनेवाले कुछ ऐसे सिद्धांतों पर ध्यान दिया ताकि संगठन एवं तकनिकी की संयुक्त शक्ति से सामुदायिक विकास के निम्न दो संजाल सक्रिय हो सके:
  - उत्पादन का संजाल और,
  - (समत्व आधार पर) वितरण का संजाल,

कठिन शब्दों का अर्थ:

पड़ोसी समूह: समुदाय का वह छोटा हिस्सा (भौगोलिक) जहां आसपास रहनेवाले एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के साथ संवाद की संभावना रखते हैं–जैसे एक नल में पानी लेने केलिए आने वाली सब महिलायें एक दूसरे से रोज मिलती हैं।

सहकारिता: समान लक्ष्य के लोग एक समूह के रुप में संगठित होकर करने वाले कार्यों को सहकारिता का नाम दिया जाता हैं। यह एक प्रबंधन पद्धति है जिसके द्वारा कम शक्तिवाले लोग अपनी शक्तियों को जुटा पाते है और ऐसे कार्य कर पाते हैं जो व्यक्तिगत रुप से असंभव हैं।

सहोदय: समूह के साथ मिलकर करने वाला विकास कार्य।

अक्षय तकनीकी: अक्षय विकास को इकाई 2.1 में समझ चुके हैं। अक्षय विकास केसंदर्भ में जो तकनीकी काम मे आती हैं उनको अक्षय तकनीकी कहते हैं।

सहभागी होना: एक समूह के रुप में एक कार्य पर लगना। उसमें ऐसा कर्त्तव्य निभाना जो अपनी क्षमता के अनुरुप हैं।

उत्पादन एवं वितरण: जमीन, पूंजी, तकनीकी, मानव संसाधन, कच्चा माल मार्केट इत्यादि द्वारा उत्पादन होता हैं।उदाहरण– जमीन,बीज, खाद, परिश्रम

और ज्ञान द्वारा कृषिउत्पादनः कच्चा माल, यंत्र , संस्करण क्षमता आदि से औद्योगिक उत्पाद वितरण का मतलब उत्पाद आदिको संबंधितों के पास पहुंचाना। उदाहरणः उत्पाद के बाद उसका लाभ एक व्यक्ति (यदि पूंजीपति के पास रह सकता हैं या संबंधित अधीनस्थों को बाँटा जा सकता हैं)

NOTES

अभ्यास के प्रश्नः

1. (a) अपने पंचायत या नगरी–वार्ड क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह कितने हैं? उनके उद्देश्य, सदस्यता, गतिविधियाँ आदि को एक तालिका में लिपिबद्ध करें।

   (b) इसी प्रकार आपके क्षेत्र में सहकारिता समूह हैं? कारीगरों का समूह हैं?

   (c) किसानों का संघ हैं? या किसी अन्य प्रकार की संगठन हैं ?इस प्रकार के विवरणइकट्ठा करें।

2. आपके क्षेत्र में सफल ढंग से चलने वाले लोक संगठन कुछ होंगे– उनको चिन्हित करिये और उसकी सफलता का कारणसमझिये।

3. आपके क्षेत्र में कई समस्यायें होंगी– उनकी सूची तो आपने बनायी होगी। हर समस्या से निकटतम संबंध रखने वाले कुछ लोग होंगे। उदाहरणः–यदि एक नल का निर्माण हो रहा हैं तो उसके हितग्राही जरूर चिन्हित हो जाते हैं। यदि एक ओवरहेड टंकी का निर्माण होता हैं तो कौन से मोहल्ले लाभान्वित होते हैं–यह तो चिन्हित करना आसान हैं। अब आया इन संसाधनों को सही ढंग से मरम्मत करना, सबके लिए उपयोग में लाना इत्यादि। क्या इसके लिये कोई संगठन हों तो लाभदायक होगा? समस्या तो सैद्धांतिक शैली में बतायी गयी। परंतु आपने बसाहट के संदर्भ में सोचना पडेगा और एक व्यवहारिक समाधान निकालना होगा।

आप के चिन्तन में रोजमर्रा अथवा दिन–प्रतिदिन की जरूरतों के अलावा अन्य सुविधाओं पर भी विचार कर सकतें हैं:(एक युवा ग्रंथपाल हो सकता हैं, या क्रीड़ाकेन्द्र स्वच्छता अभियान हो सकता हैं या प्रशिक्षण एवं व्यापार व्यवस्था।)

4. अपने क्षेत्र (उदाहरणः–पंचायत, ब्लॉक इत्यादि) में जन संगठनायें क्या–क्याहैं? समस्याओ की तुलना में क्या ये पर्याप्त हैं? नहींतो कौन सी संगठनायें ज्यादा लाभकारी होंगे ?

■■■

NOTES

2.6.0 मध्यप्रदेश : विकास की सम्भावनायें एवं चुनौतियाँ (Madhya Pradesh : Challenges & Possibilities of Development)

भारती: दीदी, अब तक आपने विकास की अवधारणा, समस्याओं, विभिन्न मुद्दों एवं उनके समाधान के बारे में विस्तार से मुझे समझाया। हमनें मध्य प्रदेश के विकास को अपना कार्यक्षेत्र चुना है। इसलिए कृपया अपने प्रदेश में विकास की संभावनाओं और आने वाली चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से समझाइये।

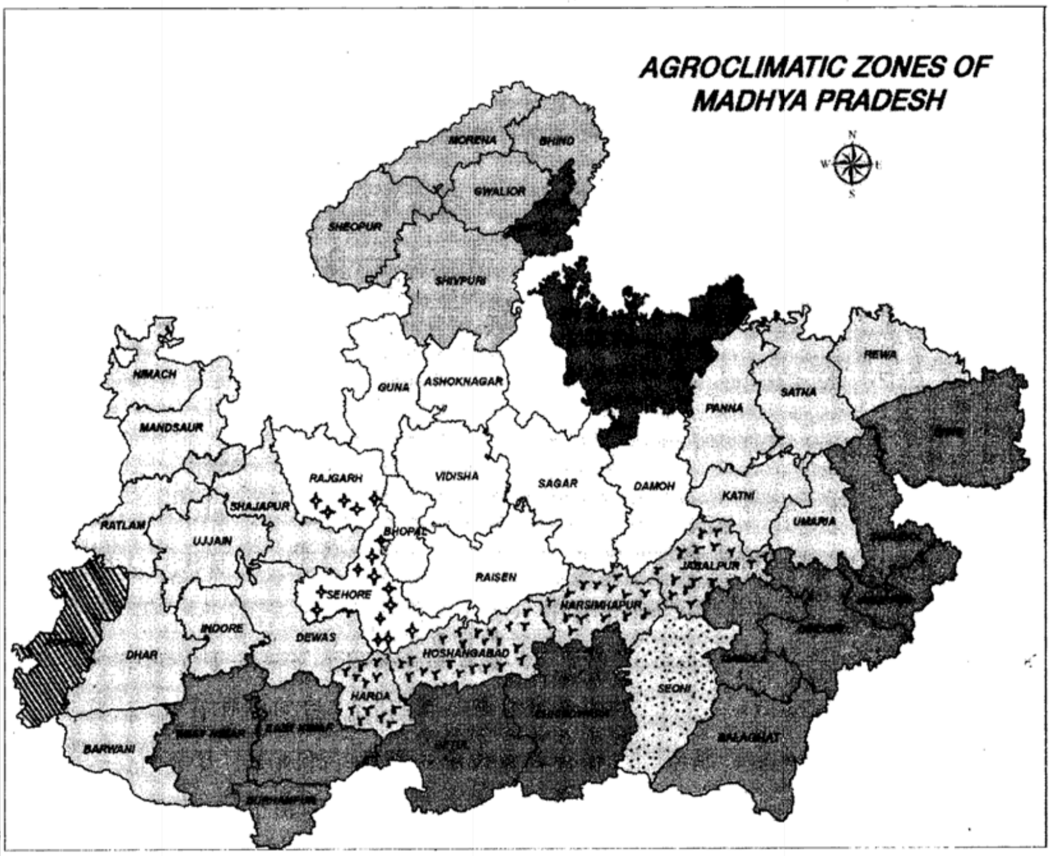
प्रेरणा: हमारे प्रदेश के राजनैतिक नेतृत्व एवं विकास के क्षेत्र में लगी हुयी समर्पित टीम की दूरदर्शिता एवं योगदान से मध्य प्रदेश भारतवर्ष के विकसित राज्यों के करीब पहुँच रहा है। विकास के बहुत सारे प्रकल्प हैं जिसके बारे में विस्तार से बताते हुए आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सकती है।

2.6.1 प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति (Geographical Status of State)

कृषि एवं जलवायु के आधार पर मध्यप्रदेश को निम्न ग्यारह क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है : इसको आप चित्र 2.32 में दिए गए मानचित्रमें देख सकते हैं। हर क्षेत्र से संबंधित जिले भी दिखाये गए हैं।स्वाभाविक है कि इनक्षेत्रों की सीमायें कभी–कभी जिला जैसी प्रशासनिक सीमाओं को उल्लंघन करेंगें। विन्ध्य क्षेत्र में चित्रकूट धाम आता है परन्तु चित्रकूट धाम मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के भागों में स्थित है। यह भी देखा जाता है कि बालाघाट जैसे एकल जिलों से कृषि जलवायु क्षेत्र क्र 3 बनता है (इसके साथ जुडे हुए कुछ जिले अजकल छत्तीसगढ़ में है) जबकि मालवा पठार क्षेत्र में 9 जिले हैं। सेन्ट्रल नर्मदा घाटी क्षेत्र में तो जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा आतें हैं। इसका कारण स्पष्ट है– सब नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। आमतौर पर आप देखेंगे की हर क्षेत्र के सदस्य जिले अपने जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समतुल्य हैं।

NOTES

क्र	कृषि एवं जलवायु आधारित क्षेत्रीय नाम	अन्तर्गत आने वाले जिले
1.	बुन्देलखण्ड	दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर
2.	सेन्ट्रल नर्मदा घाटी	जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा
3.	छत्तीसगढ़ समतल–बालाघाट	बालाघाट
4.	ग्रिड क्षेत्र	मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर, शिवपुरी
5.	झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र	झाबुआ, आगर, अलीराजपुर
6.	कैमोर पठार– सतपूड़ा हिल्स	पन्ना, सतना, रीवा, कटनी, उमरिया, सिवनी
7.	मालवा पठार	नीमच, रतलाम, इन्दौर, शाजापुर, मन्दसौर, धार, देवास, बड़वानी, उज्जैन
8.	निमाड़ समतल	पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़, बुरहानपुर
9.	उत्तरी छत्तीसगढ़ की पहाड़ी	सीधी, अनूपपुर, शहडोल, डिन्डौरी, मण्डला
10.	सतपुड़ा का पठार	बैतुल, छिन्दवाड़ा
11.	विन्ध्य का पठार	गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, भोपाल, सिहोर, रायसेन



चित्र 2.32कृषि एवं जलवायु के आधार पर मध्यप्रदेश को 11 क्षेत्रों में बांटा गया है।

NOTES

मध्यप्रदेश को जिन ग्यारह कृषि एवं जलवायु आधारित क्षेत्रों में बांटा गया है वे एक प्रकार से महत्वपूर्ण है– क्योकि हम पूर्व से ही विद्यमान भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों (जैसेः निमाड़, बुन्देलखण्ड, चम्बल, विन्ध्य, मालवा, महाकौशल, बघेलखण्ड आदि) से तुलना करें तो दोनो तरह का विभाजन मिलता जुलता है।

इन सामाजिक–सांस्कृतिक भागों के जीवन, बोली, भाषा, रहन–सहन, खान–पान को देखें तो हमें एक समानता दिखाई पड़ती है। ऐसा ही कुछ इन क्षेत्रों की समस्याओं के साथ भी है। इन क्षेत्रों की कुछ प्रमुख प्रतिनिधि समस्याओं को लक्ष्य बनाकर उन्हें हल करने का प्रयास किया जाये तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।

हमनें उदाहरण के रूप में मध्यप्रदेश के चार क्षेत्रों को चयन कियाः

उत्तर में –बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य का चित्रकूट धाम (केन्द्रबिन्दुः चित्रकूट धाम)

पश्चिम में –झाबुआ पहाडी क्षेत्र (केन्द्रबिन्दुः झाबुआ जिला)

पूर्व में–उत्तरी छत्तीसगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र(केन्द्रबिन्दुः शहडोल जिला)।

दक्षिण में–सतपुड़ा पठार क्षेत्र (छिन्दवाडा एवं बैतूल)

हर क्षेत्र के संदर्भ में हमने इन तीन प्रश्न उठायें हैंः

- ☞ आज से करीब 70 साल पहले इस क्षेत्र की स्थिति क्या थी ?
- ☞ स्वतंत्रता के पश्चात इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्रयत्न (सरकारी एवं गैर– सरकारी) किये गये और उनका क्या नतीजा निकला ?
- ☞ आज के हालात में कौन–कौन सी चुनौतियां हैं ?

आईये इन संक्षिप्त विवरणों को समझने की कोशिश करें।

आप देखेंगे कि उक्त चार लेखों की शैली जान बूझ के अलग रखी गई। झाबुआ के विकास वर्णन में सरकारी कार्यक्रम को बारीकी से प्रस्तुत किया गया है ताकि छात्रों को सरकारीयोजनाओं आदि के बारे में सही जानकारी मिले। सतपुड़ा पठार क्षेत्र एवं शहडोल क्षेत्र के बारे में लिखते समय स्वैच्छिक संस्थानों की भूमिका पर ज्यादा जोर दिया गया है। चित्रकूट धाम सीमा क्षेत्र में स्थित पिछडे इलाका का एक अनोखा नमूना है और इसमें सरकारी एवं गैर–सरकारी नेतृत्व किन बिन्दुओं पर सशक्त हो सकता है– इसको भी समझने में यह उपयोगी सिद्ध होगी।

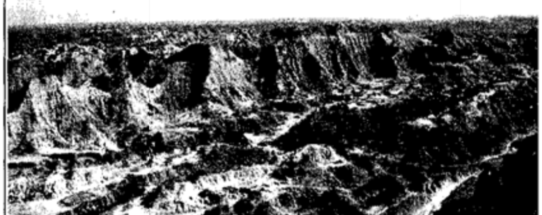
2.6.2 शासकीय एवं अशासकीय प्रयास (Government & Non-governmental efforts)

NOTES

बुन्देलखण्ड एवं चित्रकूटधाम

ऐतिहसिक दृष्टि से बुन्देलखण्ड एक ऐसा सांस्कृतिक क्षेत्र है जो उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश राज्यों में बिखरा हुआ है। मध्यप्रदेश में उसके अन्तर्गत दतिया, टीमकगढ़, पन्ना, दमोह एवं सागर जिला आते हैं जबकि कृषि एवं जलवायु की दृष्टि में सिर्फ दतिया, टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिला को उसके मुख्य भाग के रूप में चिन्हित किया हैं।

भौतिक दृष्टि से देखे तो बुन्देलखण्ड घने जंगलों से भरा हुआ एक अनुपयोगी क्षेत्र है। इन गहरे बीहड़ो में डाकुओं के समूह स्वतंत्र रूप से रहते थे और डकैती अपहरण आदि अपराधिक गतिविधियों में लगके शांति भंग करते थे और विकास के लिए अवरोधक भी। बीहड़ों की हिंसा का प्रतिबिम्ब समाज में भी पडा। समाज में हिंसात्मक गतिविधियां फैली और बदला लेने की मानसिकता की परम्परा बन गई है।



चित्र 2.33चम्बल के बीहड़ का दृश्य



चित्र 2.34आत्मसमर्पण करने वाले कुछ डाकू।

बीहड़ों को सुधार के कृषि योग्य क्षेत्र में परिवर्तन करने का बडी–बडी परियोजनायें लाई गई परन्तु विफल रही।

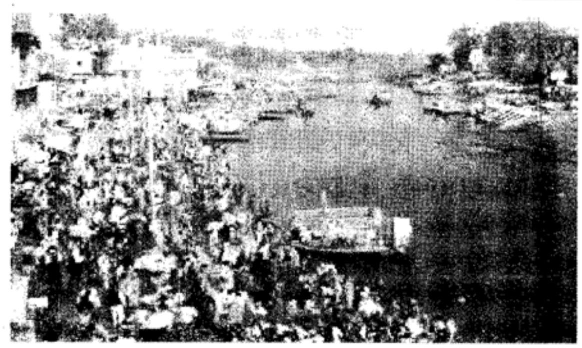
आशा की किरणें तब आई, जब चम्बल के 550 डाकूओं ने लोक नायक जयप्रकाश नरायण के सामने(1972 में) आत्मसर्म्पण किया। धीरे–धीरे कई स्वैच्छिक संस्थान विकास के काम में लगने लगे।उनमें कुछ ने आर्थिक समस्याओं और कुछ ने सामाजिक समस्याओं पर काम किया। कुछ संस्थाओं ने (उदाहरण ओरछा में स्थित Development Alternative) उर्जा आदि वैज्ञानिक दिशाओं पर काम करके विकास विकल्प की बीड़ा उठाया। इन सभी संस्थानो के महत्वपूर्ण कामों का विवरण देना मुश्किल है।

NOTES

चित्रकूट धाम को बीहड भरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पूर्वी छोर मान सकते हैं। चित्रकूट क्षेत्र डाकुओं का अड्डा बन गया। करीब 2005 ई. तक डाकुओं के कारणों से यह क्षेत्र हिंसा, अशांति एवं पिछडापन का प्रतीक बन गया। कई सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्नों से जो परिवर्तन की सम्भावनायें उभरने लगी हैं– उसके द्वारा बुन्देलखण्ड के विकास की सम्भावनाओं को भी कल्पना करना आसान होगा।

चित्रकूट के धाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक करो रघुवीर

आप सबने **"चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड"** का दोहा जरूर सुना होगा। शायद आपमें से कुछ ने चित्रकूट देखा भी हो। यह एक धार्मिक तीर्थ है। जहाँ महाकाव्य रामायण से जुड़े अनेक प्रसंग–स्थल हैं। इस चित्रकूट के विकास प्रयासों की कथा भी हम आपको सुनाते हैं।



चित्र 2.35तुलसीदास द्वारा उल्लेखित 'चित्रकूट का घाट'

चित्रकूट को हम बुन्देलखण्ड–विंध्य के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। प्राचीन काल का तीर्थ चित्रकूट आजादी के समय गरीबी, उपेक्षा और संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। दस्यु समस्या और शोषण की प्रवृत्ति चरम पर थी। बन्दूक की सत्ता से सभी को प्रभावित करना संस्कृति बनती जा रही थी। दो राज्यों के बीच में स्थित होने से प्रशासनिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने में भी कठिनाई आ रही थी। चारों ओर निराशा थी। समस्याएँ ही समस्याएँ। समाधान की किरण भी नहीं दिखाई देती थी। कुछ प्रमुख समस्याएँ थीं–

- **दस्यु समस्या**– बंदूक की संस्कृति और सामंतवादी सोच से निर्बलों का उत्पीड़न, सामाजिक असमानता और शोषण, अपहरण की वारदातों से पूरे क्षेत्र में अनेक दस्यु प्रभावी हुए। अपहरण और फिरौती से जनजीवन अशांत था। विकास के प्रयासों का बुरा प्रभाव पड़ता था।

NOTES

- **महिलाओं की स्थिति**–अत्यंत चिन्ता जनक थी। खास तौर पर अनेक महिलायें दस्यु के कब्जे मे थीं। जब वे गर्भवती हो जाती थी तब उन्हें मारकर मृतकाया जंगलों में फेंक दी जाती थी, और उनके शरीर सड़कों में फेंके लेकिन महिलाओं की पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं होता था।
- **बिन पानी सबसून**– खेती के लिए पानी नहीं था। उपज कम और किसान निर्धन थे। आर्थिक हालात से पलायन को मजबूर करते थे।
- **जिसकी लाठी**– कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं था। वंचित वर्ग का प्रभावी लोगों द्वारा शोषण होता था। अनाचार और अत्याचार बढ़ रहे थे।
- **काला अक्षर**– शिक्षा का अभाव सभी समस्याओं का केन्द्र था। स्कूलों में पढ़ाई नहीं। कालेज, विश्वविद्यालय कुछ नहीं थे।
- **खर्चा होय दवाई में**– शिक्षा और अन्य संसाधनों के अभाव का फल था कि स्वास्थ्य सुविधा न के बराबर थी। छोटी–छोटी बीमारियाँ भी मृत्यु का कारण बनती थीं। विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्थिति दयनीय थी।
- **ऊँच–नींच की खाई**– सामाजिक विषमता ने समाज को टुकड़ों में बांट रखा था। जाति के आधार पर आर्थिक दशा आधार पर। जिससे सामाजिक व्यवस्था टूट रही थी। विषमता ने वैमनस्य के बीज बो दिये थे।

2.6.3 सफलता के बढ़ते कदम (Steps towards Success)

शासकीय एवं गैर शासकीय प्रयासों से मध्यप्रदेश ने सफलता के अनेक सोपान तय किये हैं। इस दिशा में किये गये प्रयासों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है–

"माना की अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहाँ मना है?"

समय बदला। लोगों का इस ओर ध्यान गया। विकास के विचार से अनेक स्वयंसेवी संगठनों, व्यक्तियों और सरकारों ने क्षेत्र की **बदहाली को खुशहाली में** बदलने का संकल्प लिया।

NOTES

- आध्यात्मिक गुरू **रणछोड़दास जी** की प्रेरणा से उद्योगपति **अरविंद मफतलाल** ने **सद्गुरू सेवा संघ** नामक ट्रस्ट स्थापित किया। जानकीकुंड चिकित्सालय के माध्यम से **तारा नेत्रदान यज्ञ** के नाम से आँखो का इलाज प्रारंभ हुआ। देखते ही देखते सुविधाएँ जुटने लगीं। आज इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा हेतु इलाज का एक बड़ा केन्द्र बन गया है।
- समाजसेवी **गोपाल भाई** ने अपने संगठन **अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान** के माध्यम से कोल आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी। दबंगो ने विरोध किया। गोपाल भाई ने कोलो को संगठित किया और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाया।
- समाजसेवी **माधवी कुकरेजा** की अगुवाई में संस्था **वनांगना** ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण का बीड़ा उठाया। उन्होंने महिलाओं को नल सुधारने का प्रशिक्षण दिया। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इस प्रकार का तकनीकी प्रशिक्षण देना एक नवाचार था। गाँव में अक्सर टूटे पड़े पंप इस पहल से जीवित हो उठे, क्योंकि गाँव में पानी न मिलने का खामियाजा सबसे ज्यादा महिलाएँ ही उठाती हैं।
- सर्वोदय आश्रम के श्री अभिमन्यु द्वारा जल संरक्षण जैसे बुनियादी काम हुए।

			
चित्र 2.36सद्गुरू सेवा संघ: अरविन्द हॉस्पिटल	माधवी कुकेजा: वनांगना	अभिमन्यु सिंह–सर्वोदय आश्रम	गोपाल भाई–अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान

- आध्यात्मिक गुरू **श्री रामभद्राचार्य** जी प्रज्ञाचक्षु हैं। उन्हें विकलांगों की पीड़ा का आभास था। विकलांगों को ही अपना इष्ट मानकर उन्होंने देश में पहले **विकलांग विश्वविद्यालय** की नींव रखी और विकलांगो की

शिक्षा का समुचित प्रबंध सुनिश्चित किया। पहले ही उन्होने प्रज्ञाचक्षु विद्यालय बनाये थे। यह विद्यालय और विकलांग विश्वविद्यालय का पहला परिसर मध्यप्रदेश में था परन्तु विश्वविद्यालय का परिसर चित्रकूट के उत्तरप्रदेश भाग में स्थानांतरित हुआ।

NOTES



चित्र 2.37 जगत् गुरू रामभद्राचार्य



विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट

- सुप्रसिद्ध समाजसेवी **नानाजी देशमुख** ने ग्रामीण विकास के लिए गोंडा जिले के जय–प्रभा ग्राम में अपने प्रयोगों की सफलता के बाद चित्रकूट को कर्म भूमि बनाया। अपने संगठन **दीनदयाल शोध संस्थान** के माध्यम से उन्होने चित्रकूट के विकास के लिए ग्रामीण पुनर्सरचना का मंत्र दिया। उन्होने अपने 18 प्रकल्पों के माध्यम से विकास के विविध आयामों पर कार्य किया। मंत्र था –**ग्रामीणजनों के परिश्रम और पुरूषार्थ से गाँवों को आत्मनिर्भर बनाना,न कि सरकारी सहायता का मोहताज।** उनके कार्यों की बहुआयामी विकास योजनाओं की एक झलक यहाँ प्रस्तुत है–

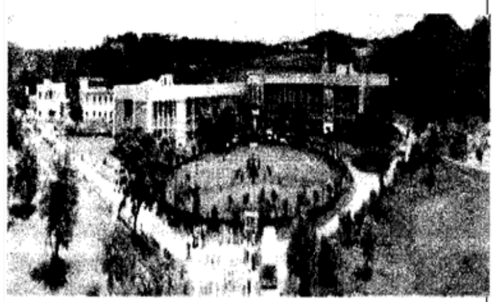


चित्र 2.38राष्ट्रऋषि नानाजी देसमुख

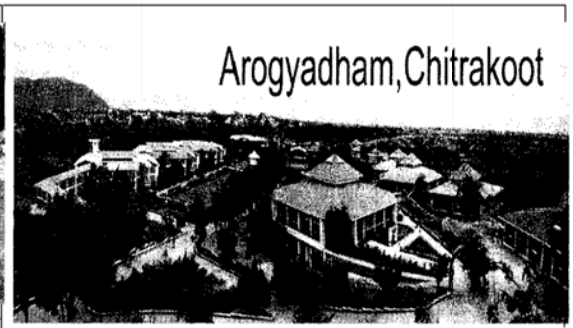
  - संपूर्ण जीवन आरोग्यमय बनाने के उद्देश्य से **आरोग्यधाम संस्थान** की स्थापना। भारतीय चिकित्सा विधियों– आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और उपचार। औषधीय एवं सुगंधित पौधों का संरक्षण एवं इनसे औषधि निर्माण।

NOTES

- आदिवासी बालक–बालिकाओं की शिक्षा के लिए **आश्रमशाला स्कूल** की स्थापना। जिसमें आदिवासी बालक–बालिकाएँ छात्रावास में रहकर उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकतें हैं।
- गाँवो में प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने के लिए गाँव–गाँव में **ग्राम–शिल्पी दम्पतियों** का प्रयोग। विवाद रहित गाँव बनाने का लक्ष्य।
- खेती के नवीन प्रयोगों से गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में गरीबों एवं मध्यप्रदेश में मझगवाँ में **कृषि विज्ञान केन्द्र** की स्थापना।



चित्र 2.39महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट



आरोग्य धाम, चित्रकूट

मध्यप्रदेश के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना

महर्षि अत्रि और अनसूया द्वारा स्थापित विश्व का प्रथम अध्ययन केन्द्र यही स्थित था। चित्रकूट की पूण्यभूमि महर्षि सुतिक्षण, भारद्वाज, सरभंग, बाल्मीकि आदि महापुरूषों की साधना स्थली रही है। देश के सभी भागों से विद्यार्थी यहां शिक्षा के लिये ऋषियों–मुनियों के आश्रम में आते थे।

कालांतर में समय की उपेक्षा और संसाधनों के अभाव में चित्रकूट का विकास प्रभावित हुआ। कृषि और उद्योगों के अपर्याप्त विकास ने गाँवों को अभावग्रस्त बना दिया। ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास और भविष्य की पीढ़ी के नवनिर्माण के लिये पुण्य सलिला मंदाकिनी के नैसर्गिक रम्य तट पर 12 फरवरी 1991 को महाशिवरात्री के पावन पर्व पर मध्यप्रदेश शासन के एक पृथक अधिनियम (9, 1991) द्वारा तथा राष्ट्रऋषि पद्म विभूषण नानाजी देशमुख की प्रेरणा से महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना सतना जिले के चित्रकूट(म0प्र0) में की गई। विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य पूज्य बापू जी के ग्रामीण विकास की परिकल्पना को कार्यान्वित करने

के लिये बौद्धिक मानव संसाधन तैयार करना तथा विकसित तकनीकों का प्रसार करना है।

NOTES

ग्रामोदय विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों का लक्ष्य ग्रामीण विकास है। विश्वविद्यालय बिगत दो दशक से शिक्षा, शोध, प्रसार और प्रशिक्षण की गतिविधियों से ग्रामीण विकास के सभी आयामों पर अपने योगदान की छाप छोड़ने में सफल रहा है। विश्वविद्यालय तकनीक विकास, ग्रामीण जीविकोपार्जन के लिए कृषि की आधुनिक विधियों के अनुसंधान और जागरूकता के लिए जन शिक्षण के महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है। ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतरी, वैकल्पिक उर्जा के उपयोग, कारीगरों के कौशल में बृद्धि और महिलाओं के सशक्तीकरण में विश्वविद्यालय की महती भूमिका है।

विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। विश्वविद्यालय ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की है।ग्रामीण विकास से संबद्ध उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और गाँवों के विकास के अभिनव माडल तैयार करने में विश्वविद्यालय की अहम भूमिका है। आज ग्रामेादय संस्कृति विकास और आधुनिकता को जोड़कर एक नवीन दर्शन प्रस्तुत कर रहा है।

महात्मा गांधी के ग्राम विकास का दर्शन विश्वविद्यालय का शाश्वत प्रेरणा स्रोत है। विश्वविद्यालय के कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये शिक्षा एवं तकनीकि ज्ञान प्रदान करना सबसे प्रमुख है। विश्वविद्यालय ग्रामीण विकास के समस्त आयामों पर उच्च शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और प्रसार से आवश्यक मानव संसाधन तैयार करने के लिये प्रतिबद्ध है। मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व आधारित उच्च शिक्षा से युवा पीढ़ी में ग्राम जीवन की समझ और समस्याओं को हल करने की संवेदनशीलता तथा कौशल विकसित करने हेतु विश्वविद्यालय सतत् प्रयत्नशील है। विश्वविद्यालय का लक्ष्य ग्रामीण विकास के लिये आवश्यक प्रविधियों को विकसित करना, ग्रामीण समस्याओं के निदान के लिये क्रियात्मक शोध को बल देना, और जनशिक्षण के लोकव्यापीकरण से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण में योगदान करना है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ सेवाओं के विस्तार हेतु केन्द्रों की स्थापना, ग्राम विकास योजनाओं के निर्माण, परिचालन और मूल्यांकन में शासन का सहयोग एवं इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के साथ ज्ञान और अनुभव का आदान–प्रदान करना विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में शामिल है।

विश्वविद्यालय की गतिविधियों के प्रमुख आयाम हैं– शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण एवं प्रसार। ग्रामीण विकास के लिये वांछित मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में प्रबंधन, विज्ञान और तकनीकी, कृषि और पशु विज्ञान,

स्वास्थ्य और पर्यावरण, कला, दस्तकारी, कौशल एवं डिजाइन, योग और आयुर्वेद आदि अकादमिक धाराओं में स्नातक, परास्नातक, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित एवं दूरवर्ती शिक्षण पद्धति से संचालित किये जाते हैं।

NOTES

- चित्रकूट के कलेक्टर **जगन्नाथ सिंह** ने प्रयास कर इस पिछड़े क्षेत्र में साक्षरता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। आपके नेतृत्व में ही चित्रकूट में **वृक्षारोपण** कार्यक्रम से पर्यावरण संरक्षण की पहल को बहुत सफलता मिली। शासकीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नवाचार के रूप में अक्षर देवब्रत कथा नाम की एक साक्षरता पोथी द्वारा साक्षरता का राष्ट्रीय पुरूस्कार पाया। इसी प्रकार वृक्ष मित्रा पुरूस्कार पाया। ग्राम न्यायालय, जन शिकायत की ग्राम स्तर पर सुनवाई इत्यादि अनेक क्रान्तिकारी कार्यों द्वारा चित्रकूट को पर्यटन का स्थान बनाया और चित्रकूट उत्सव जैसे नवाचार के द्वारा विकास के संदेश को जन–जन तक पहुँचाया और स्वयं सेवी संस्थानों के साथ कैसे प्रशासन काम करे? इसका एक आदर्श बने।



चित्र 2.40जगन्नाथ सिंह

कोशिश करने वालों की हार नही होती है

आज चित्रकूट की तस्वीर बदली हुई है। आशा की किरणें दिखाई दे रही हैं। लोगों मे उत्साह है। ऐसा नहीं कि समस्याएँ समाप्त हो गई हैं और विकास में लक्ष्यों का पाना बाकी नहीं रह गया। विकास की इस पहल में कुछ निश्चित दिशायें मिली हैं, जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजिक समरसता, वंचित वर्गों को संरक्षण, उद्यमिता वृत्ति का विकास, अधोसंरचना का विकास, पहुँच मार्ग और यातायात। इन पर कार्य करने से बेहतरी की दिशा मे पहल हो सकी है।

2.6.4 पठार पर विकास का परवान : झाबुआ

NOTES

म.प्र. के दक्षिण पश्चिमी भाग में विंध्य पर्वतश्रेणी के पश्चिमी भाग में बसा झाबुआ जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है । अपने विशिष्ट भोगोलिक एवं सांस्कृति विशेषताओं के कारण न केवल म.प्र. में अपितु पूरे देश में अपनी पृथक पहचान रखता है। मौसम की अनिश्चिताओं कमज़ोर उर्वरा शक्ति,सामान्य से कम वर्षा, नदी नालों में गति न होने से भू–संरक्षण का होना

इस कारण से कमजोर एवं एक फसली कृषि होती है।



चित्र 2.41जिला–झाबुआ

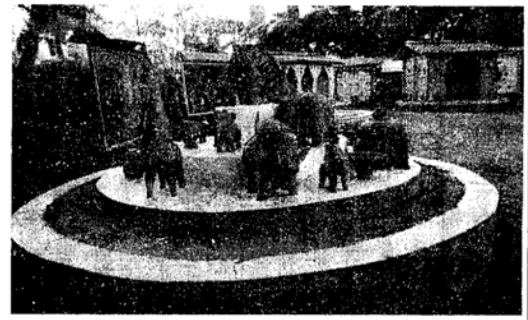
जिला भौगोलिक रूप से 6 विकासखण्डों में विभक्त है।झाबुआ जिले में 777 गॉव है तथा जिले में 4640 फलिये में आदिवासी बसते है जहॉ विकास सरिता को ले जाना शासन प्रशासन के लिए सदैव चुनौती रहा है ।

50 वर्ष पूर्व कटते जंगल परिणामतःपरती भूमि,काम की तलाश में आदिवासीयों का चारों तरफ पलायन। नैराश्य से भरे चेहरे –जिन्हें साहुकारों के चक्रव्यूह ने ओर दयनीय बनाया । जिनके तन पर न वस्त्र न वर्ष भर खाने का अन्न जिसकी तलाश मेंआदिवासी समुदाय का यत्र–तत्र भटकाता रहा है ।

झाबुआ की कृषि अर्थव्यवस्था वर्षा पर आधारित रही है। क्षेत्र में वर्षा की अनिश्चितता और वर्ष–दर–वर्ष अवरोही होना कृषि की अर्थव्यवस्था की कठिनाईयों को और बढ़ाता रहा है । ऐसी परिस्थितियों में विकल्प की आवश्यकता थी जिससे ग्रामीण स्वयं के विकास हेतु तैयार हो सके । 1989–91 में स्वयं सहायता समूह अस्तित्व में आया, स्वयं सहायता समूह ड्वाकरा(DWCRA: Development of Women and Children in Rural Areas), संयुक्त वन प्रबंधन, जल ग्रहण प्रबंधन मिशन और अब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की यात्रा करते हुए कालांतर में **''बायरा–नी–कुलड़ी''** के नाम से विख्यात होकर आज झाबुआ के क्षितिज पर अपनी आनंदमयी ललिमा के साथ दैदीप्यमान हैं।

NOTES





चित्र 2.42झाबुआ की आदिवासी महिलाओं का समूह झाबुआ की कुछ कलाकृतियां

''बयरा–नी–कुलड़ी''झाबुआ जिले की पहचान है जिसका स्थानीय बोली में अर्थ महिलाओं के गुल्लक से अर्थात नियमित बचत से है ।

स्व–सहायता समूह के गठन से आदिवासी समाज में जहाॅ एक ओर जीवन की आर्थिक गतिविधि प्रारंभ हुई वहीं दूसरी ओर परम्परागत समाज में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में परिलक्षित हुई । नशा मुक्ति, दहेज–प्रथा उन्मूलन, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा, कुष्ठ रोग उन्मूलन, साहूकारों से मुक्ति आदि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्व–सहायता समूहों के माध्यम से क्रातिकारी कार्य किये गये।

सपने देखना जीवित होने की निशानी है, साथ ही सपने आगे बढ़ने की राह भी प्रशस्त करते हैं। विकास के साक्षी इन आदिवासियों ने भी भविष्य के लिए कुछ स्वप्न देखे हैं जिन्हें निश्चित ही शासन–प्रशासन में बैठे लोगों को पूरे करने में सहयोगी बनना होगा।

सदियों से साहूकारों के दुष्चक्र और बैंक की जटिलताओं में उलझे स्व–सहायता समूहों से संबद्ध जागरूक लोगों का पहला स्वप्न तो यही है कि वे अपने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था विकसित कर सकें। ताकि दूसरों पर इनकी निर्भरता कम हो सके।

2.6.5 विकास का सामाजिक सफर : शहडोल

प्रस्तावना–म. प्र. के पूर्व मध्य में स्थित शहडोल क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौन्दर्य व खनिज संपदा के लिये प्रख्यात रहा है। बघेलखंड क्षेत्र के राजा वीरभान सिंह के द्वितीय पुत्र इलाकेदार जमनी सिंह के प्रयास से सोहागपुर इलाके में शहडोलवां गांव बसाया था व आगे चलकर यह शहडोल नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज शहडोल संभाग है व इसके अंतर्गत शहडोल, उमरिया व अनूपपुर 3 जिले आते है। तीनों जिलों की आर्थिक–सामाजिक संरचना एक जैसी है।



चित्र **2.43**शहडोल के पहाड़ी एवं वन क्षेत्र

NOTES

स्वतंत्रता के पूर्व रीवा राज्य के महाराजाओं व ब्रिटिश काल के प्रशासकों के लिए यह घोर जंगली क्षेत्र शिकार व मनोरंजन के लिए विख्यात था। स्वतंत्रता के पूर्व उमरिया शहर को इस क्षेत्र की राजधानी का दर्जा प्राप्त था जो कि 1948 में शहडोल में स्थानांतरित हुई। इस संभाग के अधिकांश शहर व कस्बे दक्षिण–पूर्व–मध्य रेल्वे जोन के बिलासपुर–कटनी रेल्वे लाइन पर स्थित है। उनमें प्रमुख है– अनूपपुर, अमलई, बुढ़ार, शहडोल, बीरसिंहपुर पाली, नौरोजाबाद, उमरिया, चाँदिया रोड आदि है।

डेक्कन प्लेट्यू (Deccan Plateau) के उत्तर–पूर्व में स्थित यह क्षेत्र 3 पर्वत श्रृंखलाओं– मैकल, सतपुड़ा व विंध्य के संधि स्थल में आता है। हरे–भरे जंगलों व खनिज संपदा के लिए समृद्ध इस क्षेत्र में बांधवगढ़ अंतराष्ट्रीय ख्याति का वन अभ्यारण्य है जहॉ वर्ष भर सैलानियों की आवक बनी रहती है। प्रसिद्ध तीर्थ अमरकंटक जो कि पुण्य सलिला मॉ नर्मदा का उद्गम स्थल है, वह भी इस क्षेत्र की एक अनुपम धरोहर है। अमरकंटक से 3 प्रमुख नदियॉ – नर्मदा, सोन व जोहिला निकलती, जो कि उनके निकट रहने वाले निवासियों के आर्थिक व सामाजिक जीवन को समृद्ध करती है।

आदिवासी बाहुल्य वाले इस क्षेत्र में मुख्य रूप से गोंड, कोल व बैगा जनजाति के लोग रहते हैं जिनका जीवन मुख्य से वनोपज व खेती पर निर्भर है।

क्षेत्र की जनसंख्या आधारित प्रमुख बातें संक्षेप में नीचे तालिका में दी गयी है (2011 की जनगणना के आंकड़ों का संदर्भ लिया गया है)।

NOTES

Table 1.5.2.3.bशहडोल संभाग के जिलों के बुनियादी विवरण

जनसंख्या आधारित पहलू	शहडोल जिला	उमरिया जिला	अनूपपुर जिला
भौगोलिक क्षेत्रफल	5671	4548	3701
कुल जनसंख्या	1064989	643579	749521
महिला–पुरूष जनसंख्या अनुपात	968	953	975
जनसंख्या घनत्व (आबादी प्रति वर्ग किमी)	172	172	172
कुल साक्षरता प्रतिशत	68.4	67.3	69.1
पुरूष साक्षरता प्रतिशत	78.3	78.3	80.1
महिला साक्षरता प्रतिशत	58.2	56.1	57.9

स्वतंत्रता के पश्चात हुए प्रमुख विकास कार्य–

स्वतंत्रता के पश्चात क्षेत्र में हुये विकास कार्यों व उद्योग परियोजनाओं के चलते क्षेत्र का स्वरूप व आर्थिक–सामाजिक परिदृश्य लगातार बदलता गया। एस. ई. सी. एल. (साउथ ईस्टर्न कोल फीलड लिमिटेड) के गठन से क्षेत्र में कई कोयला खदानों की शुरूआत होने से जहॉ बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हुआ वहीं कोयले कीढुलाई से रेल यातायात का विकास हुआ। कोयले की प्रचुरता के कारण क्षेत्र में ताप विद्युत उत्पादन की 2 बड़ी इकाईयॉ (थर्मल पावर प्लांट) – अमरकंटक ताप विद्यत गृह (चचाई) व संजय गांधी ताप विद्युत गृह (मंगठार – बीरसिंहपुर पाली) स्थापित हुई व इससे प्रदेश की बिजली की आवश्यकता बड़े पैमाने पर पूरी की जा रही है। सत्तर के दशक में उद्योगपति बिड़ला द्वारा अमलई में कागज बनाने का बड़ा कारखाना – ओरियंट पेपर मिल (अमलई) स्थापित कर क्षेत्र के विकास में योगदान किया गया। विश्व बैंक के सहयोग से बाणसागर परियोजना के कारण क्षेत्र का नाम सिंचाई क्षेत्र के रूप में उभरा। हालाकि इस परियोजना का लाभ अन्य राज्यों (बिहार, उत्तरप्रदेश) को भी मिल रहा है। इस परियोजना से बिजली का उत्पादन होने से भी क्षेत्र को पहचान मिली है। वर्तमान में रिलायंस, बेलस्पन व मोजरबेयर उद्योग समूहों द्वारा अलग–अलग प्रकार के उद्योग स्थापित किये जा रहें है। इन उद्योगों से एक ओर उत्पादन गतिविधि बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर इसके दूरगामी पर्यावरणीय प्रभावों का खतरा भी बढ़ेगा।

स्वतंत्रता के पश्चात सड़कों का जाल बना व आज क्षेत्र के अधिकांश गॉव पक्की सड़को से जुड़ गये है। यातायात के साधन बढ़े व लोगों का एक स्थान से दूसरे सथान तक आवागमन सरल हुआ है। एक समय में उमरिया जिले में लाख (वनोपज) के संग्रहण व उसकी प्रक्रिया (Processing) के लिए काफी प्रयास हुए, लेकिन आज सब कुछ बंद पड़ा है। क्षेत्र में वनोपज (महुआ, हर्रा, बहेड़ा, चिरौंजी, तेंदुपत्ता आदि) संग्रहण स्थानीय आदिवासी समुदाय की आजीविका का एक मजबूत सहारा है। साल में 4 से 6 माह तक लोग वनोपज संग्रहण कार्य में लगे रहते हैं। लगभग 20 वर्ष पहले तक वनों से आंवला भी काफी मात्रा में मिलता था। आज वनों की कटाई व आंवले के पेड़ों के नष्ट हो जाने से जंगलों में आंवला वनोपज के रूप में नही के बराबर मिलता है। वनोपज संग्रहण से स्थानीय संग्रहणकर्ताओं को कम व व्यापारियों को लाभ ज्यादा मिलता है। क्षेत्र में अच्छी जैव विविधता के कारण जड़ी–बूटियॉ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आदिवासी समुदाय के लोग इस संपदा के द्वारा भी अपनी आजीविका सुनिश्चित करते है। व्यापारियों की लाभ की वृत्ति के कारण यह संपदा भी धीरे–धीरे कम होते जा रही है।

NOTES

एक दशक पूर्व तक क्षेत्र में औसत वर्षा 1150 से 1200 मिमी हुआ करती थी। वर्तमान में वर्षा की कमी व अनियमितता के कारण खेती प्रभावित होती है। धान इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कृषि विभाग के माध्यम से काफी प्रयास हुए। खेती योग्य भूमि की कमी व जो भूमि खेती के लिए उपलब्ध भी है उसकी उत्पादकता कम होने से खेती व खाद्य सुरक्षा में तालमेल नहीं बैठ पाया। हाल के वर्षों में धान की खेती में श्री पद्धति का प्रचलन बढ़ा है व धान की पैदावार में क्षेत्र का प्रदेश स्तर पर काफी नाम हुआ है। क्षेत्र में मात्र 11 प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बहुसंख्यक आदिवासी समुदाय द्वारा पुराने परंपरागत तरीके से खेती करने के कारण कृषि उत्पादकता प्रभावित है। खेती में विकास के लिए क्षेत्र में जल व मृदा संरक्षण के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास हुए है लेकिन इन प्रयासों का सिंचित रकबा नहीं बढ़ा है।

जिससे अनुत्पादक खेती व प्रति व्यक्ति भूमि कम होने से (जिले में प्रति व्यक्ति औसत जमीन मात्र 1.8 एकड़ है जो कि जनसंख्या बढ़ने व संयुक्त परिवारों के विभाजन के कारण लगातार घट रहा है) रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर

लोग अन्य राज्यों में पलायन करते है। साल भर घर में या गांव में काम न. होने के कारण रोजगार के लिए पलायन एक प्रचलन बन गया है।

NOTES



चित्र 2.44शहडोल के आदिमजाति समाज के लोग व उनके खेत

क्षेत्र के विकास में सामाजिक व गैर शासकीय प्रयास–

क्षेत्र में सर्वप्रथम आई. आई. टी. कानपुर से प्रशिक्षित युवाओं द्वारा अनूपपुर के पास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अध्ययन के उपरान्त एक स्वैच्छिक प्रयास "विदूशक कारखाना" नाम से प्रारंभ किया गया। युवाओं की यह टोली कुछ वर्षों तक क्षेत्र की आवश्यकताओं व पर्यावरण का अध्ययन करते हुए कार्य करती रही लेकिन कुछ ही वर्षों में यह प्रयास बंद हो गया। शहडोल शहर में ईसाइ मिशन हास्पिटल के माध्यम से एक सुसज्जित अस्पताल प्रारंभ किया गया। क्षेत्र के लिए यह उपयोगी था। इस संस्था के माध्यम से रोजगार सृजन व ग्रामीण विकास के लिए भी प्रयास हुए। श्री श्यामबहादुर नम्र (गांधीवादी विचारों वाले सामाजिक कार्यकर्ता) ने क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिये प्रयत्न किया। श्री नम्र ने स्वयं सब्जी उत्पादन कर लोगों के बीच सब्जी उत्पादन कार्य का उदाहरण रखा। यह एक संस्थागत कम व व्यक्तिगत प्रयास ज्यादा था। श्री नम्र आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान कायम है।

सन 2000 से क्षेत्र में सहजीवन समिति ने जनसहभागिता से टिकाऊ विकास को लेकर प्रयास प्रारंभ किये। समिति द्वारा खेती में सुधार के लिए जल व मृदा संरक्षण के कार्य से काम की शुरूआत की गयी। खाद्य प्रसंस्करण व स्थानीय खेती व वनोपज के प्रसंसकरण से मूल्य वृद्धि हेतु लगातार प्रयास जारी है। प्रयासों के क्रम में उत्पादन व विपणन हेतु स्थानीय, प्रदेश स्तरीय व राष्ट्रीय मेलों /प्रदर्शनियों में भाग लेकर कार्य जारी है। समिति महिला सशक्तीकरण हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों के विकास व आजीविका सुदृढ़ीकरण के कार्य में सतत् प्रयत्नशील है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर की अनेक गैर शासकीय संस्थायें क्षेत्र में विकास गतिविधियों में संलग्न हैं।

क्षेत्र में सरकारी विभागों व परियोजनाओं के अलावा राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बड़े पैमाने पर विकास गतिविधियों को परियोजना शैली में पोषित करने व अधोसंरचना विकास हेतु प्रयास जारी है।

NOTES

विकास की बाट जोहता एक दुर्गम संकुल – खम्हरिया

शहडोल क्षेत्र चूंकि वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से समृद्ध है । इस कारण कुछ क्षेत्र इस प्रकार के हैं जहां आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, बाजार, शैक्षणिक संस्थायें आदि का अभाव है। ऐसा ही एक क्षेत्र शहडोल जिले के बुढ़ार विकासखण्ड का खम्हरिया है। संकुल खम्हरिया को केन्द्र में मानकर आठ दस गांव में आज तक बिजली की सुविधा विकसित नहीं हो पायी है । तीनों ओर से पहाड़ो से घिरे इस संकुल में बरसात के मौसम में जनजीवन प्रभावित रहता है लोग बीमार होने पर इलाज से वंचित रहते हैं । मूल जनजाति की संख्या बहुतायात में होने के बावजूद बैगा, अगरिया, पलिहा, पांडो, जोगी, यादव जाति के लोग यहां रहते हैं । यहां जंगल मुख्य रूप से सरई, साल, महुआ, तेंदू व बहेरा के वृक्षों से भरा है व धान यहां की मुख्य फसल है । औसत परिवार के पास दो से तीन एकड़ भूमि है तथा जमीन रेतीली होने के कारण हल्दी व अन्य कंद वाली फसलों के लिये उपयुक्त है । वनोपज के रूप में महुआ, तेंदूपत्ता, बहेरा, चिरौंजी पर लोगों की आजीविका चार से छः महीने निर्भर रहती है । कमजोर खेती व वर्ष भर काम न होने के कारण 25 प्रतिशत परिवारों के लोग अन्य राज्यों के लिये पलायन कर जाते है । लोहारी व बांस की कारीगरी से अपनी आजीविका कमाने वाले गिनती के परिवार इस संकुल में है । कुनुक नदी जो की इस क्षेत्र से गुजरते हुये जैतपुर व झींकबिजुरी सड़क को चार बार काटती है । शासन द्वारा नदी पर अलग–अलग जगह पर पुल बनाने का कार्य प्रगति पर है । गांव जो कि संकुल का जंक्शन है व यहां साप्ताहिक बाजार भी लगता है । इस गांव को केन्द्र में रखकर संकुल के लिये निम्न विकास परियोजनाओं पर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि अलग–थलग कटा हुआ यह क्षेत्र विकास की धारा से जुड़ सके।

1. लघु सिंचाई परियोजनाओं का विकास।
2. शिक्षा व कौशल विकास हेतु समुचित व्यवस्था।
3. बस्तियों व टोलों का सौर उर्जा आधारित विद्युतीकरण।
4. आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास।
5. सूक्ष्म उद्यम विकास
6. माइक्रो इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स का विकास

NOTES

प्रमुख मुद्दें जिन पर संगठित व सघन प्रयासों की आवश्यकता है

शहडोल क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए निम्न प्रयास किया जाना आवश्यक है–

- एग्रो प्रोसेसिंग के द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाना व कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कृषि के क्षेत्र में पुराने तरीकों की बजाय नयी तकनीकों का व्यापक प्रचार–प्रसार
- उद्यानिकी फसलों का प्रचलन बढ़ाना
- अंतर्वर्ती फसलों की खेती व उत्पादकता में सुधार
- हल्दी व मसालों की फसलों का प्रचलन बढ़ाना
- दुग्ध उत्पादन व डेयरी विकास
- वनोपज प्रसंस्करण से मूल्य वृद्धि
- निश्चित अवधि के रोजगारमूलक प्रशिक्षणों की व्यवस्था
- शहडोल संभाग में उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए प्रतिष्ठानों की स्थापना (इंजीनियरिंग व मेडिकल कालेज)
- सूदुर क्षेत्रों में अच्छी बैंकिंग की सुविधायें निर्माण करना

(डॉ. गिरधर माथनकर सामाजिक कार्यकर्ता, कल्याणपुर, शहडोल द्वारा)

2.6.6 उन्मुक्त किसान : डी.पी.आई.पी. की सफलता

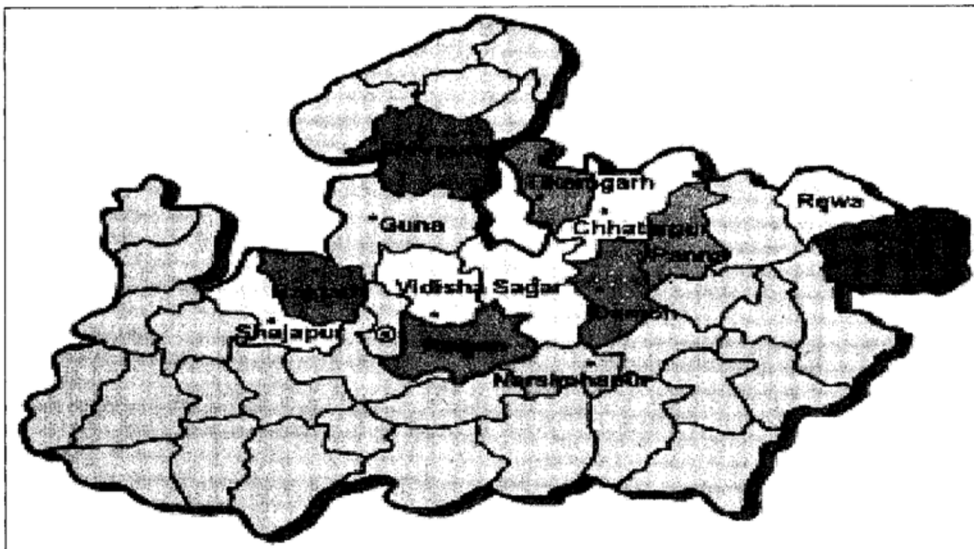
मध्यप्रदेश में DPIP योजना एक सफल उदाहरण है– जिसके अन्तर्गत शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर कार्य जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एव ग्रामीण स्तर पर किया जा रहा है।

इन्दिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना (DPIP-District Poverty Initiative Project)

मध्यप्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से गरीबो के विकास के लिए इस योजना का प्रारम्भ किया है। आजीविका परियोजना का प्रेरक उद्‌देश्य है कि इस योजना के अन्तर्गत समाज के उन वर्गों को खडा करना है जो आज भी हमसे बहुत पीछे रह गए हैं।यह योजना सरकार द्वारा प्रदेश के 14 जिलो में क्रियान्वित है। इस कार्य के द्वारा पिछडे वर्गो में भी अपने समान ज्ञान, नेतृत्व

क्षमता, व्यवसाय, विकास के लिए कार्य और ऐसे बहुत से कार्य है जो उनके द्वारा किए जाते है, उनको पूर्ण रूप से नई दिशा देना, उनके नए आयाम खोजना तथा उन्हें पूर्ण रूप से सक्षम बनाना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

इस योजना की शुरूआत 2001 से की गई। जिसमें सरकार द्वारा चिन्हित किए गए गांवों, कस्बों तथा जिलों में इस योजना का कियान्वयन किया गया। इसके तहत 2817 गांव, 53 विकासशील कस्बे और 14 जिलों को लिया गया जो निम्नानुसार हैं–1. छतरपुर, 2. दमोह, 3. सागर, 4. पन्ना, 5. रायसेन, 6. विदिशा, 7. गुना, 8. टीकमगढ, 9. सीधी, 10. नरसिंहपुर, 11 .राजगढ, 12. रीवा13. शाजापुर, 14. शिवपुरी।



चित्र 2.45डीपीआईपी परियोजना के 14 जिले– जिसमें जिलों के नाम लिखे हुये।

डी.पी.आई.पी ने सभी जिलो के गांवो व कस्बो को मिलाकर ''ग्रामीणो के लिए अभिप्रेरण'' नाम का एक कार्यक्रम बनाया, जिसमें 56,000 परिवारो ने भाग लिया।यह बताया गया कि आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, आप अपने तरीकों से अपने स्तर पर कैसे सुधार ला सकते हैं? इस कार्य को करने के लिए सरकार आप को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

सभी स्तरों पर लोगों को जोडने के लिए इस संस्था ने समान रुचि समूह (CIG-Common Interest Groups) नाम का एक समूह बनाया, जिसमें लोगो को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान की गई।

NOTES

इसके अन्तर्गत की गतिविधियाँ–

1. **भू– आधार** :–भू भाग पर कुल 25,808 योजनाएँ चलाई गईं– जिसके तहत 9557 कूएं, 3118 ट्यूब वेल, पम्प, पाईप आदि ऐसे कार्य किए गए।
2. **पशु कृषि फॉर्म** :–जिसमें कुल 12,966 योजनाओं का कियान्वयन हुआ– जिसमें 8364 डेयरी, पोल्ट्री फॉर्म 374, अन्य 325 आदि ऐसी विभिन्न योजनाओ पर कार्य किये गये।
3. **ट्रेडिंग** :–जिसमें कुल 3,854 योजनाओं का कियान्वयन हुआ।

ग्राम विकास समूह (VDC -Village Devlopment Committee)

''ग्राम विकास समूह'' के ग्रामीणों ने खुद का एक बही खाता बनाया है जिसका नाम ''अपना कोश'' रखा गया है। जिसमें 2,650 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया।

क्र	प्रकार	उदाहरण
1.	भूमि स्तर पर	कृषि के विकास के लिए कुएं, ट्यूब वेल, मोटर, पाइप लाईन आदि।
2.	पशु कृषि फॉर्म	इसमें पशु पालन डेयरी, पोल्ट्री फॉर्म आदि।
3.	कार्य क्षेत्र/ग्रामीण व्यवसाय	इसके अन्तर्गत भवन निर्माण, कारीगरी, बढई द्वारा बनाई गई वस्तुओं का व्यवसाय, साईकल व आटो रिक्शा सुधारने की दुकान, रोड के किनारे होटल, आचार व पापड उद्योग, टेलर, राईस मील आदि।
4.	लेन–देन (ट्रेडिंग)	इसके अन्तर्गत किराना की दुकान, जनरल स्टोर, कपडे की दुकान,मोबाईल की दुकान, फोटो कॉपी शॉप,बर्तन की दुकान, चमडे के जूतो की दुकान आदि।
5.	आधार भूत संरचना	इसके अन्तर्गत पीने के पानी की व्यवस्था, सामुदायिक भवन का निर्माण, स्कूल भवनो का निर्माण, ग्रामीण लोगों से जुडे रहने के लिए संरचना, वनो व जल का संरक्षण विद्युतीकरण करना आदि।

परियोजना द्वारा पाये गये परिणाम जिस कारण उसको सफल माना जाता है:

- ☞ **कुल आय में वृद्धि–65%**
- ☞ **कृषि के क्षेत्र में बढोतरी –149%**
- ☞ **कृषि की आय मे बढोतरी–66%**
- ☞ **पशु पालन कुल आय में बढोतरी–158%**

2.6.7 प्रदेश के विकास की दिशायें (Directions of Development)

NOTES

अनुभाग 1.5.2 में हमने मध्यप्रदेश के चार क्षेत्रों में पाये गए विकास के अनुभवों को आप के सामने रखा। आगे की चुनौतियों को भी प्रदर्शित करने की कोशिश की।

उदाहरण के लिये : चंबल क्षेत्र की आम समस्या क्या थीं ? बीहडों के कारण उत्पन्न भौगोलिक स्थिति, डाकुओं के कारण उत्पन्न सामूहिक अव्यवस्थायें इत्यादि, जबकिझाबुआ की स्थिति बिलकुल अलग थी।

विकास की कुछ प्राथमिकतायें:

सुदूर क्षेत्रों में स्थित, आदिम जाति–बहुल मध्य प्रदेश के गॉवों को विकसित करना एक बहुत बडी चुनौती होगी। उसके लिये एक ओर से प्रशासन करने के लिए अनूकूल स्थिति को लाना है और दूसरी ओर से नयी तरह की विकेन्द्रीकृत विकास की तैयारी में युवाओं को नेतृत्व एवं तकनीकी प्रशिक्षण देना है। (वर्तमान पाठ्यक्रम इस दूसरे सिध्दांत के आधार पर है।)

यह भी याद रखना होगा कि कई समस्यायें ऐसी हैं जो करोडों लोगों से संबंधित हैं। इनके समाधान में केवल सरकारी कर्मचारी द्वारा उचित सेवायें पहुंचाना नामुमकिन है। इसमें कभी छात्रों कभी स्वयंसेवी संस्थानों को; कभी ग्रामीण उद्यमियों को तो कभी बडी कंपनियों को; कभी सेवा निवृत्त कर्मचारियों को है तो कभी सेना के नौजवानों का सहयोग लेना उपयोगी होगा। जहॉ तक हो सके स्थानीय संसाधन, स्थानीय नेतृत्च एवं स्थानीय चिन्तन के आधार पर करना होगा। सूचना प्रोद्योगिकी को इस्तेमाल करने से कई संभावनायें उभरती हैं।

आइये कुछ ऐसी दिशाओं पर विचार करें जो मध्य प्रदेश के लिये अनिवार्य होंगे:

(1) स्थानीय पहल से विकास करने के लिये 'क्लस्टरों' में बांटने की जरूरत:

51 जिलेवाले मध्यप्रदेश में 313 विकासखंड हैं, और 23,006 ग्राम पंचायतें हैं – यद्यपि 54,903 ग्राम हैं। कुल आबादी 726.27 लाखों में 525.57 लाख ग्रामीण लोग माने जाते हैं। अतः औसत में एक विकास खंड में 1.7 लाख आबादी है, और हर ग्राम

पंचायत में औसतन में 2300 लोग हैं। हर ग्रामीण विकास खंड में 70 के करीब ग्राम पंचायतें हैं।

NOTES

मध्य प्रदेश का हर विकास खंड साधारणतः 500 से 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलवाला है जबकि कन्याकुमारी जिले के आठ ब्लाक शामिल होकर 1684 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब हर ब्लॉक 21.5 वर्ग किमी–याने उसका औसत व्यासकरीब 5 किमी है। इसी प्रकार की स्थिती केरल में भी है। मध्यप्रदेश के कुछ क्षेत्रों में एक ब्लाक/तहसील का व्यास करीब 30 किमी से भी ज्यादा हो सकता है।

अतः मध्य प्रदेश में हर विकासखंड को दो या तीन भाग में बांटकर हर क्लस्टर मुख्यालय में अधिकांश सुविधायें उपलब्ध कराने से ही लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। उसके लिये क्या समाधान है ?भौगोलिक 'स्थितियों को और आर्थिक विकास के लिये वांछित संसाधनों की मांग को विचार करके विकास 'क्लस्टरों' को चिन्हितकरना पड़ेगा। हर एक क्लस्टर में 'नगरीय सुविधाओं को ग्रामीण आंचल में उपलब्ध करने का' (Provision of Urban-amenities in Rural Areas) सिद्धांत अपनाना पड़ेगा।

(2) विकास के लिये अनिवार्य तकनीकी संपर्क साधन (Technical connectivity)

जैसे–

- पहुंच मार्ग एवं यातायात
- ऊर्जा
- इंटरनेट, टेलिफोन आदि संचार संपर्क
- व्यवसाय संबंधित संसाधन (यातायात, पैकिंग, गोदाम, बैंकिंग, ए.टी.एम., तकनीकी सेवायें)

टीपः– मध्यप्रदेश में ऊर्जा की कमी है– खास तौर पर छत्तीसगढ के अलग होने के बाद। अतः सौर ऊर्जा को बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना होगा। सुदूर स्थित आदिवासी क्षेत्रों के लिये सौर ऊर्जा एक मात्र विकल्प होगा। यह आज संभव भी है। आजकल

उद्योगों को परेशान करने वाले पावर–कट से भी हमेशा के लिये मुक्ती मिल जायेगी।

NOTES

(3) सामाजिक संजाल

आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये यह जरूरी है कि लोंगो को संगठित करनेवाले स्वयं सहायता समूह, कारीगर समाज (artisan's guild), किसान संघ, उद्यमी संघ आदि संघों के माध्यम से लोगों को विकास की योजनाओं से जोडें। इससे एक ओर से आर्थिक लाभ को गरीब तबके के लोगों तक पहुँचाना संभव होगा; दूसरी ओर लोगों के द्वारा व्यस्थाओं पर नियंत्रण रखना भी संभव होगा।

(4) तकनीक मुहैय्या करना : कार्याधारित शिक्षा ही अंतिम समाधान होगा

पूरे मध्ये प्रदेश में 18,03,975 स्वयं सहायता समूह हैं। इसके बराबर कारीगर संघ, उद्यमियों के संघ, किसान संघ इत्यादि हैं– जो आर्थिक गतिविधियों के लिये तकनीकी जानकारी एवं सहायता के लिये तरस रहे हैं। परंतु जितने पैमाने में तकनीकी सुविधायें चाहिये उसका 10% भी नहीं है। अतःइन संगठित जन–समूह के लियेतकनीक उपलब्ध करने की व्यवस्था ढूंढना प्रदेश की प्राथमिकता होगी।

इसके लिये विशेष सलाहकार समिति द्वारा योजना बनाना है। यह भी ध्यान में रखना कि इसका अंतिम समाधान तो शिक्षा की शैली में बदलाव लाना है। कार्याधारित शिक्षा द्वारा हर व्यक्ति को एक स्वावलंबित जीवन के लिये एवं राज्य के आर्थिक कार्यों में भागीदारी होने के लिये तैयार करना है।

(5) मध्य प्रदेश के ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को स्थिर स्थिती में लाने के लिये उचित तीन दिशायें

(a) कृषि उपजों का मूल्यवर्धन करने से किसानों का मुनाफा बढेगा और किसानी की स्थिरताभी बढेगी। असल में इस मूल्यवर्धन का कार्य ही ग्रामीण औद्योगीकरण का एक मुख्य तरीका होगा।

NOTES

कच्चामाल तो कृषि उपज से है। इसी प्रकार गॉव में उपलब्ध कारीगरी ज्ञान भी एक बड़ी पूंजी है। अतः कृषि–उपजों के मूल्यवर्धन से संबंधित उद्योग शुरू करना पडेगा। इसका करीब आधा भाग स्थानीय मार्केट में बिक जाने लायक होना चाहिए। शेष भाग पड़ोसी जिले/राज्य या निर्यात के लिये।

(b) सूक्ष्म उद्योगों प्रक्षेत्र (Micro-Industrial Complex)आसानी से ग्रामीण संदर्भ में बना सकते हैं। एक ही कृषि उपज को लेकर कई उद्योग बन सकते हैं। उदाहरण के लिये – हल्दी से मसाला बना सकते हैं, दवायें बना सकते हैं, रंगाई का समान बना सकते हैं या सौन्दर्य की सामग्रियॉ भी बना सकते हैं। मान लीजिये हर दिशा में दो–तीन उद्यमी अपने उद्यौग लगाने के लिये तैयार हैं। लेकिन हर एक के लिये कुछ आम सुविधायें चाहिये – जैसे पाउडर बनाने का, मापन, पैक करने का, गुणवत्ता जांच करने का इत्यादि। ऐसी तकनीकी सुविधाओं को एक आम सुविधा केन्द्र के रूप में जोड देने से उद्यमियों के निवेश में कमी हो जाती है। इसके अलावा एक काम्पलेक्स के रूप में चलाने से ऊर्जा आदि सेवायें भी उपलब्ध कराना आसान है। इस प्रकार के 20, से 40 इकाइयों के बीच एक बैंक की शाखा भी हो तो माल को ही सेक्यूरिटी (सुरक्षा निधी) के रूप में मानकर बैंक द्वारा पूंजी निवेश करना भी आसान हो जाता है।

(c) इन सूक्ष्म उद्योग केन्द्रों के अलावा ग्रामीण उद्योगों में काफी काम घर में ही हो सकता है। घर में ही करने से शेड का खर्चकम हो जाता है और ग्रामोद्योग को स्थिर बनाना आसान हो जाता है।

इस प्रकार

(i) घर पर होनेवाला काम

(ii) ग्राम स्तर पर आम सुविधा केन्द्र में होनेवाला काम और

(iii) उच्च स्तर के तकनीकी सेवा प्रदत्त करने वाले क्लस्टर स्तर का केन्द्र इन तीनो से बननेवाला उद्योग व्यवस्था को

'ग्रामीण आर्थिक प्रक्षेत्र' (Rural Economic Zone: REZ) के नाम से पुकारा जाता है। यह ग्रामीण स्तर में, ग्राम के कच्चामाल एवं कारीगरी कुशलता को आधार मानकर करने वाली एक विधा है। इसके द्वारा मध्य प्रदेश के हर ब्लाक में उद्योग स्थापित कर सकते हैं। इससे स्थानीय मांगों को पूरा करने के अलावा पडोसी क्षेत्र में भी मार्केट कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं।

NOTES

ळर REZ के अंदर कई MIC हो सकते हैं।

मध्य प्रदेश के संदर्भ में करीब 1000 ग्रामीण आर्थिक प्रक्षेत्र (REZ)एवं करीब 5000 सूक्ष्म उद्योग (Micro Industrial Complex) परिसर संभव हैं।

टीपः— आज सौर उर्जा तकनीक द्वारा हर उद्योग परिसर अपनी उर्जा की मांग को पूरा कर सकता है। सौर उर्जा के लिये जो 'सोलर फोटोवाल्टाइक पैनल' होता है उसको छत के स्थान में स्थापित कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक प्राप्त होनेवाली उर्जा ग्रिडको बेची जा सकती है।

(6) आदिवासी क्षेत्रों के लिये तीन महत्वपूर्ण कदमः

(i) महाराष्ट्र राज्य में गढ़चिरौली जिले में मेंढा–लेखा गॉव में एक महत्वपूर्ण प्रयोग चला। इसके अनुसार ग्राम पंचायत के साथ एक वन क्षेत्र को संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत जोडा गया)। गॉव का फर्ज बनता है कि वे वनो को स्वस्थ मतलब हरा भरा घना रखतें हुये गैर–टिंबर वनोपजों का फायदा उठाकर अपनी आजीविका प्राप्त करते रहे। अब यह व्यवस्था पूरे महाराष्ट्र में जारी है।

मध्यप्रदेश में वनों से मिलनेवाला मुनाफों में से एक अनुपात वन क्षेत्र की पंचायतों को देने का प्रावधान तो है परन्तु यदि लोगों की भागीदारी में बढावा हो सकता है तो उनके जीवन स्तर को बेहतर करना आसान होगा।

NOTES

(ii) वन के संदर्भ भी REZ के बराबर हर वन क्षेत्र को एक आर्थिक प्रक्षेत्र का रूप देना होगा।

(iii) इसके अलावा क्लस्टर के रूप में बांटकर लोगों के लिये आधुनिक सेवायें पूरी तरह उपलब्ध कराना आवश्यक है।

(iv) **सरकारी योजनाओं का अभिसरण**(convergence)**याने एक जगह मिलाना**

विभिन्न योजनायें भिन्न–भिन्न विभागोंद्वारा चलायी जाती हैं। विभागों के बीच बातचीत न होने के कारण ज्यादा नुकसान ही होता है। जब आसपास के करीब 10 से 20 वन ग्रामों को मिलाकर क्लस्टर के रूप दिये जायेंगा और ग्रामीण आर्थिक प्रक्षेत्र नाम का एक प्रबंधक केन्द्र हो जायेगा विभिन्न योजनाओं को एकत्रित करने का एक रास्ता खुल जायेगा। लोगों को तकनीकी उपलब्ध करने का भी एक तरीका शुरू हो जायेगा और सुविधाओं को देने का भी।

हमने जाना :

- मध्यप्रदेश के ग्यारह कृषि जलवायु क्षेत्र बनाये जा सकतें हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं । उनकी विकास योजनाएं भी युक्तीयुक्त होना जरुरी होगा।
- सही ढंग से लोगो की क्षमता और उनकी प्राथमिकता को जानकर उनको ताकत देकर उचित समर्थन दे सकें।
- हमने समझा कि प्रदेश की अनेकों समस्याओं का सामना करने के लिए सिद्धांत एवं तकनीकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। नेतृत्व विकास एवं सही योजना द्वारा स्थिति ठीक की जा सकती हैं।

कठिन शब्द :

क्लस्टरः यह शब्द विभिन्न अर्थों के साथ उपयोग में हैं। खादी ग्रामोद्योग विभाग एक क्षेत्र को किसी कारीगरी का क्लस्टर के रुप में तभी मानता हैं जब उसी कारीगरी के सैकडो–हजारों कारीगर मौजूद हैं। एक प्रकार से यह “सघन क्षेत्र“ हो गया। परंतु हमारा उपयोग 'भौगोलिक क्षेत्र' के अर्थ में है– क्षेत्र जो संबंधित समूह के आपस में संपर्क करने लायक हो।

- मूल्यवर्धन को : अंग्रेजी में value addition कहते हैं। कपास को लेलें तो पहले वह बीज के साथ होता हैं और धूल आदि से भरपूर। जब बीज निकाला जाता हैं और साफ हो जाता हैं तो उसका मूल्य बढ जाता हैं। इस प्रकार वह पोनी(rowings) बनने पर, सूत बनने पर, वस्त्र बनने पर, कपड़ा बनने पर, मूल्य के सोपानों पर चढ़ता रहता है। इस प्रकिया को मूल्यवर्धन कहते हैं।

NOTES

अभ्यास के प्रश्नः

- आप जिस जिले में हैं वह कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र में है ? क्या इस क्षेत्र के किसी भाग को लेकर उसके 60 साल के पहले की स्थिति, बीच में वहां किये गये विकास कार्य– इनका जिक्र कर सकते हैं ? अभी भी विकास की समस्यायें जारी है उस पर विचार करके अपने प्रस्तावों को दर्ज कीजिए।
- आपके क्षेत्र में बड़े पैमाने में लागू की गयी सरकारी योजनाएं क्या हैं ? उनके ऊपर कुछ शोध करके एक लेख तैयार करें?
- अपने गांव या पंचायत को लेकर उसके विकास पर संभावनाओं को ढूंढिए। MDGया नए रूप में SDG के स्तर पर उसकी स्थिति क्या हैं ? कैसे उसको पटरी पर ला सकते हैं ?

NOTES

परिशिष्ट

सतत विकास लक्ष्य 2030

Sustainable Development Goals (SDG) 2030

'हमारी दुनिया में बदलाव – सतत विकास के लिये लक्ष्य 2030

परिचय और पृष्ठभूमि

2015 के पश्चात् विकास एजेंडा अंगीकृत किये जाने के लिये न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की 193 सदस्यीय महासभा के 70 वें अधिवेशन में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 150 से अधिक देशों के राष्टाध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में (सहस्राब्दि विकास लक्ष्य; एमडीजी–Millennium Development Goals–मिलेनियम डिवेलपमेंट गोल्स) के स्थान पर वर्ष 2030 के लिये सतत् विकास लक्ष्य ;एसडीजी–Sustainable Development Goals–सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स) को औपचारिक तौर पर अंगीकार किया गया।

वास्तव में एसडीजी 2030, 'हमारी दुनिया में बदलाव–टिकाऊ विकास के लिये 2030 की विषयवस्तु' प्रस्तुत करते हैं जिनमें अगले 15 वर्षों के लिए कुल 17 विकास लक्ष्य और 169 गन्तव्य ;टार्गेट तय किये गये हैं। ये 169 बिंदु हर लक्ष्य की व्यापकता को स्पष्ट करते हैं। दुनिया भर में यह माना गया है कि सहस्राब्दि विकास लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं किये जा सके हैं। गरीबी विभिन्न रूपों में बनी हुई है। गैर–बराबरी बढ़ रही है। स्वास्थ्य की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। लैंगिक भेदभाव, बच्चों की मृत्यु के मामले दुनिया एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में हैं। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल करने मे रही बड़ी कमियों को ध्यान में रखते हुए यह लक्ष्य तय किये गए हैं। ये सार्वभौमिक, महत्वकांक्षी और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य गरीबी सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराने पर केन्द्रित हैं ताकि हमारे ग्रह, पृथ्वी पर सभी लोगों को फलने–फूलने के लिये सुरक्षित, न्यायसंगत और टिकाऊ अवसर मिल सकें। इस वैश्विक दृष्टि को पा सकने के लिये कोई व्यक्ति या देश पीछे न रहें तथा सभी लोग और सभी देश अपनी भूमिका का निर्वाह करें, ये लक्ष्य इन नैतिक सिद्धान्तों को परिलक्षित करते हैं। इन लक्ष्यों और उद्देश्यों में महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण संदेश शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र का एसडीजी 2030 दस्तावेज क्रमांक ए/आरईएस/70/1 यह घोषणा करता है कि हम मानव समाज को गरीबी और अभाव के अन्याय से मुक्त करने तथा अपने ग्रह पृथ्वी के घावों को भरते हुए उसे मानव जीवन के लिये महफूज रखने के लिये कृतसंकल्प हैं। ये एकीकृत एवं व्यापक लक्ष्य टिकाऊ विकास के तीनों आयामों, जैसे आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण परिवेश के बीच संतुलन स्थापित करते हैं।

हम मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तय किये गये सतत विकास लक्ष्य विकास की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमें यह देखने की कोशिश करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगार के ना पर लोगों को महज योजनाओं का आभासी अहसास ही मिल पा रहा है। विकास की बहस का मकसद कहीं फ्लोगों और समाजय को किसी योजना का मात्रा हितग्राही मान कर, उनके व्यापक हकों को सीमित कर देना तो नहीं है? बीसवीं शताब्दी के आखिरी सालों तक पहुँचते–पहुँचते यह तो स्वीकार कर ही लिया गया था कि हर तरह की गैर–बराबरी और हर तरह की बेदखली को खत्म किये को खत्म किये बिना शांतिपूर्ण मानव समाज की स्थापना संभव नहीं है, किन्तु चिन्ता की बात यह है कि नीतियां गैर–बराबरी और बेदखली को खत्म करने के मकसद से बनाई ही नहीं गयीं। अब यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या राज्य की भूमिका केवल नियम और कानून बनाने भर की है या वास्तव में उसे क्रियान्वयन में भी केन्द्रीय भूमिका निभाते ही रहना होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण का निजीकरण मानव विकास हमारे पारिस्थितिकी तंत्र; मानव–पेड़–पानी–जीव जंतु–हवा–खनिज–पहाड़–जमीन–हिम शिखर–जंगल आदि का जोड़ को तोड़ता या नुकसान पहुँचाता है, उस विकास को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। वस्तुतः ऐसे विकास को विकास कहना बेमानी होगा। भारत का संविधान भी इसी सिद्धान्त में विश्वास व्यक्त करता है।

हम यह मानते हैं कि नियमन और युक्तियुक्तकरण; जिसका उल्लेख इन लक्ष्यों में बार–बार है, का मतलब और मकसद यह नहीं है कि समाज को उन हकों से वंचित किया जाएगा या शुल्क के भुगतान पर ही उन्हें बुनियादी सेवाएं हासिल होंगी। वास्तव में अपनी राष्ट्रीय नीतियों और कानूनों में हमें यह सुनिश्चित

करना होगा कि संसाधनों के प्रबंधन और उन्हें बेहतर बनाने में समुदाय और स्थानीय निकायों की भूमिका केन्द्र में हो।

हम मानते हैं कि सतत और टिकाऊ लक्ष्य हासिल कर पाना तब तक नामुमकिन है, जब तक खुद समाज उन्हें तय नहीं करता और उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया का नेतृत्व अपने जिम्मे नहीं लेता है।

इस सोच के तहत जरूरी है कि हम यह जानें कि दुनिया में विकास की कौन–सी परिभाषा गढ़ी और लागू की जा रही है। अक्सर हम अपने स्थानीय परिवेश में ही विकास को देखते और मापते–तौलते रहते हैं, जबकि एक दिन आता है जब कोई अनजाना समूह आकार विकास के नाम पर कुछ करने लगता है, जिसमें समाज की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसे में हमने संयुक्त राष्ट्र यह दस्तावेज विकास संवाद समूह के लिए एक त्वरित संदर्भ सामग्री है ताकि समूह अपने कामों और मकसद को एसडीजी 2030 की अवधरणा के परिप्रेक्ष्य में देख और लागू कर सकें। लोग (पीपल), ग्रह (प्लेनेट), संपन्नता (प्रॉसपेरिटी), शांति और भागीदारी (पीस एण्ड पार्टनरशिप) इस एजेंडा के प्रमुख पहलू हैं।

NOTES

सतत् विकास लक्ष्य 2030 और प्रमुख उद्देश्य

पहला लक्ष्यः पूरे विश्व से हर तरह की गरीबी को खत्म करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो।

दूसरा लक्ष्यः भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलना।

तीसरा लक्ष्यः सभी आयु के लोगों के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और उनके स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना।

चौथा लक्ष्यः समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता–युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी को जीवनपर्यंत सीखने के अवसर सुलभ करना।

पाँचवां लक्ष्यः लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त करना।

छटवाँ लक्ष्यः सभी के लिये पानी और स्वच्छता की उपलब्ध्ता और उनका सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करना।

सातवाँ लक्ष्यः सभी के लिये सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।

आठवाँ लक्ष्यः सभी के लिये निरंतर, समावेशी, तथा सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार एवं बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।

नौवाँ लक्ष्यः लचीला एवं बुनियादी ढांचा स्थापित करना, समावेशी तथा सतत् औद्योगीकरण को बढ़ावा देना एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना।

दसवां लक्ष्यः देशों के बीच एवं उनके भीतर असमानता को कम करना।

ग्यारहवाँ लक्ष्यः ऐसे शहर और मानव–बस्तियाँ बनाना जो समावेशी, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ हों।

बारहवाँ लक्ष्यः ऐसे शहर और मानव–बस्तियाँ बनाना जो समावेशी, सुरक्षित लचीले और टिकाऊ हों।

तेरहवाँ लक्ष्यः जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्यवाही करना।

चौदहवाँ लक्ष्यः स्थाई विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण तथा उनका विवेकपूर्ण दोहन करना।

पंद्रहवाँ लक्ष्यः स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों की रक्षा, बहाली तथा उनके विवेकपूर्ण उपयोग एवं वनों के सतत् प्रबंध्न को बढ़ावा देना, मरूस्थलीकरण पर काबू पाना, भू–क्षरण को रोकना और भूमि संरक्षण की ओर बढ़ना तथा जैव विविधता के बढ़ते ह्रास को विराम देना।

सोलहवाँ लक्ष्यः सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिये न्याय तक पहुँच उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाएं बनाना।

संत्राहवाँ लक्ष्यः कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करना और सतत् विकास के लिये वैश्विक भागीदारी पुनर्जीवित करना।

NOTES

पहला लक्ष्य

पूरे विश्व से हर तरह की गरीबी की समाप्ति, चाहे वह किसी भी रूप में हों।

1. नियत उद्देश्य

1.1 वर्ष 2030 तक, हर जगह पर और सभी लोगों की चरमसीमा की गरीबी को खत्म करना। वर्तमान में इसे 1.25 प्रतिदिन पर गुजारा करने वाले वालों के संदर्भ में आँका जाता है।

1.2 राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुरूप गरीबी के सभी आयामों के मद्देनजर सभी आयु–वर्ग के पुरूषों, महिलाओं और बच्चों में व्याप्त गरीबी को वर्ष 2030 तक कम से कम आध कर लेना।

1.3 वर्ष 2030 तक, सभी स्तरों पर अलग–अलग देशों के स्थानीय संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं और उपायों को लागू करना, विशेषतः यह देखते हुए कि गरीब और वंचित लोग पूरी तरह से इनका लाभ उठा सकें।

1.4 यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक संसाध्नों पर सभी पुरूष और महिलाओं, विशेषतः गरीब और संचित लोगों को बराबरी के हक हासिल हों, बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुँच हो, भूमि और संपत्ति के अन्य स्वरूपों, पैतृक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों, उपयुक्त नवीन प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) समेत वित्तीय सेवाओं पर उनका स्वामित्व तथा नियंत्रण हो।

1.5 वर्ष 2030 तक, गरीबों और कठिन परिस्थितियों में रह रहे लोगों को समर्थ बनाना ताकि वे जलवायु–संबंधी अति कठोर, उतार–चढ़ावों और आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय झटकों और आपदाओं से उबर सकें एवं ऐसी घटनाओं की आवृत्ति में कमी भी आये।

आवश्यक रणनीतियाँ

क. विभिनन स्त्रोतों से संसाधनों को प्रभावी तौर पर जुटाना ताकि गरीबी को उसके समस्त आयामों में समाप्त कर सकने के लिए आवश्यक कार्यक्रम और नीतियां वास्तव में लागू की जा सकें।

ख. गरीब–हितैषी और लैंगिक–संवेदी विकास रणनीतियों पर आधरित राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर ठोस नीतिगत ढांचा तैयार करना ताकि गरीबी कार्यों में त्वरित निवेश को बल मिल सके।

दूसरा लक्ष्य

भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलना।

2. नियम उद्देश्य

2.1 वर्ष 2030 तक, भूख की समाप्ति करना। साथ ही सभी लोगों, विशेषतः गरीब और कठिन (संवेदनशील) परिस्थितियों में रह रहे लोग, जिनमें शिशु शामिल हों, की सुरक्षित, पोषक और पर्याप्त भोजन तक पहुँच पूरे वर्ष भर सुनिश्चित रहे।

2.2 वर्ष 2030 तक, सभी तरह का कुपोषण खत्म करना। इसी क्रम में वर्ष 2025 तक 5 वर्ष आयु तक के बच्चों में नाटापन और दुर्बलता के कुपोषण से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करना एवं किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं व बुजुर्ग लोगों की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

2.3 वर्ष 2030 तक, कृषि उत्पादकता तथा लघु कृषक उत्पादकों, विशेषतः महिलाओं, आदिम जनजाति के लोग, पारिवारिक कृषक, ग्राम्यता प्रचारक तथा मछुआरों की आय को दोगुना करना। ऐसा हासिल करने में भूमि, अन्य उत्पादक संसाध्नों और इनपुट्स, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, बाजार एवं योगित मूल्य (वेल्यू एडीशन) और गैर–खेतिहर रोजगार के अवसर बनाने तक सुरक्षित एवं बराबर पहुँच बनाने जैसे उपाय शामिल हैं।

2.4 वर्ष 2030 तक, खाद्य उत्पादन प्रणालियाँ सुनिश्चित करना और ऐसी लचीली कृषि प्रथायें क्रियान्वित करना, जो उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करें, पारिस्थितिकी प्रणालियों को बनाये रखने में मदद करें एवं जलवायु परिवर्तन, मौसम में भारी बदलाव, सूखा और बाढ़ जैसी विपदाओं के अनुसर ढाल सकने की क्षमता को सुदृढ़ करें व भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता को क्रमशः बढ़ाने में मदद करें।

2.5 वर्ष 2020 तक, बीजों, रोपे गये पौधों, खेतिहर तथा पालतू जानवरों एवं संबंधित जंगली नस्लों की आनुवंशिक विविधता बनाये रखना। साथ ही राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर विविध बीजों और पौधे के बैंक बनाने में चुस्त प्रबंधन सुनिश्चित करना एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहमति अनुसार

आनुवंशिक संसाधनों तथा संबंधी पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों तक पहुँच एवं उनके उचित तथा न्यायसंगत बँटवारे को बढ़ावा देना।

NOTES

आवश्यक रणनीतियाँ

क. ग्रामीण अधेसंरचना, कृषि में शोध तथा विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी विकास और वनस्पति तथा पशुधन आनुवंशिक बैंकों में निवेश; अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग समेत बढ़ाना ताकि विकासशील देशों, विशेषतः न्यूनतम विकसित देशों की कृषि उत्पादक क्षमता बढ़ सके।

ख. वैश्विक कृषि बाजार में प्रतिबंधों और विकृतियों को दूर करना और उनकी रोकथाम करना। इनमें वे उपाय भी शामिल हैं जिनमें समानान्तर रूप से 'दोहा डेवलपमेंट राउण्ड' में निहित निर्देशों के अनुसार कृषि निर्यात पर सभी प्रकार के अनुदानों को समाप्त किये जाने के प्रावधान के साथ निर्यात पर सभी कदम उठाये जाने हैं जो समकक्ष असर डाल सकें।

ग. ऐसे कदम उठाना जिनसे खाद्य पदार्थों के बाजारों एवं उनके उपखंडों का संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके तथा बाजार की सूचना तक पहुँच सुलभ हो। इनमें खाद्य आरक्षित भंडार बनाने जैसे उपाय भी शामिल हैं ताकि कीमतों में भारी उतार–चढ़ाव से बनी अस्थिरता को नियंत्रण में रखा जा सके।

तीसरा लक्ष्य

सभी आयु के लोगों के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और उनके स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना।

3. नियत उद्देश्य

3.1 वर्ष 2030 तक, वैश्विक मातृ मृत्यु दर 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्म से नीचे लाना।

3.2 वर्ष 2030 तक, नवजात शिशुओं और 5 वर्ष आयु से कम के बच्चों की रोकी जा सकने वाली मौतों को विराम देना, सभी देश यह लक्ष्य रखेंगे कि नवजात शिशु मृत्यु दर कम से कम 12 प्रति 1000 जीवित जन्म तथा 5 वर्ष आयु से पूर्व बाल मृत्यु दर 25 प्रति 1000 जीवित जन्म के निचले पर आ जाये।

3.3 वर्ष 2030 तक, एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उष्णकटिबंध (ट्रॉपीकल) उपेक्षित बीमारियों की महामारी समाप्त हो। साथ ही यकृत रोग (हेपाटाइटिस), जल–जनित बीमारियों और अन्य संचारी रोगों (कम्युनिकेबल डिसीजेज) पर काबू पाया जाये।

3.4 रोकथाम और उपचार के द्वारा वर्ष 2030 तक असंचारी बीमारियों (नान–कम्नुनिकेबल डिसीजेज) से होने वाली समय–पूर्व मौतों में एक–तिहाई कमी लाई जाये। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना।

3.5 मादक पदार्थों और हानिकारक मदिरा सेवन की रोकथाम के उपायों और उनसे होने वाली बीमारियों के उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

3.6 सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों की वैश्विक घटनाओं को वर्ष 2020 तक आध करना।

3.7 वर्ष 2030 तक, परिवार नियोजन, सूचना एवं शिक्षा समेत यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य को एकीकृत करना।

3.8 वर्ष 2030 तक, 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य के विस्तार' (यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज) की पहुँच पा लेना। इसमें वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्ता पूर्ण अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुँच और सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्ता पूर्ण एवं सस्ती अनिवार्य दवाइयाँ तथा टीके शामिल हैं।

3.9 वर्ष 2030 तक, खतरनाक रसायनों, प्रदूषित वायु, जल और मिट्टी तथा गंदगी से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में कमी लाना।

आवश्यक रणनीतियाँ

क. 'विश्व स्वास्थ्य संगठन के तंबाकू नियंत्राण करार की रूपरेखा' (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क कन्वेन्शन ऑन टोबैको कंट्रोल) के क्रियान्वयन को यथानुसार सभी देशों में सुदृढ़ करना।

NOTES

ख. मुख्य रूप से विकासशील देशों पर असर डालने वाली संचारी तथा असंचारी बीमारियों से मुकाबला करने के लिये टीकों और दवाइयों पर अनुसंधान तथा विकास में मदद करना। 'बौद्धिक संपदा अधिकारों पर व्यापार संबंधी समझौता'; एग्रीमेन्ट ऑन ट्रिप्स–ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स) और लोक स्वास्थ्य' पर 'दोहा घोषणा' के अनुरूप सस्ती एवं अनिवार्य दवाइयों तथा टीकों की पहुँच सुलभ करना, यह समझौता विकासशील देशों के अधिकारों की पुष्टि करता है कि वे लोक स्वास्थ्य के संरक्षण में संदर्भित लचीलेपन हेतु उक्त समझौते के प्रावधानों का पूरा उपयोग कर सकते हैं, खासकर सभी तक दवाओं की पहुँच बनाने में।

ग. स्वास्थ्य के लिये वित्तीय संसाधन में बड़ी बढ़ोतरी करना। विकासशील देशों, विशेषतः न्यूनतम विकसित देशों और छोटे उपद्वीप वाले विकासशील राष्ट्रों में स्वास्थ्य कर्मियों के भरती, प्रशिक्षण तथा नौकरी में बनाये रखने की स्थिति में वृहत् बढ़ोतरी करना।

घ. सभी देशों, खासकर विकासशील देशों की क्षमता सुदृढ़ करना ताकि वे राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्वास्थ्य के खतरों के प्रबंधन में पूर्व चेतावनी, जोखिम में कमी लाने जैसे उपायों को सुदृढ़ कर सके।

चौथा लक्ष्य

समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता–युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी को जीवन भर सीखने के अवसर सुलभ करना।

4. नियत उद्देश्य

4.1 वर्ष 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी बालिकाएं और बालक निःशुल्क, न्यायसंगत तथा प्रभावी सीख हासिल कर सकें।

4.2 वर्ष 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि गुणवत्ता–युक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल तथा पूर्व–प्राथमिक शिक्षा की पहुँच सभी बालिकाओं और बालकों को उपलब्ध हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिये पूरी तरह से तैयार हो सकें।

4.3 वर्ष 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सस्ती और गुणवत्ता–युक्त तकनीकी, व्यावसायिक एवं विश्वविद्यालयीन सहित तृतीयक स्तर की उच्च शिक्षा की बराबर पहुँच सभी महिलाओं और पुरुषों को उपलब्ध हो सके।

4.4 वर्ष 2030 तक, ऐसे नौजवानों और वयस्कों की तादान में उच्चतर वृद्धि करना जिन्हें तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से उपयुक्त दक्षता हासिल हो ताकि वे रोजगार, बेहतर कार्य और उद्यमिता में अपने आप को लगा सकें।

4.5 वर्ष 2030 तक, शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि रह रहे बच्चों को सभी स्तरों पर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की बराबर पहुँच उपलब्ध हो।

4.6 वर्ष 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी नौजवान और वयस्क, महिला और पुरुष दोनों, का बड़ा तबका साक्षर हो एवं संख्यात्मक कौशल दक्ष हो।

4.7 वर्ष 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षार्थी ज्ञान और दक्षता प्राप्त कर लें ताकि वे टिकाऊ विकास को बढ़ावा दे सकें। ऐसा वे टिकाऊ विकास और जीवनशैली, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, शान्ति तथा अहिंसा की संस्कृति, वैश्विक नागरिकता, सांस्कृतिक विविधता की स्वीकार्यता और टिकाऊ विकास में संस्कृति के योगदान को बढ़ावा देने में शिक्षा के माध्यम से ही कर सकेंगे।

आवश्यक रणनीतियाँ

क. ऐसी शैक्षिक सुविधाएं बनाना व उनका उन्नयन करना जो बच्चों, अशक्तता और लैंगिक–संवेदी हों तथा सभी के लिए सीखने का सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी परिवेश उपलब्ध कराते हों।

ख. वर्ष 2020 तक, विकासशील देशों, विशेषतः न्यूनतम विकसित देशों, छोटे उपद्वीप वाले विकासशील राष्ट्रों एवं अफ्रीकी देशों के शिक्षार्थियों के लिये वैश्विक शिक्षावृत्ति की तादाद बढ़ाना ताकि वे विकसित देशों और अन्य विकासशील देशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, सूचना–संचार प्रौद्योगिकी, तकनीकी, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यक्रमों सहित उच्चतर शिक्षा हासिल कर सकें।

ग. वर्ष 2030 तक, योग्यता–प्राप्त शिक्षकों की उपलब्धता में भारी वृद्धि करना, इसके लिये विकासशील देशों, विशेषतः न्यूनतम विकसित देशों और छोटे उपद्वीप वाले विकासशील राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

NOTES

पाँचवाँ लक्ष्य

लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त करना।

5. नियत उद्देश्य

5.1 हर जगह पर सभी महिलाओं और बालिकाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त करना।

5.2 सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा, मानव–तस्करी, यौन तथा अन्य प्रकार के शोषणों को दूर करना।

5.3 सभी प्रकार की अहितकारी प्रथाएं जैसे बाल, समय–पूर्व एवं जबरन विवाह, महिलाओं के खतने के व्यवहार को खत्म करना।

5.4 सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधन, अथोसंरचना तथा सामाजिक संरक्षण नीतियों के माध्यम से देखभाल और घरेलू काम जिनका भुगतान नहीं होता है, उनकी महत्ता को पहचान देना, साथ ही राष्ट्रों में उपयुक्तता अनुसार परिवारों और घरों में दायित्वों के साझा निर्वहन को बढ़ावा देना।

5.5 राजनीतिक आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी तथा निर्णय लेने के सभी स्तरों पर उन्हें नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना।

5.6 जनसंख्या और विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यवाही के कार्यक्रम और बेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन तथा समीक्षा सम्मेलनों से निकले दस्तावेजों के अनुरूप एवं सहमति अनुसार यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य व प्रजनन अधिकारों तक सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित करना।

आवश्यक रणनीतियाँ

क. नैसर्गिक कानूनों के अनुसार आर्थिक संसाध्नों पर महिलाओं को बराबर के अधिकार दिलाने के लिये सुधरों को लाना, साथ ही जमीन और अन्य प्रकार की संपत्तियों, वित्तीय सेवाओं, पैतृक और प्राकृतिक संसाध्नों पर स्वत्व एवं नियंत्रण की पहुँच सुनिश्चित करना।

ख. महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये सहायक प्रौद्योगिकी, विशेषतः सूचना–संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को आगे ले जाना।

ग. लैंगिक समानता और सभी स्तरों पर सभी महिलाओं तथा बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिये ठोस नीतियों और लागू हो सकने योग्य विधान अपनाना एवं उन्हें सुदृढ़ करना।

छटवाँ लक्ष्य

सभी के लिये पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उनका सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करना।

6. नियत उद्देश्य

6.1 वर्ष 2030 तक, सभी के लिये सुरक्षित तथा सस्ते पानी की सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुँच प्राप्त करना।

6.2 वर्ष 2030 तक, सभी के लिये स्वच्छता व्यवस्था एवं साफ–सफाई की पहुँच पर्याप्त और न्यायसंगत रूप से उपलब्ध कराना, खुले में शौच की प्रथा को बंद करना, खासतौर पर महिलाओं और बालिकाओं तथा वंचित अवस्था में रह रहे लोगों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

6.3 वर्ष 2030 तक, वैश्विक रूप से प्रदूषण में कमी लाते हुए, खतरनाक रसायनों और सामग्री के क्षेपण (पटके जाने) को समाप्त करने और उसके छोड़े जाने में कमी किये जाने, अनुपचारित अपशिष्ट (गंदे) पानी की मात्रा को कम कर आधे करने तथा तथा उसके पुनरावर्तन तथा उपचार के बाद दोबारा सुरक्षित इस्तेमाल में भारी बढ़ोत्तरी करना।

6.4 वर्ष 2030 तक, सभी सेक्टरों में पानी के इस्तेमाल की कार्यकुशलता में भारी बढ़ोतरी की जायेगी तथा पानी की कमी से निपटने के लिये ताजे पानी की निकासी और प्रदाय की टिकाऊ व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ताकि पानी की कमी से त्रस्त लोगों की तादाद में प्रभावी कमी लाई जा सके।

NOTES

6.5 वर्ष 2030 तक, सभी स्तरों पर जल संसाधन प्रबंधन का समेकित क्रियान्वयन किया जायेगा, उपयुक्ततानुसार इसमें सरहदी सहयोग (दो–तीन या ज्यादा देशों के बीच पानी का बंटवारा) भी लिया जायेगा।

6.6 वर्ष 2020 तक, पहाड़, वन, जलमय भूमि, नदियों, जलीय चट्टानी परतों और नहरों समेत जलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों को संरक्षित एवं पुनर्प्रचलित करना।

आवश्यक रणनीतियाँ

क. वर्ष 2030 तक, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को विस्तारित कर विकासशील देशों की जल और स्वच्छता व्यवस्था संबंधी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की क्षमता बढ़ाना, जल संचयन (वॉटर हार्वेस्टिंग), विलवीकरण (डीसलाइनाइजेशन), जल कार्यकुशलता, बर्बाद पानी का प्रबंधन, पुनरावर्तन तथा दोबारा इस्तेमाल की प्रौद्योगिकी इन कार्यक्रमों में शामिल हैं।

ख. जल और स्वच्छता व्यवस्था प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी में मदद देना और उसे सुदृढ़ करना।

सातवाँ लक्ष्य

सभी के लिये सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।

7. नियत उद्देश्य

7.1 वर्ष 2030 तक, सस्ती, विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।

7.2 वर्ष 2030 तक, वैश्विक ऊर्जा संग्रहण में अक्षय ऊर्जा के अंश में उल्लेखनीय वृद्धि लाना।

7.3 वर्ष 2030 तक, वैश्विक ऊर्जा कार्यकुशलता सुधर की दर में दोगुनी वृद्धि करना।

आवश्यक रणनीतियाँ

क. वर्ष 2030 तक, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कार्यकुशलता तथा विकसित और स्वच्छतर जीवाश्म ईंधन समेत स्वच्छ ऊर्जा के लिये प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक पहुँच सुगम करने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, ऊर्जा अधेसंरचना में निवेश तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

ख. वर्ष 2030 तक, विकासशील देशों, विशेषतः न्यूनतम विकसित देशों और छोटे उपद्वीप वाले राष्ट्रों तथा बंदरगाह–विहीन देशों में उनसे संबंधित सहायता कार्यक्रमों के अनुरूप सभी को आधुनिक एवं टिकाऊ ऊर्जा सेवायें प्रदान करने के लिये ऊर्जा अधेसंरचना का विस्तार करना और प्रौद्योगिकी में सुधार लाना।

आठवाँ लक्ष्य

सभी के लिये निरंतर, समावेशी, तथा सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार एवं बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।

8. नियत उद्देश्य

8.1 राष्ट्रीय परिस्थितियों के मुताबिक प्रति व्यक्ति टिकाऊ आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना, विशेषतः, न्यूनतम विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना।

8.2 योगित मूल्य एवं श्रमिक–सघन क्षेत्रों पर ध्यान देने सहित विविधीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और नवाचार द्वारा उच्चतर आर्थिक उत्पादकता हासिल करना।

8.3 उत्पादक गतिविध्यिों, बेहतर कामकाज, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार में सहायक विकास–केन्द्रित नीतियों को बढ़ावा देना। वित्तीय सेवाओं तक पहुँच समेत सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को औपचारिक किये जाने तथा उनकी संवृद्धि को प्रोत्साहित करना।

8.4 वर्ष 2030 तक, क्रमशः खपत और उत्पादन में वैश्विक संसाधन कार्यकुशलता में सुधार लाते हुए टिकाऊ खपत और उत्पादन के 10–वर्षीय कार्यक्रम के अनुरूप विकसित देशों की अगुआई में आर्थिक विकास के साथ हो रही पर्यावरणीय दुर्दशा में विराम लाना।

8.5 वर्ष 2030 तक, नौजवानों और अशक्त व्यक्तियों सहित सभी महिलाओं और पुरुषों के लिये समान कार्य–समान वेतन के आधर पर पूर्ण, उत्पादक एवं बेहतर रोजगार मुहैया कराना।

8.6 नौजवानों में बेरोजगारी, अशिक्षा और अप्रशिक्षित की तादात में वर्ष 2020 तक भारी कमी लाना।

8.7 बेगारी, आधुनिक गुलामी एवं मानव तस्करी को समाप्त करने के लिये तात्कालिक एवं प्रभावी उपाय करना, बच्चों की बाल–सैनिक भरती और उनके इस्तेमाल सहित।

8.8 श्रम कानूनों का संरक्षण, प्रवासी कर्मियों, विशेषतः महिला प्रवासी सहित सभी के लिये काम करने के सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराने को बढ़ावा देना।

8.9 वर्ष 2030 तक, स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा देने वाले तथा रोजगार निर्मित करने वाले टिकाऊ पर्यटन को प्रोत्साहित करने की नीतियों को बनाना और क्रियान्वित करना।

NOTES

8.10 सभी के लिये बैकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं की पहुँच बनाने के लिये देशी वित्तीय संस्थानों की क्षमता को सुदृढ़ करना।

आवश्यक रणनीतियाँ

क. 'न्यूनतम विकसित देशों के लिये व्यापार–संबंधी तकनीकी सहायता के बढ़े हुए समेकित ढांचे' (एन्हेन्स्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड–रिलेटेड टेक्निकल असिस्टेन्स टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़) के माध्यम से विकासशील देशों, विशेषतः न्यूनतम विकसित देशों को व्यापार में मदद की बढ़ोतरी।

ख. वर्ष 2020 तक, नौजवानों के रोजगार के लिये वैश्विक रणनीति बनाना और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कामकाज का वैश्विक समझौता (ग्लोबल जॉब्स पेक्ट ऑफ द इंटर्नेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन) लागू करना।

नौवा लक्ष्य

लचीला एवं बुनियादी ढांचा स्थापित करना, समावेशी तथा सतत् औद्योगिकरण को बढ़ावा देना एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना।

9. नियत उद्देश्य

9.1 आर्थिक विकास एवं मानव खुशहाली के लिये ऐसी गुणवत्ता–युक्त, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीली अधेसंरचना का विकास करना जो आर्थिक विकास और लोगों की खुशहाली बढ़ाने में सहायक हो, यह ध्यान में रखते हुए कि सभी को सस्ती तथा न्यायसंगत पहुँच उपलब्ध हो।

9.2 वर्ष 2030 तक, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों के योगदान में भारी वृद्धि पर केन्द्रित समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को राष्ट्रीय परिस्थितियों के मुताबिक बढ़ावा देना न्यूनतम विकसित देशों में इस अंश को दोगुना करना।

9.3 लघु–स्तरीय उद्योगों और अन्य उद्यमों की वित्तीय सेवाओं, सस्ते तक पहुँच में बढ़ोतरी करना तथा उन्हें मूल्य–श्रृंखला एवं बाजार से जोड़ना, विशेषतः विकासशील देशों में।

9.4 वर्ष 2030 तक, अधेसंरचना तथा पुनःसंयोजित उद्योगों का उन्नयन करना ताकि वे टिकाऊ हो सकें, संसाधनों के इस्तेमाल में उनकी कार्यकुशलता बढ़ सके और वे अपनी संबंध में सभी देशों द्वारा उनकी क्षमता अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाना।

9.5 सभी देशों, विशेषतः विकासशील देशों में, वर्ष 2030 तक वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ाना, औद्योगिक क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी सामर्थ्य का उन्नयन करना, नवाचार को बढ़ावा देना, प्रति 10 लाख लोगों पर अनुसंधान तथा विकास पर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करना।

आवश्यक रणनीतियाँ

क. अफ्रीकी देशों, विकासशील देशों, न्यूनतम विकसित देशों, छोटे उपद्वीप वाले राष्ट्रों तथा बंदरगाह–विहीन देशों को बढ़ी हुई वित्तीय, प्रौद्योगिकी और तकनीकी सहायता के जरिये टिकाऊ तथा लचीले अधोसंरचना विकास सुगम करना।

ख. विकासशील देशों में घरेलू प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान तथा विकास तथा नवाचार सुलभ करने में सहायक नीति के परिवेश को सुनिश्चित करना ताकि औद्योगिकी विविधिकरण सहज हो और वस्तुएं मूल्यवान होने के परिणाम मिल सकें।

ग. सूचना–संचार प्रौद्योगिकी की पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त करना, न्यूनतम विकसित देशों में वर्ष 2020 तक इंटरनेट की सार्वभौमिक और सस्ती पहुँच के प्रयास करना।

NOTES

दसवाँ लक्ष्य

देशों के बीच एवं उनके भीतर असमानता को कम करना।

10. नियत उद्देश्य

10.1 वर्ष 2030 तक जनसंख्या की आधर रेखा के 40 प्रतिशत के नीचे के लोगों की आय में राष्ट्रीय औसत से ऊपर से ऊपर की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करना एवं उसे बनाये रखना।

10.2 वर्ष 2030 तक आयु, लिंग अशक्तता, वर्ग, जातीयता, नस्ल, धर्म या आर्थिक अथवा अन्य किसी हैसियत की परवाह किये बिना सभी सामाजिक, आर्थिक और धर्म राजनीतिक रूप से सशक्त जुड़ाव हासिल करना।

10.3 पक्षपातपूर्ण कानूनों, नीतियों और प्रथाओं को समाप्त करते हुए बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने तथा परिणामों में बराबरी हासिल करने के प्रयासों बढ़ावा देना।

10.4 उत्तरोत्तर रूप से बेहतर बराबरी हासिल करने के लिये उपयुक्त नीतियाँ अपनाना, खासकर राजकोषीय, मजदूरी और सामाजिक संरक्षण नीतियों के संदर्भ में।

10.5 वैश्विक वित्तीय बाजारों तथा संस्थानों के नियमन एवं मॉनीटरिंग में सुधर लाना और ऐसे नियमन के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना।

10.6 प्रभावी, जवाबदेह और वैध संस्थानों की उपलब्धता के लिये विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संस्थानों की निर्णयकारिता में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व और उनकी अभिव्यक्ति को बेहतर स्थान सुनिश्चित करना।

10.7 नियोजित तथा सुप्रबंधित नीतियों के क्रियान्वयन के माध्यम से लोगों के लिये व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित एवं जिम्मेदार प्रवासन और आवाजाही सुलभ करना।

आवश्यक रणनीतियाँ

क. विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के अनुसार विकासशील देशों, विशेषतः न्यूनतम विकसित देशों के लिये, विशेष एवं विभेदी (डिफरेन्शियल) व्यवहार के सिद्धान्त को लागू करना।

ख. विकासशील देशों, विशेषतः न्यूनतम विकसित देशों, अफ्रीकी देशों, छोटे उपद्वीप वाले विकासशील राष्ट्रों तथा बंदरगाह–विहीन विकासशील देशों को उनकी राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुरूप सीधे विदेशी निवेश समेत आधिकारिक विकास सहायता एवं वित्तीय मदद को बढ़ावा देना।

ग. वर्ष 2030 तक, प्रवासन राशि भेजे जाने पर लगने वाली लेनदेन लागत को 3 प्रतिशत से कम करना और राशि के प्रेषण में 5 प्रतिशत से अधिक लागत वाले सीमांत गलियारों (कॉरिडोर्स) को समाप्त करना।

ग्यारहवाँ लक्ष्य

ऐसे शहर और मानव–बस्तियाँ बनाना जो समावेशी, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ हों।

11. नियत उद्देश्य

11.1 वर्ष 2030 तक, सभी के लिये पर्याप्त, सुरक्षित और सस्ती आवासीय तथा मूलभूत सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।

11.2 खासतौर पर महिलाओं, बच्चों, अशक्त लोगों और वृद्धजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की पहुँच उपलब्ध कराना एवं सड़क सुरक्षा में सुधार लाना।

11.3 सभी देशों में वर्ष 2030 तक, समावेशी और टिकाऊ शहरीकरण में बढ़ोत्तरी करना एवं मानव–बस्तियों के नियोजन व प्रबंधन की सहभागी, समेकित और टिकाऊ क्षमता बढ़ाना।

11.4 विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के प्रयासों को सुदृढ़ करना।

11.5 वर्ष 2030 तक, विपदाओं, जिनमें पानी–संबंधी विपदाएं शामिल हैं, के कारण होने वाली मौतों और प्रभावित लोगों की तादाद में उल्लेखनीय गिरावट लाना, प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान को कम करना, विशेषतः गरीबों और संचित अवस्था में रह रहे लोगों के संरक्षण पर केन्द्रित ध्यान दिया जाना।

11.6 वर्ष 2030 तक, शहरों पर पड़ने वाले प्रति व्यक्ति प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। वायु गुणवत्ता, नगरीय तथा अन्य कूड़ा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना।

11.7 वर्ष 2030 तक सभी के लिये, समावेशी और पहुँच–योग्य हरित एवं सार्वजनिक खुले स्थलों की सार्वभौमिक पहुँच उपलब्ध कराना।

NOTES

आवश्यक रणनीतियाँ

क. राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास योजना को सुदृढ़ करते हुए शहरी, परि–नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सकारात्मक संवाद बनाने में मदद करना।

ख. वर्ष 2020 तक, ऐसे शहरों और मानव–बस्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि लाना जो समावेशी और संसाधन कार्यकुशलता पर केन्द्रित, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाले और उसके अनुकूलन में सहायक, विपदाओं के प्रति लचीली, संवेदनशील और समेकित नीतियों तथा योजनाओं को अपनाते और लागू करते हों। सभी स्तरों पर 'आपदा जोखिम में 2015–2030 में सेंडई ढांचे', सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015–2030 के अनुरूप सर्वांगीण विपदा जोखिम प्रबंधन का विकास और क्रियान्वयन किया जाना।

ग. न्यूनतम विकसित देशों की मदद करना ताकि वे वित्तीय और तकनीकी सहायता के द्वारा स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हुए टिकाऊ और लचीले भवनों का निर्माण कर सकें।

बारहवाँ लक्ष्य

स्थाई खपत और उत्पादन के सिलसिले को सुनिश्चित करना।

12. नियत उद्देश्य

12.1 टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न के 10–वर्षीय कार्यक्रम को विकासशील देशों के विकास और उनके सामर्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए विकसित देशों की अगुआई में सभी देशों द्वारा लागू किया जाना।

12.2 वर्ष 2030 तक, प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन और कुशल उपयोग हासिल करना।

12.3 वर्ष 2030 तक, खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर विश्व–भर में प्रति व्यक्ति खाद्य बर्बादी को आधा करना, उत्पादन (फसल कटाई उपरांत हानि सहित) और प्रदाय श्रृंखला में खाद्य नुकसान में कमी लाना।

12.4 वर्ष 2020 तक, अन्तर्राष्ट्रीय सहमति करारों के अनुरूप रसायनों और बर्बादी का उनके सम्पूर्ण जीवन चक्र में पर्यावरण–हितैषी ठोस प्रबंध्न करना। साथ ही वायु, जल, और भूमि में उनके विसर्जन में कमी लाना ताकि मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम से कम किया जा सके।

12.5 वर्ष 2030 तक, रोकथाम, कमी लाना, पुनर्चालन और पुनः उपयोग द्वारा कूड़े की उत्पत्ति में ही उल्लेखनीय गिरावट लाना।

12.6 कंपनियों, विशेषतः बड़ी और अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों, को प्रेरित करना ताकि वे टिकाऊ प्रथाएं अपनायें एवं उनकी सूचनाएं अपने प्रतिवेदन व सूचना–प्रणाली में भी एकीकृत करें।

12.7 ऐसी सार्वजनिक उपार्जन प्रथाओं को बढ़ावा देना जो राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।

12.8 वर्ष 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सर्वत्र सभी लोगों को ऐसे टिकाऊ विकास और जीवनशैली–संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध हों जो प्रकृति के साथ सुसंगत रहने में उन्हें सहायक बना सकें।

आवश्यक रणनीतियाँ

क. विकासशील देशों की मदद करना ताकि वे खपत और उत्पादन में बेहतर व टिकाऊ पैटर्न की ओर अग्रसर होने के लिये अपनी वैज्ञानिक एवं प्रोद्योगिक क्षमता सुदृढ़ कर सकें।

ख. स्थानीय संस्कृति और उत्पादों तथा रोजगार निर्माण में सहायक टिकाऊ पर्याटन प्राप्त कर सकने के लिये टिकाऊ विकास प्रभावों की मॉनीटरिंग के लिये आवश्यक टूल्स विकसित करना एवं उन्हें व्यवहार में लाना।

ग. राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार बाजार की विकृतियों को दूर करते हुए ऐसे अकुशल जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्रयूएल)– जैसे तेल, कोयला आदि – जो बर्बादीपूर्ण खपत को बढ़ावा देते हैं, उन पर

दिये जाने वाले अनुदानों को युक्ति–युक्त करना। ऐसा करने में उपयुक्ततानुसार करों के ढाँचे को पुनः संयोजित कर नुकसानदायक अनुदानों को क्रमशः बाहर करना शामिल है ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले उनके प्रतिकूल प्रभाव को परिलक्षित किया जा सके। ऐसा करते समय विकासशील देशों की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा ताकि गरीबों और प्रभावित समुदायों को संरक्षण बना रहे।

NOTES

तेरहवाँ लक्ष्य

जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्यवाई करना।

13. नियम उद्देश्य

13.1 सभी देशों में मौसम–संबधी खतरों और प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिये लचीली और अनुकूलन क्षमता सुदृढ़ करना।

13.2 राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजनाओं में जलवायु परिवर्तन के उपायों को समेकित करना।

13.3 जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को कम करने, अनुकूलन और पूर्व चेतावनी पर माननीय एवं संस्थागत क्षमता में सुधार के लिये शिक्षा और जागरूकता को बेहतर बनाना।

आवश्यक नणनीतियाँ

क. 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन'; यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेनेशन ऑन क्लाइमेट चेंजेज में विकसित देशों द्वारा वर्ष 2020 तक संयुक्त रूप से वार्षिक 100 बिलियन जुटाये जाने के लक्ष्य को क्रियान्वित करना ताकि जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को कम करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों के संर्दीा में विकासशील देशों की शीघ्रातिशीघ्र सक्रिय हो सके।

ख. न्यूनतम विकसित देशों और छोटे उपद्वीप वाले विकासशील राष्ट्रों में महिलाओं, नौजवानों और अधिकारहीन समुदायों पर ध्यान देते हुए जलवायु परिवर्तन–संबंधी प्रभावी नियोजन और प्रबंधन विकसित करने के लिये क्षमता बढ़ाने के उपायों को बढ़ावा देना।

चौदहवाँ लक्ष्य

स्थाई विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाध्नों का संरक्षण तथा उनका विवेकपूर्ण दोहन करना।

14. नियत उद्देश्य

14.1 वर्ष 2015 तक, सभी प्रकार के जलीय प्रदूषण की रोकथाम और उसमें उल्लेखनीय गिरावट लाना, विशेषतः भूमि–आधरित गतिविध्ि जनित, समुद्रीय मलबे और पोषक–तत्व प्रदूषण सहित।

14.2 वर्ष 2020 तक, समुद्रीय एवं तटवर्ती पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण तथा उनका टिकाऊ प्रबंधन करना ताकि प्रतिकूल प्रभावों को अधिक से अधिक टाला जा सके। इनके लचीलेपन को मजबूती देना औन इनकी बहाली के लिये कदम उठाना जिनसे स्वस्थ और उत्पादक महासागर उपलब्ध रहें।

14.3 सभी स्तरों पर वृहत्तर वैज्ञानिक सहयोग एवं अन्य उपायों द्वारा महासागरों के अम्लीकरण के प्रभाव को कम से कम करने के कदम उठाना।

14.4 वर्ष 2020 तक, मछली पालन का प्रभावी नियमन करना। मछली पकड़ने में अतिरेक, अवैध, बिना रिपोर्ट तथा नियमन–विरूद्ध मछली पकड़ना एवं मछली पकड़ने में घातक तरीकों का समाप्त किया जाना। विज्ञान–आधारित प्रबंधन योजनाएँ लागू करना ताकि मछली–भंडार की कम से कम समय में बहाली हो सके, जिससे कि मछलियों के जैविक लक्षणों के अनुरूप उनका अधिकतम टिकाऊ, उत्पादन निर्धारित किया जा सके।

14.5 वर्ष 2020 तक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों एवं सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी के अनुरूप कम से कम 10 प्रतिशत तटवर्ती और समुद्रीय क्षेत्रों को संरक्षित करना।

14.6 वर्ष 2020 तक, मछलीपालन व्यवसाय में कुछ तरह की रियायतें प्रतिबंधित किया जाना जिनके कारण मछली पकड़ने में क्षमता और उसके दोहन में ज्यादती होती है। ऐसी रियायतें समाप्त करना एवं नई रियायतें लाने से परहेज करना जो अवैध, रिपोर्ट न की जाने वाली और नियमन–विरुद्ध मछली पकड़ने में सहायक होती हों। विश्व व्यापार संगठन के मछलीपालन समझौता वार्ता में

विकासशील और न्यूनतम विकसित देशों के लिये तदनुसार उपयुक्त एवं कारगर रूप से विशेष एवं हअ के तय की गई व्यवस्था का स्वीकारा जाना।

14.7 वर्ष 2030 तक, छोटे उपद्वीप वाले विकासशील राष्ट्रों और न्यूनतम विकसित देशों को समुद्रीय संसाधनों के टिकाऊ उपयोग, साथ ही मछलीपालन, मत्स्यपालन एवं पर्यटन के टिकाऊ प्रबंधन से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों में वृद्धि करना।

NOTES

आवश्यक रणनीतियाँ

क. समुद्रीय प्रौद्योगिकी के अंतरण पर अन्तर्शासन–संबंधी समुद्र–विज्ञान आयोग के मानदंडों और दिशा–निर्देशों ('इंटरगॉवर्नमेंटल ओशेनोग्रेफिक कमीशन क्राइटेरिया एंड गाइडलाइन्स ऑन द ट्रान्सफर ऑफ मेरीन टेक्नोलॉजी') पर गौर करते हुए वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना, अनुसंधान क्षमता विकसित करना और समुद्रीय प्रौद्योगिकी का अंतरण करना। इससे समुद्र स्वस्थ होंगे और विकासशील देशों, विशेषतः छोटे उपद्वीप वाले विकासशील राष्ट्रों और न्यूनतम विकसित देशों के विकास में समुद्रीय जैव विविधता का योगदान बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ख. समुद्रीय संसाधनों और बाजारों तक लघु–स्तरीय मत्स्य कामगारों की पहुँच उपलब्ध कराना।

ग. समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ('यूनाइटेड नेशन्स कन्वेनशन ऑन द लॉ ऑफ द सी') में परिलक्षित अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करते हुए महासागरों और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा टिकाऊ इस्तेमाल को बढ़ाना। उक्त सम्मेलन के परिपत्र के पैराग्राफ 158 में 'हम कैसा भविष्य चाहते हैं' ('द फ्रयूचर वी वॉट) में महासागरों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं टिकाऊ उपयोग के कानूनी ढाँचे का उल्लेख किया गया है।

पंद्रहवाँ लक्ष्य

स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों की रक्षा, बहाली तथा उनके विवेकपूर्ण उपयोग एवं वनों के सतत् प्रबंधन को बढ़ावा देना, मरूस्थलीकरण पर काबू पाना, भूमि क्षरण को रोकना और भूमि संरक्षण की ओर बढ़ना तथा जैव विविधता के बढ़ते ह्रास को विराम देना।

15. नियत उद्‌देश्य

15.1 वर्ष 2020 तक, स्थलीय पारिस्थितिकीय एवं ताजे पानी की प्रणालियों, विशेषतः वनों, जलमय भूमि, पर्वतों और शुल्क भूमि की रक्षा, बहाली तथा उनकी सेवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के अनुरूप सुनिश्चित करना।

15.2 वर्ष 2020 तक, वनों के सभी प्रकार के सतत् प्रबंध्न को बढ़ावा देना, वनों की कटाई पर विराम देना। विकृत वनों की बहाली तथा वैश्विक स्तर पर वनरोपण एवं वनीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त करना।

15.3 वर्ष 2030 तक, मरूस्थलीकरण पर काबू पाना, क्षरित भूमि और मिट्‌टी – मरूस्थलीकरण, सूखा, बाढ़ से प्रभावित भूमि ह्रास–रहित हो।

15.4 वर्ष 2030 तक, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालियाँ सुनिश्चित करना, जिनमें जैव विविधता शामिल हो, ताकि वे टिकाऊ विकास के लिये अनिवार्य लाभ दे सकने की अपनी क्षमता विकसित कर सकें।

15.5 प्राकृतिक ठौर–ठिकानों की दुर्दशा में कमी लाने और जैव विविधता के ह्रास को विराम देने के लिये तत्काल एवं प्रभावी कार्यवाई करना, यह सुनिश्चित करना कि वर्ष 2020 तक, ऐसी प्रजातियों की रक्षा सुनिश्चित हो जिन पर विलुप्तता का खतरा मंडरा रहा है।

15.6 आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्याय संगत बँटवारे को बढ़ावा देना, अन्तर्राष्ट्रीय सहमति के अनुसार ऐसे संसाधनों की उपयुक्त पहुँच को प्रोत्साहित करना।

15.7 संरक्षित वनस्पति और जीव प्रजातियों के अवैध शिकार और तस्करी को समाप्त करने के लिये तत्काल कार्यवाई करना एवं वन्यजीव पदार्थों की मांग और प्रदाय पर लगाम कसना।

15.8 वर्ष 2020 तक, भूमि और जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली (इकोसिस्टम्स) पर पड़ने वाले आक्रामक विदेशी प्रजातियों के कुप्रभावों में उल्लेखनीय कमी लाने, रोकथाम तथा नियंत्रण के लिये आवश्यक उपाय करना।

15.9 वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी प्रणाली और जैव विविधता की अहमियत को विकास की स्थानीय नियोजन प्रक्रिया, गरीबी घटाने की रणनीतियों और लेखों में समेकित करना।

NOTES

आवश्यक रणनीतियाँ

क. जैव विविधता (बायो डाइवर्सिटी) और पारिस्थितिकी प्रणाली (इकोसिस्टम्स) के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिये सभी स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाना और उनमें उल्लेखनीय वृद्धि करना।

ख. सतत् वन प्रबंधन के वित्त–पोषण के लिये सभी स्रोतों से एवं सभी स्तरों प वित्तीय संसाधन जुटाना, विकासशील देशों को पर्याप्त प्रोत्साहन देना ताकि वे ऐसे प्रबंधन, वन संरक्षण और वनीकरण के बेहतर प्रयास आगे ले जा सकें।

ग. संरक्षित और वनीकरण के अवैध शिकार और तस्करी पर काबू रखने के प्रयासों में वैश्विक सहायता बढ़ाना ताकि स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ सके एवं वे टिकाऊ जीविकोपार्जन अवसरों पर अग्रसर हो सकें।

सोलहवाँ लक्ष्य

सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिये न्याय तक पहुँच उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाएँ बनाना।

16. नियम उद्देश्य

16.1 हर तरह की हिंसा और संबंधित मृत्यु दर में सर्वत्र भारी कमी लाना।

16.2 बच्चों के प्रति दुराचार, उनका शोषण, तस्करी, हिंसा और उत्पीड़न समाप्त करना।

16.3 सभी को न्याय की समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर विधिसम्मत शासन को बढ़ावा देना।

16.4 वर्ष 2030 तक, गैरकानूनी वित्तीय और हथियारों की आवाजाही में भारी कमी लाना। चोरी हूई परिसंपत्तियों की पुनःप्राप्ति और बहाली सुदृढ़ करना तथा संगठित अपराध पर उसके सभी रूपों में काबू पाना।

16.5 सभी तरह के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में भारी कमी लाना।

16.6 सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थायें विकसित करना।

16.7 सभी स्तरों पर उत्तरादायी, समावेशी सहभागी और प्रतिनिध्वि पर आधरित निर्णय लिया जाना सुनिश्चित करना।

16.8 वैश्विक शासन प्रणाली की संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी विस्तारित एवं सुदृढ़ करना।

16.9 सभी की वैधनिक पहचान सुनिश्चित करना, जन्म पंजीयन सहित।

16.10 राष्ट्रीय विजन तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप सूचना की सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करना और मूलभूत स्वतंत्रता की रक्षा करना।

आवश्यक रणनीतियाँ

क. विशेषतः विकासशील देशों में, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग समेत, संबंधी संस्थानों को सुदृढ़ करना ताकि हिंसा की रोकथाम और आतंकवाद तथा अपराधों पर काबू पाने के लिये सभी स्तरों पर आवश्यक क्षमता विकसित हो सके।

ख. टिकाऊ विकास के लिये भेदभाव न करने वाले कानूनों तथा नीतियों को बढ़ावा देना एवं उन्हें लागू करना।

सत्राहवाँ लक्ष्य

कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करना और सतत् विकास के लिये वैश्विक भागीदारी पुनर्जीवित करना।

वित्त

17. नियम उद्देश्य

17.1 विकासशील देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मदद के माध्यम समेत, घरेलू संसाधन जुटाने की व्यवस्था सुदृढ़ करना ताकि उनकी कर एवं अन्य राजस्व वसूली के लिये घरेलू क्षमता में सुधार हो सके।

17.2 विकसित देश 'शासकीय विकास सहायता' (ऑफीशियल डेवलपमेंट असिसटेनस – ओडीए – प्रतिबद्धता की अपनी प्रतिब(तायें पूर्णतः क्रियान्वित करेंगे। साथ ही, कई विकसित देशों द्वारा भी इस प्रतिब(ता का निर्वाह किया जायेगा कि वे अपनी सकल राष्ट्रीय आय (ग्रॉस नेशनल इनकम–जीएनआई–) का 0.7 प्रतिशत विकासशील देशों को 'शासकीय विकास सहायता' (ओडीए/जीएनआई) के रूप में एवं ओडीए/जीएनआई का 0.15 से 0.20 प्रतिशत न्यूनतम विकसित देशों के लिये ओडीए/जीएनआई का कम से कम 0.20 प्रतिशत देने का लक्ष्य रखें।

NOTES

17.3 विकासशील देशों के लिये बहुल स्रोतों से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना।

17.4 विकासशील देशों की मदद करना ताकि वे समन्वित नीतियों द्वारा दीर्घ–अवधि के ऋणों में स्थिरता ला सकें। इन नीतियों से ऋणों वित्त–पोषण, ऋणों में राहत, ऋणों का नवीनीकरण में यथानुसार मदद मिलेगी जिससे भारी ऋण में डूबे गरीब देश बाहरी ऋण के संकट से उबर सकें।

17.5 न्यूनतम विकसित देशों के लिये निवेश को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था को अपनाना और क्रियान्वित करना।

प्रौद्योगिकी

17.6 विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार पर एवं उनकी पहुँच के लिये उत्तर–दक्षिण, दक्षिण–दक्षिण एवं त्रिपक्षीय क्षेत्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, पारस्परिक सहमति के अनुसार वृहत्तर रूप से जानकारी साझा करना। ऐसा करने के लिये मौजूदा व्यवस्थाओं में बेहतर तालमेल बिठाना, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र स्तर पर और वैश्विक प्रौद्योगिकी सहज करना।

17.7 विकासशील देशों के लिये उनकी पक्षधर शर्तों पर पर्यावरण की दृष्टि से सक्षम प्रौद्योगिकी के विकास, हस्तांतरण, फैलाव और विस्तार को बढ़ावा देना, पारस्परिक सहमति अनुसार रियायत और तरजीह देते नियमों एवं शर्तों पर।

17.8 न्यूनतम विकसित देशों के लिये, वर्ष 2017 तक प्रौद्योगिकी बैंक एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, क्षमता–निर्माण व्यवस्था को पूरी तरह से परिचालित करना। सहायक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ाना, विशेषतः सूचना–संचार प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में।

क्षमता निर्माण

17.10 विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत सार्वभौमिक, नियम–आधरित, खुली, गैर–पक्षपाती तथा न्यायसंगत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना, 'दोहा डेवलपमेंट एजेंडा' के अन्तर्गत समझौता वार्ता के निष्कर्ष अनुरूप।

17.11 विकासशील देशों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि, विशेषतः 2020 तक वैश्विक निर्यात में न्यूनतम विकसित देशों के हिस्से का दोगुना किया जाना।

17.12 विश्व व्यापार संगठन के निर्णयों के अनुरूप सभी न्यूनतम विकसित देशों को सीमा–शुल्क रहित एवं कोटा–रहित बाजार तक स्थाई पहुँच समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना। ऐसा करने में यह सुनिश्चित करना कि न्यूनतम विकसित देशों के आयात–स्रोत को तरजीह देने वाले नियम पारदर्शी और सरल हों तथा बाजार की पहुँच सुलभ करते हों।

सर्वांगी मुद्दे

17.13 वृहत् अर्थशास्त्र (मेक्रोइकॉनॉमी) स्थायित्व बढ़ाना, नीति समन्वय और नीति ससंगति को ध्यान में रखते हुए।

17.14 टिकाऊ विकास के लिये नीतिगत सुसंगति बढ़ाना।

17.15 गरीबी उन्मूलन और टिकाऊ विकास के लिये नीतियाँ बनाने और उनका क्रियान्वयन सुलभ करने के लिये प्रत्येक देश के नीतिगत दायरे एवं नेतृत्व का सम्मान करना।

सरोकार के बहुल साझेदारों के बीच भागीदारी

17.16 सरोकार के बहुल साझेदारी की भागीदारी से अनुपूरित, टिकाऊ विकास के लिये वैश्विक भागीदारी बढ़ाना। जानकारियों, विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाना और उनको साझेदारों के साथ साझा करना ताकि सभी देशों में, विशेषतः विकासशील देशों में सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिल सके।

NOTES

17.17 भागीदारी के अनुभवों और संसाधन जुटाने की रणनीतियों पर आगे बढ़ते हुए सार्वजनिक, सार्वजनिक–निजी एवं जन–सामाजिक संगठनों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।

आंकड़े, मॉनीटरिंग और जवाबदेहिता

17.18 वर्ष 2020 तक, विकासशील देशों, न्यूनतम विकसित, देशों और छोटे उपद्वीप वाले राज्यों के लिये क्षमता–निर्माण में मदद करना ताकि आय, लैंगिक, आयु, जाति, नस्ल, प्रवासी दर्जा, अशक्तता, भौगोलिक स्थिति एवं राष्ट्रीय संदर्भों के अन्य अभिलक्षणों के अनुसार की अच्छी गुणवत्ता, सामयिक और विश्वसनीय जानकारियों की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

17.19 मौजूदा पहलों पर आगे बढ़ते हुए वर्ष 2030 तक, टिकाऊ विकास की प्रगति के आकलन के ऐसे माप विकसित करना, जो सकल घरेलू उत्पाद के पूरक हों, और विकासशील देशों में सांख्यिकी क्षमता–निर्माण में सहायक हों।

प्रमुख संदेश

सतत विकास लक्ष्य सार्वभौमिक, महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण हैं। ये लक्ष्य गरीबी और भूख को समाप्त करने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देते हैं।

सतत विकास लक्ष्यों में यह रणनीति निहित है कि अनुदानों और रियायतों को कम करने और खत्म किया जाये। इससे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, कृषि और मूलभूत सेवाओं में राज्य की भूमिका सीमित भी हो सकती है।

सतत् विकास लक्ष्य प्रमुख रूप से निम्नानुसार अपेक्षित बदलावों पर केन्द्रित हैं:

- गरीबी की समाप्ति
- भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि।
- बेहतर स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन।
- गुणवत्ता–युक्त शिक्षा।
- लैंगिक समानता।
- सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच।
- पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उनका सतत् प्रबंधन।
- उत्पादक रोजगार एवं बेहतर कार्य
- न्याय तक पहुँच।

लक्ष्यों में जोर दिये जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गुणवाचक शब्द कई बार आते हैं। इनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं–

- 'सभी'
- 'सर्वत्रा'
- 'विशेषतः गरीबों और वंचित लोगों पर केंद्रित ध्यान'
- 'महिलाओं, नौजवानों और अधिकारहीन समुदायों पर ध्यान'
- 'क्षमता विकास'
- 'समावेशी और न्यायसंगत'

इन्हें हम न केवल उपयोगी वरन् अलंघनीय भी मान सकते हैं क्योंकि इनके साथ ही लक्ष्यों की सार्थकता भी तय होती है।



मध्य प्रदेश–गान

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है,
यहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है।
उर्वर भूमि, सघन वन, रत्न, सम्पदा जहां अशेष है,
स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है।

चंबल की कल-कल से गुंजित कथा तान, बलिदान की,
खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की।
भीमबैठका आदिकला का पत्थर पर अभिषेक है,
अमृत कुंड अमरकंटक में, ऐसा मध्यप्रदेश है।

क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहां,
महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहां,
कविता, न्याय, वीरता, गायन, सब कुछ यहां विशेष है,
हृदय देश का है यह, मै इसका, मेरा मध्यप्रदेश है।

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

वन्दे मातरम्

सुजलां, सुफलां, मलयज-शीतलाम्॥
शस्य-श्यामलां, मातरम्। वन्दे मातरम्॥

शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित-यामिनीम्,
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्,
सुहासिनीं, सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदां, वरदां, मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

कोटि-कोटिकंठ कलकल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृतखरकरवाले।
अबला केनो मा एतो बले।
बहुबलधारिणीं, नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे।
बाहु ते तुमि मां शक्ति, हृदये तुमि मां भक्ति
तोमारई प्रतिमा गड़ि, मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीं
कमलां कमलदलविहारिणीं
वाणी विद्यादायिनीं, नमामि त्वां, नमामि कमलाम् अमलां अतुलाम्
सुजलां सुफलां मातरम् .... श्यामलां, सरसां, सुस्मितां, भूषिताम्
धरणीं भरणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

Centre for Community Leadership Development Studies
MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
Chitrakoot, Satna (M.P.) - 485 334
Phone : 07670 - 265622, E-mail : cmcldpcourse@gmail.com
www.cmcldp.org